अर्थ एवं संख्या प्रभाग, उत्तर प्रदेश

वार्षिक प्रतिवेदन

2016-17

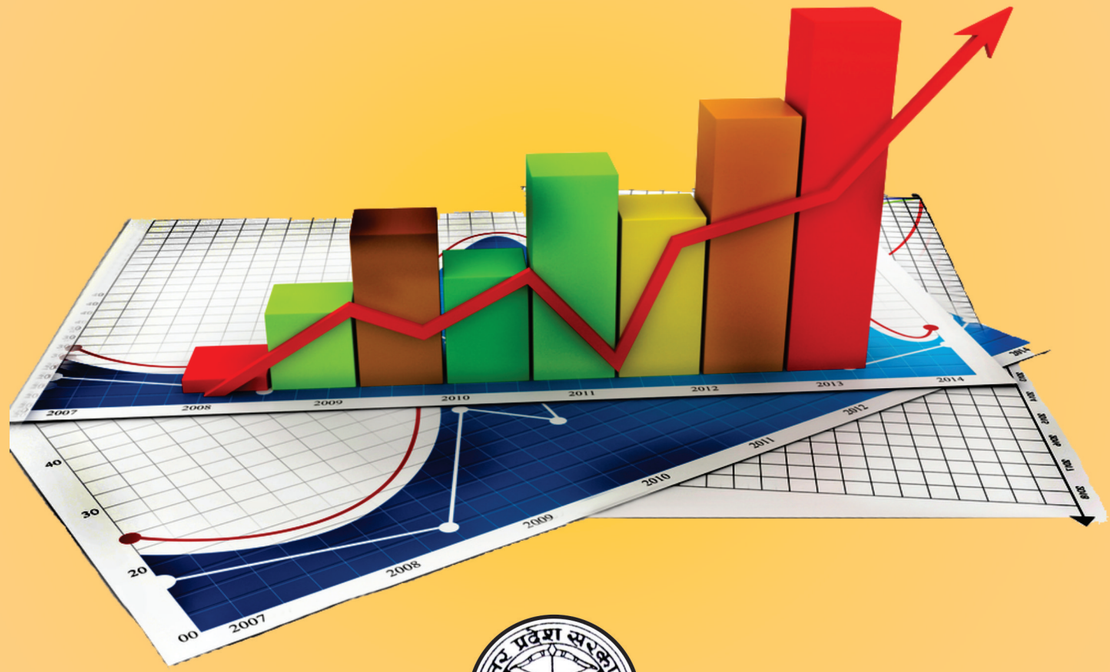

अर्थ एवं संख्या प्रभाग
राज्य नियोजन संस्थान, नियोजन विभाग
उत्तर प्रदेश
website-http://updes.up.nic.in

अर्थ एवं संख्या प्रभाग
राज्य नियोजन संस्थान, नियोजन विभाग
उत्तर प्रदेश
website-http://updes.up.nic.in

अशोक कुमार पंवार

अर्थ एवं संख्या प्रभाग
उत्तर प्रदेश।

प्राक्कथन

संतुलित विकास हेतु उपलब्ध संसाधनों एवं सुविधाओं का नियोजित अनुप्रयोग आवश्यक व अपरिहार्य है और इस प्रक्रिया में सम्बन्धित सांख्यिकीय आँकड़ों की उपादेयता निर्विवादित है। इस क्रम में प्रदेश में अर्थ एवं संख्या प्रभाग सतत् प्रयत्नशील है।

केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, सांख्यिकीय एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MOSPI), भारत सरकार के दिशा–निर्देश में अर्थ एवं संख्या प्रभाग स्तर पर विभिन्न प्रकार के सांख्यिकी कार्य, सर्वेक्षण व अनुमान इत्यादि तैयार किये जाते हैं। प्रभाग स्तर पर सम्पादित होने वाले कार्यों की स्थिति व उद्देश्य के सन्दर्भ में वार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशित करने का प्रथम प्रयास वर्ष 2011 में किया गया था। इसी श्रृंखला में वार्षिक प्रतिवेदन के तृतीय अंक वर्ष 2016–17 का प्रकाशन किया जा रहा है।

प्रस्तुत अंक में कुल 15 अध्याय हैं, जिसमें प्रभाग का परिचय, प्रभाग पर अनुभागवार सम्पादित होने वाले कार्यों का विवरण एवं क्षेत्रीय स्तर पर सम्पादित होने वाले कार्यों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रकाशन को अल्प अवधि में तैयार किये जाने हेतु सम्पादक मण्डल के साथ प्रभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों का योगदान प्रशंसनीय है।

दिनांकः **01.01.2018**

(अशोक कुमार पंवार)
निदेशक।

सम्पादक मण्डल

अध्यक्ष

श्री ए0के0 पाण्डेय, अपर निदेशक, प्रभाग मुख्यालय

सदस्य

1. डा. श्रीमती दिव्या सरीन मेहरोत्रा, संयुक्त निदेशक, प्रभाग मुख्यालय।
2. डा. श्रीनाथ यादव, उप निदेशक, प्रभाग मुख्यालय।
3. श्री संजय कुमार श्रीवास्तव, उप निदेशक, प्रभाग मुख्यालय।

सदस्य सचिव

श्री अमलेन्दु राय, उप निदेशक, प्रभाग मुख्यालय।

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

विषय–वस्तु

अध्याय		पृष्ठ–संख्या
1.	अर्थ एवं संख्या प्रभाग–एक परिचय	1– 10
2.	राज्य आय अनुभाग	11–23
3.	क्षेत्रीय सर्वेक्षण एवं विश्लेषण अनुभाग	24–35
4.	डेटा बैंक अनुभाग	36–45
5.	भाव अनुभाग	46–54
6.	औद्योगिक सांख्यिकी अनुभाग	55–61
7.	आवास सांख्यिकी अनुभाग	62–65
8.	संगणक अनुभाग	66–67
9.	ग्राफ अनुभाग	68–69
10.	वाह्य सहायतित कार्यक्रम एवं सर्वेक्षण अनुभाग	70–71
11.	प्रकाशन एवं प्रचार अनुभाग	72–74
12.	समन्वय प्रशिक्षण एवं शोध अनुभाग	75–77
13.	स्थापना अनुभाग	78–80
14.	लेखा अनुभाग	81–82
15.	क्षेत्रीय स्तर पर सम्पादित किये जाने वाले कार्य	83–94
16.	फोटो सेक्शन	95–96

अध्याय–1
अर्थ एवं संख्या प्रभाग – एक परिचय

उत्तर प्रदेश में नियोजन प्रक्रिया की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु गठित राज्य नियोजन संस्थान के अन्तर्गत 09 प्रभाग कार्यरत हैं, जिनमें से एक अर्थ एवं संख्या प्रभाग है। संस्थान का अर्थ एवं संख्या प्रभाग ही एक मात्र ऐसा प्रभाग है जिसके कार्यालय राज्य मुख्यालय के अतिरिक्त सभी मण्डलों एवं जनपदों में भी स्थित हैं। मण्डल स्तर पर श्रेणी–1 के उप निदेशक तथा सभी जनपदों में श्रेणी–2 के अर्थ एवं संख्याधिकारी के अधीन क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित हैं। विकास खण्ड स्तर पर भी इस प्रभाग का एक कार्मिक–सहायक विकास अधिकारी (सांख्यिकीय) तैनात रहता है, जो खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय में पद–स्थित रहता है।

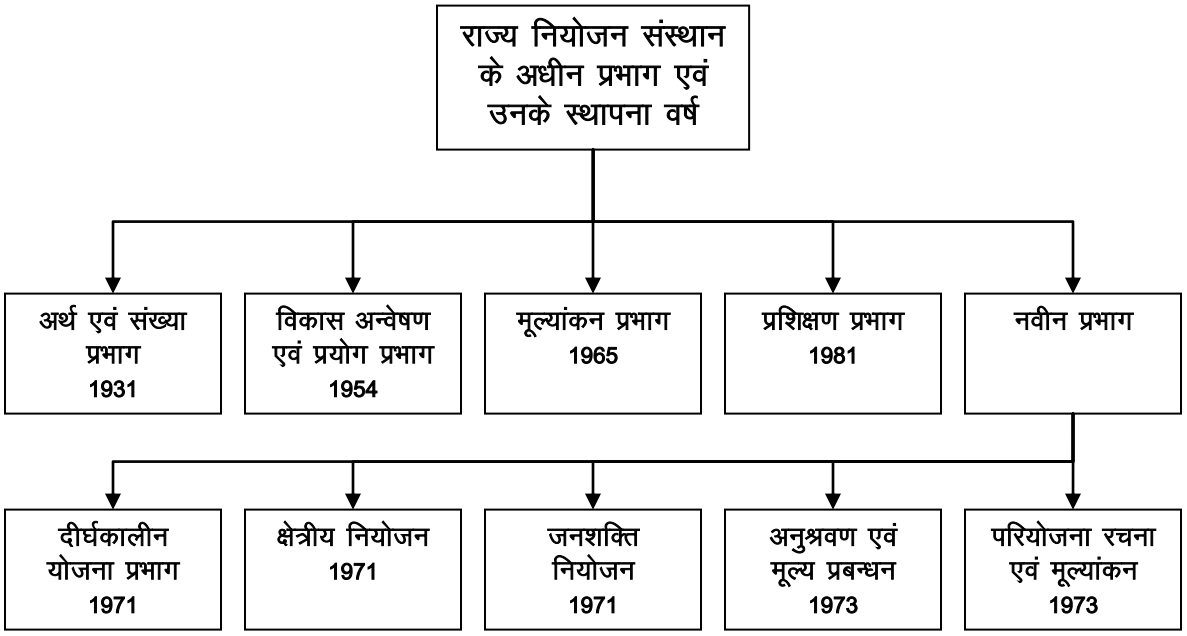

1.0 संक्षिप्त पृष्ठभूमि

उत्तर प्रदेश में आँकड़ों को व्यवस्थित रूप से एकत्रित व संकलित करने एवं शासन को उपलब्ध कराने के दायित्व की पूर्ति हेतु इस प्रभाग की स्थापना वर्ष 1931 में Bureau of Statistics and Economic Research नाम से की गई थी। वर्ष 1938 में इस Bureau को पुनर्गठित कर पहले उद्योग निदेशालय, तत्पश्चात् मूल्य नियंत्रण विभाग में संविलीन किया गया। वर्ष 1942 मे मूल्य नियंत्रण विभाग को समाप्त कर खाद्य एवं आपूर्ति विभाग तथा अर्थ एवं संख्या विभाग बनाए गए। अर्थ एवं संख्या विभाग को आर्थिक सलाहकार के अधीन रखा गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरान्त वर्ष 1947 में राज्य सचिवालय के अन्तर्गत आर्थिक सलाहकार एवं निदेशक का पद सृजित करके उसके अधीन अर्थ एवं संख्या विभाग को स्वतंत्र स्वरूप प्रदान किया गया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग के अध्यक्ष प्रो0 एस0के0 रूद्रा (1942–1947) को इसका प्रथम आर्थिक सलाहकार एवं निदेशक बनाया गया। वर्ष 1961 में इस विभाग को अर्थ एवं संख्या निदेशालय के रूप में परिवर्तित किया गया। वर्ष 1971 में नियोजन विभाग के अन्तर्गत राज्य नियोजन संस्थान की स्थापना के साथ ही यह विभाग अर्थ एवं संख्या प्रभाग के वर्तमान स्वरूप में जाना जाने लगा।

वर्ष 1951 तक अर्थ एवं संख्या निदेशालय का दायित्व राज्य मुख्यालय तक ही सीमित रहा। वर्ष 1952 में प्रत्येक जनपद में Economic Intelligence Inspector के पद का सृजन किया गया। तत्पश्चात् विभागीय कार्य सम्पादन एवं विभिन्न ग्राम्य विकास योजनाओं की प्रगति के विवरण के संकलन, भौतिक सत्यापन एवं अनुश्रवण हेतु वर्ष 1958 में प्रत्येक जनपद में जिला सांख्यिकीय अधिकारी के पद सृजित करते हुए उनके कार्यालयों की स्थापना की गई। विकास कार्यों से सम्बन्धित आँकड़ों के रखरखाव तथा प्रगति के अनुश्रवण, सत्यापन एवं मूल्यांकन कार्य के सम्पादन हेतु विकास खण्ड स्तर पर एक–एक प्रगति सहायक (वर्तमान पदनाम सहायक विकास अधिकारी (सांख्यिकीय)) के पद का सृजन वर्ष 1959 में किया गया। विकेन्द्रित नियोजन प्रक्रिया के अन्तर्गत जिला स्तर पर योजनाएं तैयार करने हेतु वर्ष 1973 में प्रत्येक जिला सांख्यिकीय कार्यालय में अर्थ अधिकारी के पद एवं अन्य अधीनस्थ पद सृजित किए गए। वर्ष 1988 में जनपद स्तरीय कार्यालय में पदस्थित श्रेणी–2 के पदों को अर्थ एवं संख्याधिकारी के पुनः पदाभिहीत संवर्ग में सम्मिलित और संविलीन किया गया।

मण्डल स्तर पर सांख्यिकीय कार्यों के सम्पादन, विकास कार्यों के नियोजन एवं अनुश्रवण में मण्डलायुक्त के सहायतार्थ तथा प्रभागीय जनपद कार्यालय के पर्यवेक्षण हेतु वर्ष 1979 में उप निदेशक कार्यालय की स्थापना की गयी।

1.1

प्रभाग का संगठनात्मक ढांचा

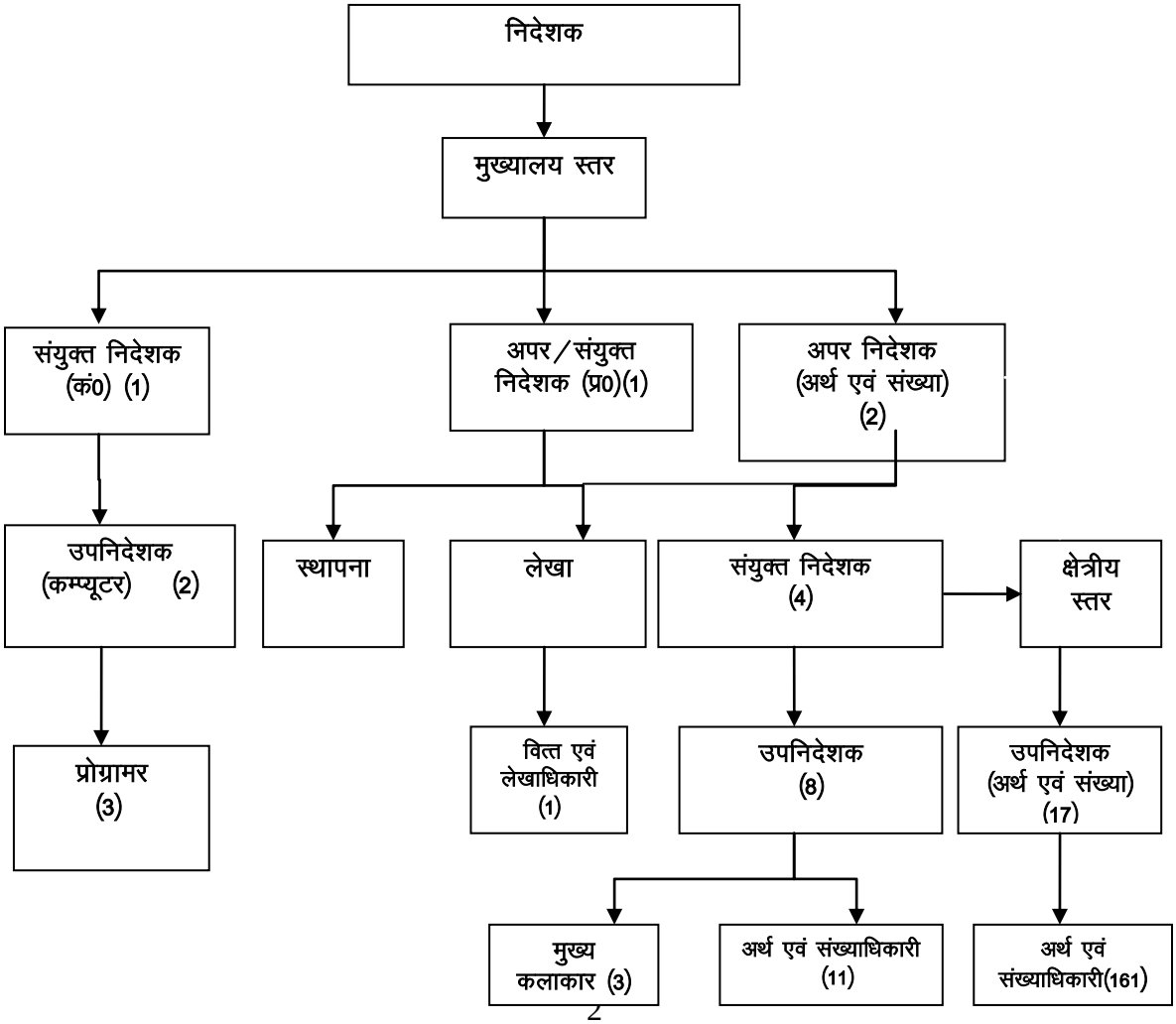

अर्थ एवं संख्या प्रभाग में दिनांक 31–03–2017 को स्वीकृत एवं भरे पदों की संकलित स्थिति निम्नवत् रही–

राजपत्रित			अराजपत्रित			योग		
कुल स्वीकृत पद	भरे हुए पद		कुल स्वीकृत पद	भरे हुए पद		कुल स्वीकृत पद	भरे हुए पद	
	कुल	अनुसूचित जाति / जनजाति		कुल	अनुसूचित जाति / जनजाति		कुल	अनुसूचित जाति / जनजाति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
927	652	158 / 4	1916	982	239 / 25	2843	1654	397 / 29

1.2 प्रभाग की प्रमुख गतिविधियाँ

I. प्रदेश की अर्थ व्यवस्था की नियमित समीक्षा करना।

II. प्राथमिक और द्वितीयक आँकड़ों का एकत्रीकरण, संकलन, विश्लेषण तथा प्रसार करना।

III. राज्य में कार्यान्वित विभिन्न विकास योजनाओं के संकलन, सत्यापन एवं अनुश्रवण कार्य में सहयोग प्रदान करना।

IV. जिला योजना को तैयार करना तथा उसका अनुश्रवण करना।

1.2.1 गतिविधि–I के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किये जाने वाले कार्य

- सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अग्रिम, त्वरित, संशोधित और तिमाही अनुमान तैयार करना।
- सकल स्थायी पूँजी निर्माण के अनुमानों को तैयार करना।
- जनपदीय घरेलू उत्पाद के अनुमान को तैयार करना।
- वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण।
- औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का निर्माण।
- थोक मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तथा ग्रामीण और नगरीय मजदूरी सूचकांक का निर्माण।

1.2.2 गतिविधि–II के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किये जाने वाले कार्य

- राष्ट्रीय प्रतीक सर्वेक्षण के अन्तर्गत राज्य प्रतिदर्श का सर्वेक्षण एवं सम्बन्धित रिपोर्ट का प्रकाशन करना।
- 47 आवश्यक वस्तुओं का भाव संग्रह एवं संकलन करना।
- सांख्यिकीय डायरी, जिला और मण्डलीय सांख्यिकीय पत्रिका, जिलेवार विकास संकेतांकों, अन्तर्राज्यीय तुलनात्मक सांख्यिकी आदि का प्रकाशन करना।
- ग्राम वार आधारभूत आँकड़ों का संग्रह करना।
- आवास साँख्यिकी के आँकड़ों का संग्रह करना।
- भवन निर्माण लागत का निर्माण सूचकांक तैयार करना।

उक्त से सम्बन्धित प्राथमिक आँकड़ों का एकत्रण जनपदीय कार्यालय के माध्यम से कराया जाता है।

1.2.3 गतिविधि–III एवं IV के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किये जाने वाले कार्य

अर्थ एवं संख्या प्रभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा किये जाने वाले प्रमुख कार्य–

- नियमित रूप से प्रभाग से प्राप्त निर्देशों के अनुसार विभिन्न प्राथमिक आँकड़ों का संग्रह, मुख्यमंत्री की प्राथमिकता वाली योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट का संकलन तथा जिला एवं मण्डलीय प्रशासन को योजनाओं के सही क्रियान्वयन हेतु आवश्यक सहयोग प्रदान करना।
- जनपद / मण्डल में कार्यान्वित विभिन्न विकास योजनाओं का भौतिक सत्यापन करना।

- उ०प्र०सरकार के नियोजन विभाग द्वारा कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं यथा–राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, यूनिक आइडेन्टिफिकेशन, त्वरित आर्थिक विकास योजना, नवाचार निधि इत्यादि के क्रियान्वयन में जिला प्रशासन को सहयोग प्रदान करना।
- जिला योजना को तैयार करना और उसकी जिला योजना समिति से मंजूरी प्राप्त करना।

1.3 प्रभाग मुख्यालय पर अनुभागीय संरचना

प्रभाग मुख्यालय पर प्रशासनिक प्रबन्धन एवं कार्य सम्पादन की दृष्टि से निम्नलिखित अनुभागों के अन्तर्गत कार्य संचालित किये जा रहे हैं :–

1. राज्य आय अनुभाग
2. क्षेत्राधीक्षण रा0प्र0स0–1, अनुभाग
3. विश्लेषण रा0प्र0स0–2, अनुभाग
4. डेटा बैंक अनुभाग
5. भाव अनुभाग
6. औद्योगिक सांख्यिकी, अनुभाग
7. आवास सांख्यिकी, अनुभाग
8. संगणक, अनुभाग
9. ग्राफ एवं पुस्तकालय, अनुभाग
10. बाहय सहायतीत कार्यक्रम एवं सर्वेक्षण, अनुभाग
11. समन्वय, प्रशिक्षण एवं शोध अनुभाग
12. स्थापना अनुभाग
13. लेखा अनुभाग–1
14. लेखा अनुभाग–2

1.4 प्रभाग में स्वीकृत पद

1.4.1 प्रभाग मुख्यालय पर स्वीकृत पदों की स्थिति (31–03–2017)

क्र0सं0	पदनाम	दिनांक 01.01.2016 से प्रभावी सातवें वेतन आयोग द्वारा निर्धारित वेतनमान	स्वीकृत पद
(1)	(2)	(3)	(4)
समूह 'क'			
1	आर्थिक बोध एवं संख्या निदेशक	वेतन मैट्रिक्स का लेवल 13क	1
2	अपर निदेशक (प्रशासन)	वेतन मैट्रिक्स का लेवल 13	1
3	अपर निदेशक	वेतन मैट्रिक्स का लेवल 13	2
4	संयुक्त निदेशक	वेतन मैट्रिक्स का लेवल 12	4

5	संयुक्त निदेशक (कम्प्यूटर)	वेतन मैट्रिक्स का लेवल 12	1
6	उप निदेशक	वेतन मैट्रिक्स का लेवल 11	8
7	उप निदेशक (कम्प्यूटर)	वेतन मैट्रिक्स का लेवल 11	2
योग			19
समूह 'ख'			
8	अर्थ एवं संख्याधिकारी	वेतन मैट्रिक्स का लेवल 10	11
9	अपर सॉख्यिकीय अधिकारी	वेतन मैट्रिक्स का लेवल 7	88
10	मुख्य कलाकार	वेतन मैट्रिक्स का लेवल 7	3
11	सहायक लेखाधिकारी	वेतन मैट्रिक्स का लेवल 6	1
12	प्रोग्रामर	वेतन मैट्रिक्स का लेवल 10	3
योग			106
	योग राजपत्रित क+ख		125
समूह 'ग'			
12	सहायक सॉख्यिकीय अधिकारी	वेतन मैट्रिक्स का लेवल 6	50
13	वरिष्ठ कलाकार	वेतन मैट्रिक्स का लेवल 6	3
14	कलाकार	वेतन मैट्रिक्स का लेवल 5	1
15	प्रशासनिक अधिकारी	वेतन मैट्रिक्स का लेवल 7	4
16	प्रधान सहायक	वेतन मैट्रिक्स का लेवल 6	10
17	वैयक्तिक सहायक ग्रेड–1	वेतन मैट्रिक्स का लेवल 7	5
18	वैयक्तिक सहायक ग्रेड–2	वेतन मैट्रिक्स का लेवल 6	12
19	आशुलिपिक	वेतन मैट्रिक्स का लेवल 5	1
20	वरिष्ठ सहायक	वेतन मैट्रिक्स का लेवल 5	13
21	कनिष्ठ सहायक/अवधाता	वेतन मैट्रिक्स का लेवल 3	28
22	पंच सुपरवाइजर	वेतन मैट्रिक्स का लेवल 5	1

23	पंचवेरीफायर आपरेटर ग्रेड–1	वेतन मैट्रिक्स का लेवल 4	9
24	पंचवेरीफायर आपरेटर ग्रेड–2	वेतन मैट्रिक्स का लेवल 2	1
25	जीप चालक	वेतन मैट्रिक्स का लेवल 2	3
योग			**141**
समूह 'घ'			
26	मशीन आपरेटर	वेतन मैट्रिक्स का लेवल 1	1
27	साइक्लोस्टाइल आपरेटर, जमादार, दफतरी	वेतन मैट्रिक्स का लेवल 1	3
28	कार्यालय चपरासी, फर्राश, अर्दली, चौकीदार, पानीवाला, स्वीपर	वेतन मैट्रिक्स का लेवल 1	33
	योग		**37**
	महायोग		**303**

1.4.2 प्रभाग के मण्डलीय कार्यालय में स्वीकृत पदों की स्थिति (31–03–2017)

क्र0सं0	पदनाम	वेतनमान, ग्रेड पे	स्वीकृत पद
(1)	(2)	(3)	(4)
1	उप निदेशक	वेतन मैट्रिक्स का लेवल 11	1
2	अर्थ एवं संख्याधिकारी	वेतन मैट्रिक्स का लेवल 10	1
3	मुख्य कलाकार/वरिष्ठ कलाकार	वेतन मैट्रिक्स का लेवल 7	1
5	अपर सॉख्यिकीय अधिकारी	वेतन मैट्रिक्स का लेवल 7	3
6	आशुलिपिक	वेतन मैट्रिक्स का लेवल 5	1
7	वरिष्ठ सहायक	वेतन मैट्रिक्स का लेवल 5	1
8	कनिष्ठ सहायक	वेतन मैट्रिक्स का लेवल 3	1–2′
9	उर्दू अनुवादक/सह वरि0 सहायक	वेतन मैट्रिक्स का लेवल 4	1′
10	जीप चालक	वेतन मैट्रिक्स का लेवल 2	1′′
11	चपरासी	वेतन मैट्रिक्स का लेवल 1	1–3

* मात्र 7 मण्डलीय कार्यालयों यथा बरेली, लखनऊ, वाराणसी, इलाहाबाद, गोरखपुर, मेरठ तथा फैजाबाद में ही उर्दू अनुवादक के पद सृजित है। इन कार्यालयों में कनिष्ठ सहायक का एक ही पद स्वीकृत है।

** देवीपाटन, बस्ती तथा चित्रकूटधाम मण्डल कार्यालय में पद सृजित नहीं है ।

1.4.3 प्रभाग के जनपद स्तरीय कार्यालय में स्वीकृत पदों की स्थिति (31–03–2017)

क्र0सं0	पदनाम	वेतनमान, ग्रेड पे	स्वीकृत पद
(1)	(2)	(3)	(4)
1	अर्थ एवं संख्याधिकारी	वेतन मैट्रिक्स का लेवल 10	2*
2	वरिष्ठ कलाकार/कलाकार	वेतन मैट्रिक्स का लेवल 6	1
3	अपर सॉख्यिकीय अधिकारी	वेतन मैट्रिक्स का लेवल 7	4–9**
4	सहायक सॉख्यिकीय अधिकारी	वेतन मैट्रिक्स का लेवल 6	1–7**
5	वरिष्ठ सहायक	वेतन मैट्रिक्स का लेवल 5	1–2**
6	कनिष्ठ सहायक	वेतन मैट्रिक्स का लेवल 3	2#
7	डाटा इन्ट्री आपरेटर दैनिक	–	1##
8	जीप चालक	वेतन मैट्रिक्स का लेवल 2	1
9	चपरासी	वेतन मैट्रिक्स का लेवल 1	1–3**

* 5 जनपदों – कन्नौज, बागपत, औरैय्या, कानपुर नगर व संत कबीर नगर में अर्थ एवं संख्याधिकारी के 1–1 पद सृजित हैं।

** जनपद में कार्य की आवश्यतानुसार पद सृजित हैं।

जनपद कानपुर नगर में एक ही पद सृजित है।

4 जनपदों – कन्नौज, बागपत, औरैय्या व संतकबीर नगर में ही पद सृजित।

1.4.4 दिनांक 31–03–2017 को प्रभाग में कुल स्वीकृत एवं भरे पदों की स्थिति

क्र0सं0	पदनाम	वेतनमान	स्वीकृत पद	भरे पद (संख्या)			
				सामान्य	अनु0जाति	अनु0जनजाति	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
समूह 'क'							
1	आर्थिक बोध एवं संख्या निदेशक	वेतन मैट्रिक्स का लेवल 13क	1	1	–	–	1
2	अपर निदेशक (प्रशासन)	वेतन मैट्रिक्स का लेवल 13	1	1	–	–	1

3	अपर निदेशक	वेतन मैट्रिक्स का लेवल 13	2	1	—	—	1
4	संयुक्त निदेशक	वेतन मैट्रिक्स का लेवल 12	4	4	—	—	4
5	संयुक्त निदेशक (कम्प्यूटर)	वेतन मैट्रिक्स का लेवल 12	1	—	1	—	1
6	उप निदेशक	वेतन मैट्रिक्स का लेवल 11	28	23	4	—	27
7	उप निदेशक (कम्प्यूटर)	वेतन मैट्रिक्स का लेवल 11	2	—	1	—	1
योग			**39**	**30**	**6**	**—**	**36**
समूह 'ख'							
8	अर्थ एवं संख्याधिकारी	वेतन मैट्रिक्स का लेवल 10	172	95	28	—	123
9	अपर सॉख्यिकीय अधिकारी	वेतन मैट्रिक्स का लेवल 7	692	380	116	4	500
10	मुख्य कलाकार	वेतन मैट्रिक्स का लेवल 7	14	2	6	—	8
11	प्रशासनिक अधिकारी	वेतन मैट्रिक्स का लेवल 7	4	2	1	—	3
12	वित्त एवं लेखाधिकारी	वेतन मैट्रिक्स का लेवल 6	1	1	—	—	1
13	सहायक लेखाकार		1	1	—	—	1
14	लेखाकार		1	—	—	—	—
15	प्रोग्रामर	वेतन मैट्रिक्स का लेवल 10	3	—	—	—	—
योग			**888**	**481**	**151**	**4**	**636**
	योग राजपत्रित क+ख		**927**	**511**	**157**	**4**	**672**
समूह 'ग'							
13	वरिष्ठ कलाकार	वेतन मैट्रिक्स का लेवल 6	33	22	8	1	31

14	कलाकार	वेतन मैट्रिक्स का लेवल 6	52	—	1	—	1
15	सहायक सॉख्यिकीय अधिकारी	वेतन मैट्रिक्स का लेवल 6	1035	275	86	14	375
17	प्रधान सहायक	वेतन मैट्रिक्स का लेवल 6	10	9	1	—	10
18	वैयक्तिक सहायक ग्रेड–1	वेतन मैट्रिक्स का लेवल 7	5	1	—	—	1
19	वैयक्तिक सहायक ग्रेड–2	वेतन मैट्रिक्स का लेवल 6	12	10	2	—	12
20	आशुलिपिक	वेतन मैट्रिक्स का लेवल 5	18	6	6	—	12
21	वरिष्ठ सहायक	वेतन मैट्रिक्स का लेवल 5	171	128	35	3	166
22	कनिष्ठ सहायक/अवधाता	वेतन मैट्रिक्स का लेवल 3	202	79	55	3	137
23	उर्दू अनुवादक/ सह वरि0 सहायक	वेतन मैट्रिक्स का लेवल 4	7	7	—	—	7
24	पंच सुपरवाइजर	वेतन मैट्रिक्स का लेवल 5	1	—	—	—	—
25	पंचवेरीफायर आपरेटर ग्रेड–1	वेतन मैट्रिक्स का लेवल 4	9	1	—	—	1
26	पंचवेरीफायर आपरेटर ग्रेड–2	वेतन मैट्रिक्स का लेवल 2	1	—	—	—	—
27	जीप चालक	वेतन मैट्रिक्स का लेवल 2	83	40	13	1	54
28	डाटा इन्ट्री आपरेटर दैनिक		4	—	—	—	—
	योग		1643	578	207	22	807
समूह 'घ'							
29	मशीन आपरेटर	वेतन मैट्रिक्स का लेवल 1	1	—	—	—	—
30	साइक्लोस्टाइल आपरेटर, जमादार, दफतरी	वेतन मैट्रिक्स का लेवल 1	3	—	—	—	—
31	कार्यालय चपरासी, फर्राश, अर्दली, चौकीदार, पानीवाला, स्वीपर	वेतन मैट्रिक्स का लेवल 1	269	140	32	3	175
योग			**273**	**140**	**32**	**3**	**175**
महायोग			**2843**	**1229**	**396**	**29**	**1654**

1.5 प्रभाग मुख्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय के भवनों की स्थिति

वर्तमान में प्रभाग मुख्यालय का कार्यालय 9, सरोजिनी नायडू मार्ग, योजना भवन परिसर, लखनऊ स्थित अर्थ एवं संख्या भवन में स्थापित है। मण्डलीय उप निदेशक(अर्थ एवं संख्या) के 5 कार्यालय – आजमगढ़, फैजाबाद, चित्रकूटधाम, अलीगढ़ एवं लखनऊ मण्डल शासकीय भवन में स्थित हैं। शेष 12 मण्डल कार्यालय निजी भवन में स्थापित हैं। 70 जनपदो के अर्थ एवं संख्याधिकारी कार्यालय विकास भवन में स्थित है। 05 जनपदों–चित्रकूट, चन्दौली, श्रावस्ती, अमेठी एवं गाजीपुर के कार्यालय निजी भवनों में स्थापित है।

******

अध्याय–2
राज्य आय अनुभाग

अर्थ एवं संख्या प्रभाग के राज्य आय अनुभाग में निम्नलिखित कार्य सम्पादित किए जाते हैंः–

1. राज्य आय अनुमान
2. जिला आय अनुमान
3. उत्तर प्रदेश के आय–व्ययक का आर्थिक एवं कार्य सम्बंधी वर्गीकरण
4. उत्तर प्रदेश की आर्थिक समीक्षा
5. सकल स्थायी पूँजी निर्माण
6. उत्तर प्रदेश के स्थानीय निकायों के आय, व्यय, पूँजी व्यय, स्वच्छता सेवा एवं रोजगार सम्बन्धी आँकड़े
7. स्थानीय निकायों के आय–व्ययक वर्गीकरण सम्बंधी कार्य

2.1. राज्य आय अनुमान (State Income Estimates)

2.1.1 सामान्य परिचय

- राज्य आय अनुमान एक वर्ष की अवधि में राज्य की भौगोलिक सीमाओं के अंदर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के परिमाण का मापक है।
- राज्य आय अनुमान स्थायी एवं प्रचलित भावों पर तैयार किये जाते हैं। स्थायी भावों पर तैयार अनुमान भाव परिवर्तन के प्रभाव से मुक्त होने के कारण अर्थव्यवस्था में हुई वास्तविक वृद्धि को दर्शाते हैं।
- सकल राज्य आय से स्थायी पूँजी के उपयोग/ह्रास को घटाने पर निवल राज्य अनुमान प्राप्त होते हैं।
- अर्थव्यवस्था के आर्थिक स्तर के बोध के लिए, विभिन्न राज्यों की तुलनात्मक आर्थिक स्थिति ज्ञात करने, समय के साथ अर्थव्यवस्था की खण्डीय संरचना में हुए परिवर्तन का संज्ञान करने एवं अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्यों के मूल्यांकन एवं अनुश्रवण हेतु इन अनुमानों का प्रयोग किया जाता है।

2.1.2 राज्य स्तरीय अनुमानों की पृष्ठभूमि व आधार वर्ष

- अर्थ एवं संख्या प्रभाग द्वारा राज्य आय के अनुमान वर्ष 1950–51 से निरन्तर तैयार किये जा रहे हैं।
- सर्वप्रथम आधार वर्ष 1948–49 पर राज्य आय अनुमान तैयार किये गये। तद्पोरान्त आधार वर्ष 1960–61, 1970–71, 1980–81, 1993–94 व 1999–2000 व 2004–05 पर अनुमान तैयार किये गये। वर्ष 2016–17 में आधार वर्ष 2011–12 पर वर्ष 2011–12 से वर्ष 2015–16 तक के अनुमान तैयार किये गये हैं।

2.1.3 खण्डीय संरचना व आँकड़ों के स्रोत

- अर्थव्यवस्था के समस्त आर्थिक क्रिया–कलापों को 13 खण्डों में विभाजित कर खण्डवार आय अनुमान तैयार किये जाते हैं।
- उक्त क्रिया–कलापों/खण्डों को 3 प्रमुख खण्डों यथा प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक खण्डों में वर्गीकृत किया गया है।
- आय अनुमान तैयार करने हेतु प्रदेश के विभिन्न विभागों यथा , उद्यान, राजस्व, पशुपालन, वन, मत्स्य, खनिज, विद्युत, परिवहन, भण्डारण आदि, प्रदेश के स्थानीय निकायों, स्वयत्तशासी संस्थानों, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, राज्य सरकार के बजट अभिलेख, जनगणना 2011 तथा केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के द्वारा केन्द्रीय अंश के उपलब्ध कराये गये आँकड़ों का प्रयोग किया जाता है। असंगठित क्षेत्र के अनुमान तैयार करने हेतु नवीनतम् सर्वेक्षणों/अध्ययनों के उपलब्ध परिणामों का प्रयोग किया जाता है।

2.1.4 रीति विधायन

- केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा उपलब्ध करायी गयी रीति विधायन एवं दिशा–निर्देशन का अनुसरण करके अनुमान तैयार किये जाते हैं।
- राज्य आय अनुमान के अन्तर्गत अर्थव्यवस्था के समस्त आर्थिक क्रिया–कलापों का मापन निहित है। अतः विभिन्न खण्डों के लिये आय मापन हेतु अलग–अलग विधि यथा प्रोडक्शन अप्रोच, इनकम अप्रोच एवं एक्सपेंडिचर अप्रोच का प्रयोग किया जाता है।
- राज्य आय के वार्षिक अनुमानों को प्रदेश की सांख्यिकीय समन्वय समिति की गठित उपसमिति ''क्षेत्रफल, जनसंख्या, राज्य आय एवं आर्थिक सूचकांक'' की बैठक आयोजित कराकर विभिन्न विभागों द्वारा उपलब्ध कराये गये आँकड़ों पर गहन विचार–विमर्श के उपरान्त आँकड़ों की पुष्टि कराकर अंतिम रूप दिया जाता है।
- वार्षिक आय अनुमानों को केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के साथ प्रत्येक वर्ष तुलनात्मक विचार–विमर्श एवं अधुनान्त उपलब्ध आँकड़ों के क्रम में संशोधित कर परिष्कृत किया जाता है।

2.1.5 वार्षिक कैलेन्डर

वर्षान्तर्गत राज्य आय के त्वरित, अग्रिम व संशोधित अनुमान तथा त्रैमासिक अनुमान निर्गत किये जाते हैं।केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की अपेक्षानुसार उक्त अनुमानों को तैयार करने हेतु एडवांस रिलीज कैलेन्डर का निर्धारण किया गया जो निम्नवत् हैः–

Revised Advance Release Calendar of Estimates of GSDP

क्र0 सं0	आय अनुमान	तैयार करने हेतु निर्धारित तिथि
1.	राज्य आय के अग्रिम अनुमान	15 फरवरी
2.	राज्य आय के संशोधित अनुमान	30 जून
3.	राज्य आय के त्रैमासिक अनुमान Q1 (अप्रैल–जून)	30 सितम्बर
4.	राज्य आय के त्रैमासिक अनुमान Q2 (जुलाई–सितम्बर)	15 जनवरी
5.	राज्य आय के त्रैमासिक अनुमान Q3 (अक्टूबर–दिसम्बर)	31 मार्च
6.	राज्य आय के त्रैमासिक अनुमान Q4 (जनवरी–मार्च)	15 जुलाई
7.	राज्य आय के त्वरित अनुमान	31 दिसम्बर
8.	राज्य आय अनुमान, उत्तर प्रदेश (वार्षिक प्रकाशन)	31 दिसम्बर (विधानसभा के बजट सत्र में प्रस्तुत किया जाता है।)

2.1.6 वर्ष 2016–17 में सम्पादित कार्य

- आधार वर्ष 2011–12 पर वर्ष 2011–12 से वर्ष 2015–16 तक के प्रचलित एवं स्थायी भावों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) व निवल राज्य घरेलू उत्पाद (NSDP) के अनुमान तैयार करने हेतु

प्रदेश की सांख्यिकीय समन्वय समिति की गठित उपसमिति ''क्षेत्रफल, जनसंख्या, राज्य आय एवं आर्थिक सूचकांक'' की दिनांक 28 दिसम्बर 2016 को आयोजित बैठक में विभिन्न खण्डों के ऑकड़ों की पुष्टि करायी गयी।

- उक्त अनुमानों से सम्बन्धित विषयवस्तु, विभिन्न परिणामों की तालिकायें/ग्राफ/चार्ट तैयार करके एवं विश्लेषण कर प्रभाग का वार्षिक प्रकाशन ''राज्य आय अनुमान वर्ष 2011–12 से वर्ष 2015–16'' तैयार कर प्रकाशित कराया गया, जो कि नियोजन विभाग के बजट साहित्य के अन्तर्गत बजट सत्र में विधानमण्डल के माननीय सदस्यों में वितरित की जाती है।
- प्रचलित एवं स्थायी भावों पर वर्ष 2016–2017 के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) व निवल राज्य घरेलू उत्पाद (NSDP) के अग्रिम अनुमान तैयार किये गये।
- वर्षान्तर्गत निम्न 4 त्रैमासों के प्रचलित एवं स्थायी भावों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) व निवल राज्य घरेलू उत्पाद (NSDP) के अनुमान निर्धारित कैलेन्डर के अनुरूप तैयार किये गये–

भारत तथा उत्तर प्रदेश की सकल आय

वर्ष	प्रचलित भावों पर सकल आय (करोड़ रू0)		भारत से उत्तर प्रदेश का प्रतिशत	स्थायी (2011–12) भावों पर सकल आय (करोड़ रू0)		भारत से उत्तर प्रदेश का प्रतिशत	स्थायी (2011–12) भावों पर सकल आय में गत वर्ष से प्रतिशत वृद्धि	
	भारत	उत्तर प्रदेश		भारत	उत्तर प्रदेश		भारत	उत्तर प्रदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2011–12	8736039	724049	8.3	8736039	724049	8.3	–	–
2012–13	9946636	822903	8.3	9215125	754687	8.2	5.5	4.2
2013–14	11236635	944676	8.4	9817822	803013	8.2	6.5	6.4
2014–15	12433749	1042882	8.4	10522686	852453	8.1	7.2	6.2
2015–16	13675331	1144494	8.4	11357529	941988	8.1	7.9	7.3

भारत तथा उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय

वर्ष	प्रचलित भावों पर प्रति व्यक्ति आय (रू0)		भारत से उत्तर प्रदेश का प्रतिशत	स्थायी (2011–12) भावों पर प्रति व्यक्ति आय (रू0)		भारत से उत्तर प्रदेश का प्रतिशत	स्थायी (2011–12) भावों पर प्रति व्यक्ति आय में गत वर्ष से प्रतिशत वृद्धि	
	भारत	उत्तर प्रदेश		भारत	उत्तर प्रदेश		भारत	उत्तर प्रदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2011–12	63460	32002	50.4	63460	32002	50.4	–	–
2012–13	71011	35837	50.5	65568	32737	49.9	3.3	2.3
2013–14	79146	40332	51.0	68717	34079	49.6	4.8	4.1
2014–15	86513	43876	50.7	72712	35610	49.0	5.8	4.5
2015–16	94178	47496	50.4	77524	37647	48.6	6.6	5.7

- माह जनवरी 2016 से मार्च 2016– चतुर्थ त्रैमास (वर्ष 2015–16)
- माह अप्रैल 2016 से जून 2016– प्रथम त्रैमास (वर्ष 2016–17)

- माह जुलाई 2016 से सितम्बर 2016– द्वितीय त्रैमास (वर्ष 2016–17)
- माह अक्टूबर 2016 से दिसम्बर 2016– तृतीय त्रैमास (वर्ष 2016–17)

2.1.7 प्रशिक्षण / सेमिनार / वर्कशाप

आधार वर्ष 2011–12 पर तैयार किए गए वर्ष 2011–12 से वर्ष 2015–16 तक के प्रदेश के आय अनुमानों पर केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा 16 मई 2016 से 20 मई 2016 की अवधि में तुलनात्मक विचार–विमर्श आयोजित किया गया जिसमें प्रदेश से निदेशक, अर्थ एवं संख्या, संबन्धित कार्य को देख रहे उप निदेशक, अर्थ एवं संख्याधिकारी तथा पॉच अपर सांख्यिकीय अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। एक कार्यशाला का आयोजन दिनांक 17 से 21 अक्टूबर, 2016 की अवधि में मुक्तेश्वर, उत्तराखण्ड में किया गया, जिसमें प्रभाग से संबन्धित कार्य को देख रहे उप निदेशक व सात अपर सांख्यिकीय अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

2.1.8 मुख्य परिणाम

नोट : 1. उ0प्र0 के आधार वर्ष 2011–12 पर वर्ष 2014–15 के अनन्तिम, 2015–16 के त्वरित अनुमान।
2. भारत के आधार वर्ष 2011–12 पर वर्ष 2012–13 से वर्ष 2013–14 के तृतीय संशोधित अनुमान, वर्ष 2014–15 के द्वितीय संशोधित अनुमान व वर्ष 2015–16 प्रथम संशोधित अनुमान ।

भारत तथा उत्तर प्रदेश की सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत वितरण (प्रचलित भावों पर)

खण्ड	2011–12		2012–13		2013–14		2014–15		2015–16	
	भारत	उत्तर प्रदेश	भारत	उत्तर प्रदेश	भारत	उत्तर प्रदेश	भारत	उत्तर प्रदेश	भारत	उत्तर प्रदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
कृषि, वानिकी एवं मत्स्यन	18.5	26.9	18.3	27.4	18.6	26.9	18.0	25.4	17.5	25.6
प्राथमिक	21.7	27.8	21.4	28.3	21.5	27.8	20.8	26.3	19.8	26.5
विनिर्माण	17.4	12.9	17.1	12.2	16.5	12.8	16.4	12.6	16.6	12.5
माध्यमिक	29.3	26.7	28.6	25.8	27.9	26.1	27.4	26.3	27.2	25.9
तृतीयक	49.0	45.5	50.0	45.9	50.6	46.1	51.8	47.4	53.0	47.6
सकल मूल्य वर्धन (बुनियादी मूल्यों पर)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

भारत तथा उत्तर प्रदेश की सकल घरेलू उत्पाद में गतवर्ष से प्रतिशत वृद्धि (2011–12 भावों पर)

खण्ड	2011–12		2012–13		2013–14		2014–15		2015–16	
	भारत	उत्तर प्रदेश	भारत	उत्तर प्रदेश	भारत	उत्तर प्रदेश	भारत	उत्तर प्रदेश	भारत	उत्तर प्रदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
कृषि, वानिकी एवं मत्स्यन			1.5	4.6	5.6	–0.5	–0.3	–3.1	0.8	4.8
प्राथमिक			1.2	4.6	5.2	0.5	1.8	–2.8	2.6	5.3

विनिर्माण			5.9	4.3	5.1	13.9	7.5	5.3	10.6	9.6
माध्यमिक			3.9	2.9	4.3	8.0	6.1	6.3	7.8	8.0
तृतीयक			8.3	5.5	7.7	7.1	9.5	9.8	9.8	7.3
सकल मूल्य वर्धन (बुनियादी मूल्यों पर)			5.4	4.6	6.2	5.5	6.9	5.5	7.8	7.0
सकल घरेलू उत्पाद (बाजार मूल्यों पर)			5.5	4.2	6.5	6.4	7.2	6.2	7.9	7.3

2.2 जिला आय अनुमान (District Income Estimates)

2.2.1 सामान्य परिचय

राज्य के संतुलित एवं समग्र विकास हेतु आवश्यक है कि क्षेत्रीय एवं अन्तर्जनपदीय आय वैभिन्नताओं (disparities) को कम किया जाये। अतः सुनियोजित विकास हेतु जनपद स्तरीय आर्थिक संकेतक अति आवश्यक हैं। विकेन्द्रीकृत नियोजन प्रणाली के परिप्रेक्ष्य में इन संकेतकों का महत्व एवं आवश्यकता और अधिक हो जाती है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अर्थ एवं संख्या प्रभाग द्वारा जिला आय अनुमान तैयार किये जाते है। मानव विकास सूचकांक/प्रतिवेदन तैयार करने में इन अनुमानों का विशेष महत्व है।

2.2.2 पृष्ठभूमि व रीति विधायन

सर्वप्रथम नेशलन काउंसिल ऑफ अपलाईड इकनॉमिक रिसर्च, नई दिल्ली द्वारा वर्ष 1963 में वर्ष 1955–56 के प्रचलित भावों पर जिला आय अनुमान अपने प्रकाशन ''इंटर डिस्ट्रिक्ट एण्ड इंटर स्टेट डिफरेन्सियल्स 1955–56'' में प्रकाशित किए गए। वर्ष 1974 में लखनऊ विश्वविद्यालय के स्व. प्रोफेसर बलजीत सिंह द्वारा मोनोग्राम ''इंटर डिस्ट्रिक्ट इन्कम एण्ड इकोनॉमिक प्रोफाइल्स ऑफ उत्तर प्रदेश'' प्रस्तुत किया गया।

अर्थ एवं संख्या प्रभाग द्वारा सर्वप्रथम प्रचलित भावों पर वर्ष 1968–69 में जनपदवार 5 वस्तु उत्पादन खण्डों यथा–कृषि एवं पशुपालन, वन उद्योग एवं लट्ठे बनाना, मछली उद्योग, खनन् तथा पत्थर निकालना एवं

विनिर्माण के अनुमान तैयार किये गये। इन अनुमानों में अपनायी गयी पद्धति पर केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से विचार–विमर्श किया गया। वर्ष 1978 में उक्त 5 वस्तु उत्पादन खण्डों के अनुमान प्रचलित एवं स्थायी भावों पर वर्ष 1960–61, 1968–69 और 1970–71 से 1973–74 तक के लिए तैयार किये गये जो वर्ष 1996–97 तक बनाये गये।

अगस्त 1996 में उत्तर प्रदेश तथा कर्नाटक राज्यों के अर्थ एवं संख्या विभाग ने संयुक्त रूप से अर्थ व्यवस्था के समस्त 13 खण्डों के जिला आय अनुमान तैयार करने के लिए मेथोडोलॉजी निर्धारित की जो कि केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अनुमोदनोपरान्त समस्त राज्यों में लागू की गयी। इस रीति विधायन का अनुसरण करके राज्य आय की ही भांति जिला आय अनुमान अर्थ व्यवस्था के समस्त 13 खण्डों के लिए वर्ष 1993–94 तथा 1997–98 के लिए तैयार किये गये। तत्पश्चात् आगामी वर्षों में इसी प्रकार समस्त 13 खण्डों के अनुमान तैयार किये जा रहे हैं।

2.2.3 आधार वर्ष

जिला आय अनुमान तैयार करने हेतु आधार वर्ष को राज्य आय अनुमान के आधार वर्ष के अनुसार ही रखा जाता है। जिला आय अनुमान हेतु आधार वर्ष को राज्य आय अनुमान की ही भांति वर्ष 2011–12 पर परिवर्तित किया गया है तथा आगामी वर्ष में जिला आय अनुमान आधार वर्ष 2011–12 पर निर्गत किये जायेगें।

2.2.4 कैलेन्डर

जिला आय अनुमान दो वर्ष के टाइम लैग से माह फरवरी के अन्त तक जारी किये जाते हैं। उदाहरणतः वर्ष 2015–16 के जिला आय अनुमान फरवरी 2018 के अन्त में निर्गत किये जायेगें।

2.2.5 वर्ष 2016–17 में सम्पादित कार्य

- विभिन्न विभागों से आँकड़ें एकत्र कर उनका संकलन एंव संगणन करके खण्डवार संकलित करके आधार वर्ष 2011–12 पर वर्ष 2011–12 से वर्ष 2014–15 के जिला आय अनुमान तैयार किये गये।
- जिला आय अनुमान अर्थ एवं संख्या प्रभाग की वेबसाइट http://updes.up.nic.in पर उपलब्ध हैं।

2.2.6 मुख्य परिणामः

जिला आय अुनमान वर्ष 2014–15 के मुख्य परिणाम निम्नवत् हैं। उच्चतम् प्रति व्यक्ति निवल उत्पाद (प्रचलित भावों पर) वाले प्रथम 5 जनपदों की क्रमानुसार गत चार वर्षों की स्थिति

(रू. में)

क्र. सं.	वर्ष 2014–15		वर्ष 2013–14		वर्ष 2012–13		वर्ष 2011–12	
1.	गौतमबुद्ध नगर	376782	गौतमबुद्ध नगर	342473	गौतमबुद्ध नगर	275563	गौतमबुद्ध नगर	248919
2.	आगरा	85496	मेरठ	75276	मेरठ	67507	मेरठ	59300
3.	मेरठ	85421	आगरा	73557	लखनऊ	61295	लखनऊ	54682
4.	हापुड़	73523	लखनऊ	64395	हापुड़	54314	आगरा	47559
5.	लखनऊ	65450	बरेली	62808	आगरा	53569	अमरोहा	46716

न्यूनतम् प्रति व्यक्ति निवल उत्पाद (प्रचलित भावों पर) वाले 5 जनपदों की क्रमानुसार गत चार वर्षों की स्थिति

(रू. में)

क्र. सं.	वर्ष 2014–15		वर्ष 2013–14		वर्ष 2012–13		वर्ष 2011–12	
1.	संत कबीर नगर	21269	बहराइच	19800	बहराइच	17580	प्रतापगढ़	15524
2.	बलरामपुर	21415	प्रतापगढ़	20402	प्रतापगढ़	17787	बहराइच	16993
3.	बहराइच	21825	संत कबीर नगर	20850	संत कबीर नगर	19001	संत कबीर नगर	17159
4.	प्रतापगढ़	22124	बलरामपुर	21206	सिद्धार्थ नगर	19879	सिद्धार्थ नगर	17578
5.	सिद्धार्थ नगर	23375	आजमगढ़	22279	देवरिया	20003	श्रावस्ती	18143

2.3. उत्तर प्रदेश के आय–व्ययक का आर्थिक एवं कार्य सम्बन्धी वर्गीकरण

2.3.1 सामान्य परिचय

आय–व्ययक (बजट) राज्य सरकार का एक महत्वपूर्ण अभिलेख है जिसमें सरकार के विभिन्न स्रोतों से आय तथा व्यय की मदों की धनराशि का स्पष्ट उल्लेख रहता है। इन अभिलेखों में संविधान के प्राविधानों एवं वैधानिक नियंत्रण की आवश्यकता तथा प्रशासनिक उत्तरदायित्व एवं लेन देनों के लेखा संपरीक्षा संबंधी उद्देश्यों के अनुसार समस्त प्राप्तियों एवं संवितरणों का वर्णन निर्धारित लेखा शीर्षक के अन्तर्गत रहता है।

- आय–व्ययक संबंधी लेन देनों के आर्थिक एवं प्रयोजनात्मक प्रभावों का अध्ययन करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश के आय–व्ययक (बजट) अनुमानों के विभिन्न मदों को केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के द्वारा उपलब्ध कराई गई रीति विधान के अनुसार पुनः वर्गीकरण एवं पुनः समूहीकृत करके अर्थ एवं संख्या प्रभाग द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन तैयार किया जाता है। यह प्रतिवेदन नियोजन विभाग के बजट साहित्य के अन्तर्गत बजट सत्र में विधानमण्डल के माननीय सदस्यों में वितरित किया जाता है।
- आर्थिक वर्गीकरण में सरकारी ब्यौरेवार व्यय को पृथक करके उनको अर्थपूर्ण आर्थिक श्रेणियों अर्थात् खपत, पूँजी निर्माण, वित्तीय निवेश आदि के रूप में वर्गीकृत किया गया है। प्रयोजनात्मक प्रभावों का अध्ययन करने के उद्देश्य से कार्य संबंधी वर्गीकरण में व्ययों को सम्बन्धित योजनाओं जैसे प्रशासन, सुरक्षा, शिक्षा तथा स्वास्थ्य आदि सेवाओं में बांटकर दिया गया है।
- उत्तर प्रदेश के आय–व्ययक के उक्तानुसार समीक्षात्मक विश्लेषण के आधार पर सार्वजनिक प्रशासन का विभिन्न सेक्टरों यथा राज्य आय, पूंजी निर्माण आदि में अंश का आंकलन किया जाता है।

2.3.2 पृष्ठभूमि

अर्थ एवं संख्या प्रभाग द्वारा वर्ष 1965–66 से आर्थिक वर्गीकरण तथा वर्ष 1966–67 से आर्थिक वर्गीकरण के साथ–साथ कार्य सम्बन्धी वर्गीकरण किया जा रहा है। केन्द्रीय सरकार के वित्त मंत्रालय का अर्थ प्रभाग केन्द्रीय सरकार के आय–व्ययक का आर्थिक वर्गीकरण 1957–58 से तथा आर्थिक एवं कार्य सम्बन्धी वर्गीकरण वर्ष 1967–68 से कर रहा है।

2.3.3 वर्ष 2016–17 में सम्पादित कार्य

- उत्तर प्रदेश सरकार के बजट वर्ष 2016–17 से प्राप्तियों तथा व्यय की 11 पुस्तिकाओं के कोडिंग का कार्य कराने के उपरान्त वर्ष 2014–15 (वास्तविक), वर्ष 2015–16 (पुनरीक्षित अनुमान) तथा वर्ष 2016–17 (आय–व्ययक) के संकलन का कार्य पूर्ण कराया गया।
- वर्ष 2014–15 (वास्तविक) एवं वर्ष 2015–16 (पुनरीक्षित) एवं 2016–17 (आय–व्ययक) की लेखा तालिकायें तैयार कर केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को प्रेषित की गयीं।
- वार्षिक प्रतिवेदन ''उत्तर प्रदेश के आय–व्ययक का आर्थिक एवं कार्य सम्बन्धी वर्गीकरण वर्ष 2016–17'' तैयार करने के उपरान्त प्रकाशित कराकर नियोजन विभाग के बजट साहित्य के अन्तर्गत बजट सत्र में विधानमण्डल के माननीय सदस्यों में वितरित किया गया।

2.3.4 मुख्य परिणाम

आय–व्ययक का आर्थिक वर्गीकरण

(लाख रु० में/प्रतिशत)

क्र.सं.	मद	वास्तविक 2014–15	पुनरीक्षित अनुमान 2015–16	आय–व्ययक अनुमान 2016–17
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	**चालू व्यय**	15455925(71.0)	20102112(66.5)	21833178 (70.8)
1.1	खपत सम्बंधी शुद्ध व्यय	5870289(27.0)	6936178(23.0)	7849122 (25.5)
1.2	साधारण ऋण पर ब्याज	1796141(8.2)	2058744(6.8)	2666521 (8.6)
1.3	राज सहायतायें	1404186(6.5)	1557533(5.1)	1730915 (5.6)

1.4	परिवारों के आय खाते में तथा अन्य संस्थाओं को अन्तरण	5242767(24.1)	8400108(27.8)	8341353 (27.1)
1.5	स्थानीय निकायों को चालू कार्य संचालन के लिये अन्तरण	1142542(5.2)	1149549(3.8)	1245267 (4.0)
2	**पूँजीगत व्यय**	6317824(29.0)	10100886(33.5)	9395679 (29.2)
2.1	कुल स्थिर पूँजी निर्माण	3539047(16.2)	4414872(14.7)	5030274 (16.4)
2.2	स्टाकों में शुद्ध वृद्धि	258737(1.2)	325436(1.0)	498275 (1.6)
2.3	पूँजीगत अन्तरण	239243(1.1)	339434(1.2)	485976 (1.6)
2.4	पूँजी शेयरों में निवेश	1152411(5.3)	2271124(7.5)	1210929 (3.9)
2.5	ऋण एवं अग्रिम	187264(0.9)	988163(3.3)	658798 (2.1)
2.6	सार्वजनिक ऋणों की अदायगियां	941122(4.3)	1761857(5.8)	1511427 (3.6)
योग		**21773749**(100)	**30202998**(100)	**31228857** (100)

आय–व्ययक का कार्य सम्बन्धी वर्गीकरण (लाख रु० में/प्रतिशत)

क्र.सं.	**मद**	**वास्तविक** 2014–15	**पुनरीक्षित अनुमान** 2015–16	**आय–व्ययक अनुमान** 2016–17
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	सामान्य सेवायें	4518399(20.8)	5237214(17.4)	6079720(19.6)
2.	सुरक्षा	6695(0.0)	4883(0.0)	8576(0.0)
3.	शिक्षा	3340579(15.3)	4554407(15.1)	4999776(16.0)
4.	स्वास्थ्य	1306147(6.0)	1891504(6.2)	2177593(6.9)
5.	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण सम्बंधी सेवायें	1607235(7.4)	2359277(7.8)	2332109(7.5)
6.	आवास एवं सामुदायिक सेवायें	1440075(6.6)	1450639(4.8)	2139086(6.9)
7.	सांस्कृतिक एवं धार्मिक सेवायें	79702(0.4)	235512(0.8)	131386(0.4)
8.	आर्थिक सेवायें	6735269(30.9)	10518895(34.8)	9151006(29.2)
9.	अन्य सेवायें	2739648(12.6)	3950667(13.1)	4209605(13.5)
योग		**21773749**(100)	**30202998**(100)	**31228857**(100)

2.4. उत्तर प्रदेश की आर्थिक समीक्षा

अर्थ एवं संख्या प्रभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष ''उत्तर प्रदेश की आर्थिक समीक्षा'' नामक पुस्तिका प्रकाशित की जाती है जो कि बजट सत्र के अन्तर्गत नियोजन विभाग के बजट साहित्य के रूप में विधान मण्डल के माननीय सदस्यों में वितरित की जाती है। उक्त प्रकाशन का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के आर्थिक

एवं सामाजिक कार्य–कलापों का तथ्यात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करना है। ''उत्तर प्रदेश की आर्थिक समीक्षा वर्ष 2015–16'' को नये कलेवर में तैयार कर प्रकाशन हेतु उपलब्ध कराया गया। इस अंक में विशेष रूप से राज्य की अर्थ व्यवस्था का विस्तृत विश्लेषण करने के साथ ही प्रमुख क्षेत्रों यथा जनांकिकी, कृषि एवं सम्वर्गीय व्यवसाय, पशुधन, मत्स्य एवं दुग्ध विकास, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, औद्योगिक प्रगति, सेवाक्षेत्र, अवस्थापना, ऊर्जा एवं संचार, श्रमशक्ति एवं सेवायोजन, प्रदेश में बेरोजगारी की स्थिति, ग्राम्य विकास के कार्यक्रम तथा खनिज एवं विद्युत आदि से सम्बन्धित विश्लेषण किया गया। साथ ही सरकार के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों तथा प्रदेश में व्याप्त चुनौतियों एवं सरकार की प्राथमिकताओं पर भी चर्चा की गयी है। उक्त प्रकाशन में कुल 14 अध्यायों के अन्तर्गत विभिन्न विभागों एवं प्रकाशनों से प्राप्त अद्यतन आँकड़ों को विश्लेषणात्मक रूप में प्रस्तुत किया गया है। पत्रिका को www.updes.up.nic.in पर अवलोकित किया जा सकता है।

2.5 सकल स्थायी पूँजी निर्माण (Gross Fixed Capital Formation(GFCF)

2.5.1 सामान्य परिचय

अर्थ व्यवस्था का विकास मुख्य रूप से पूँजी निवेश (investment) की दर पर निर्भर करता है जिसका आगणन सकल पूँजी निर्माण से किया जाता है। सकल पूँजी निर्माण के अनुमान में सकल स्थायी पूँजी निर्माण तथा स्टाक में परिवर्तन सम्मिलित होता है। राज्य स्तर पर सकल स्थायी पूँजी निर्माण के ही अनुमान तैयार किये जाते हैं। सकल स्थायी पूँजी निर्माण के अनुमान अर्थ व्यवस्था के विकास की योजना के निर्माण हेतु एक आवश्यक संकेतक है।

2.5.2 पृष्ठभूमि एवं कार्यविधि

- अर्थ एवं संख्या प्रभाग द्वारा उत्तर प्रदेश के लिए सकल स्थायी पूँजी निर्माण के अनुमान तैयार करने का कार्य वर्ष 1999–2000 से प्रारम्भ किया गया।
- सकल स्थायी पूँजी निर्माण के अनुमान केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा उपलब्ध करायी गयी रीति विधान के अनुसार तैयार कराये जा रहे हैं।
- राज्य आय अनुमानों की ही भांति सकल स्थायी पूँजी निर्माण के अनुमान अर्थव्यवस्था के समस्त 13 खण्डों हेतु तैयार किये जाते हैं।
- यह अनुमान सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र के अन्तर्गत पारिवारिक खण्ड के लिए तैयार किये जाते हैं। अधिक्षेत्रीय (Supra regional) क्षेत्र के अनुमान केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा उपलब्ध कराये जाते हैं।
- सार्वजनिक क्षेत्र के अन्तर्गत प्रशासनिक विभाग, विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, गैर विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठान एवं स्थानीय निकाय के लिए अलग–अलग अनुमान तैयार किये जाते हैं।
- प्रशासनिक विभाग व विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के अनुमान आय–व्ययक अभिलेखों से आंकलित किये जाते हैं।
- गैर विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के अनुमान तैयार करने हेतु सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो से प्रत्येक वर्ष प्रदेश में कार्यरत प्रतिष्ठानों की सूची प्राप्त की जाती है। तदोपरान्त् प्रत्येक प्रतिष्ठान से उनकी बैलेन्स सीट प्राप्त करके उसका विश्लेषण कर सकल स्थायी पूँजी निर्माण के अनुमान तैयार किये जाते हैं।
- स्थानीय निकायों के पूँजी निर्माण के अनुमान तैयार करने हेतु उत्तर प्रदेश के समस्त नगर निगम, समस्त नगर पालिका परिषद, समस्त छावनी परिषद, समस्त जल संस्थान, समस्त विकास प्राधिकरण, समस्त जिला पंचायत एवं प्रत्येक जिले से चयनित एक नगर पंचायत व प्रत्येक विकास खण्ड से

चयनित एक ग्राम पंचायत के आय–व्ययकों का वर्गीकरण करके स्थायी पूँजी निर्माण के आँकड़े तैयार किये जाते हैं।

- निजी क्षेत्र के अन्तर्गत पारिवारिक खण्ड के अनुमान विभिन्न समाजार्थिक एवं उद्यम सर्वेक्षणों के अधुनान्त उपलब्ध आँकड़ों/परिणामों का प्रयोग करके अर्थव्यवस्था के विभिन्न खण्डों हेतु अलग–अलग तैयार किये जाते हैं।

2.5.3 कैलेन्डर

प्रदेश के आय–व्ययक(बजट) में दिये गये वास्तविक व्यय के अनुक्रम में उस वर्ष के सकल स्थायी पूँजी निर्माण के अनुमान 31 मार्च तक तैयार किये जाते हैं। मार्च 2017 में वर्ष 2013–14 के अनुमान निर्गत किये गये।

2.5.4 वर्ष 2016–17 में सम्पादित कार्य

- उत्तर प्रदेश सरकार के व्यय के ब्यौरेवार अनुमान वर्ष 2015–16 खण्ड 5 के सभी 10 भागों से वर्ष 2013–14 के वास्तविक व्यय के अन्तर्गत पूँजी निर्माण से सम्बन्धित मदों में हुए खर्चों का संकलन किया गया।
- वर्ष 2013–14 में प्रदेश में कार्यरत कुल 40 गैर विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से उनकी बैलेन्स शीट प्राप्त कर उनका विश्लेषण कर संकलन कार्य किया गया।
- स्थानीय निकायों के वर्ष 2013–14 के आय–व्ययक का विश्लेषण कर संकलन किया गया।
- अर्थव्यवस्था के समस्त खण्डों के निजी क्षेत्र के अन्तर्गत पारिवारिक खण्ड के अनुमान तैयार किये गये।
- केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से अधिक्षेत्रीय क्षेत्र हेतु प्राप्त अधुनान्त आँकड़ों का प्रयोग कर राज्य हेतु वर्ष 2013–14 के सकल स्थायी पूँजी निर्माण के अनुमान तैयार किये गये।

2.5.5 मुख्य परिणाम

उ0प्र0 में सकल स्थायी पूँजी निर्माण के अनुमान वर्ष 2013–14 (प्रचलित भावों पर)

(लाख रु0 में)

क्र.सं.	खण्ड	सार्वजनि क्षेत्र	निजी क्षेत्र	योग	गत वर्ष 2012–13 से प्रतिशत वृद्धि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	कृषि एवं पशुपालन	231369	770230	1001599	16.69
2.	वन उद्योग तथालट्ठे बनाना	22793	1139	23932	58.03
3.	मछली उद्योग	72	15	87	58.18
4.	खनन् एवं पत्थर निकालना	128	2181	2309	–7.64
5.	विनिर्माण	55843	2857183	2913026	36.08
6.	निर्माण कार्य	125633	1353280	2609614	32.84
7.	विद्युत, गैस तथा जल सम्पूर्ति	689138	28098	717236	107.88
8.	परिवहन, संग्रहण तथा संचार	297946	805780	1103726	–0.22
9.	व्यापार, होटल, जलपान गृह	8484	117155	125639	13.47
10.	बैंक, व्यापार तथा बीमा	66898	37056	103954	–1.23
11.	स्थावर सम्पदा, आवास गृहों का स्वामित्व तथा व्यवसायिक सेवायें	40313	3552055	3592368	12.89
12.	सार्वजनिक प्रशासन	191827	0	1918271	21.05
13.	अन्य सेवायें	782707	405605	1188312	34.07
योग		**537029**	**9929777**	**15300073**	**24.37**

नोटः सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में अधिक्षेत्रीय वर्ष 2012–13 के आँकड़ें सम्मिलित है ।

2.6. उत्तर प्रदेश के स्थानीय निकायों के आय, व्यय, पूँजी व्यय, स्वच्छता सेवा एवं रोजगार सम्बन्धी आँकड़े

2.6.1 उद्देश्य

राज्य की अर्थ व्यवस्था के मूल्यांकन के सन्दर्भ में तैयार किये जाने वाले राज्य आय अनुमानों विशेष रुप से निर्माण, जल सम्पूर्ति, सार्वजनिक प्रशासन व अन्य सेवा खण्डों के अनुमान तैयार करने हेतु स्थानीय निकायों के आय, व्यय, पूँजी व्यय, रोजगार सम्बंधी आँकड़ों की आवश्यकता होती है।

2.6.2 पृष्ठ भूमि

अर्थ एवं संख्या प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उ0प्र0 द्वारा प्रदेश के स्थानीय निकायों के आय, व्यय, पूँजी व्यय, रोजगार आदि से सम्बंधित सूचना/आंकड़े एकत्र करने का कार्य वर्ष 1967–68 से प्रत्येक वर्ष किया जा रहा है। तत्सम्बंधी वार्षिक प्रतिवेदन का प्रकाशन वर्ष 1983–84 से प्रतिवर्ष किया जा रहा है।

2.6.3 विषय क्षेत्र

स्थानीय निकायों के आय, व्यय, पूँजी व्यय, स्वच्छता सेवा एवं रोजगार सम्बंधी आँकड़े प्रदेश के समस्त नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों, नगर पंचायतों, जिला पंचायतों, विकास प्राधिकरणों, जल संस्थानों एवं छावनी परिषदों से एकत्र किए जाते है।

2.6.4 कार्य विधि

स्थानीय निकायों से सूचना/आँकड़े प्राप्त करने हेतु प्रभाग द्वारा एक संग्रह प्रपत्र निर्धारित किया गया है। जनपद स्तर पर अर्थ एवं संख्याधिकारी कार्यालय द्वारा उक्त संग्रह प्रपत्र पर स्थानीय निकायों से सूचनायें प्राप्त की जाती है। प्राप्त सूचना को निर्धारित अनुसूची पर भरकर मुख्यालय भेजा जाता है। जिससे संकलन तालिकायें तैयार की जाती है, जो निम्न प्रकार है–

- स्थानीय निकायों की आय के आँकड़ों का संकलन प्रपत्र।
- स्थानीय निकायों की व्यय के आँकड़ों का संकलन प्रपत्र।
- स्थानीय निकायों की पूँजी व्यय के आँकड़ों का संकलन प्रपत्र।
- स्थानीय निकायों के कर्मचारियों की संख्या तथा वेतन एवं मजदूरी पर व्यय का संकलन प्रपत्र।

जनपदवार संकलन तालिकाओं को प्रभाग मुख्यालय पर परिनिरीक्षणोपरान्त राज्य स्तरीय तालिकाओं का संकलन कार्य एवं वार्षिक प्रतिवेदन तैयार कर प्रकाशित करने का कार्य किया जाता है।

2.6.5 वर्ष 2016–17 में सम्पादित कार्य

- स्थानीय निकायों के आय, पूँजी व्यय, स्वच्छता सेवा एवं रोजगार सम्बंधी वर्ष 2014–15 के आँकड़े प्रदेश के समस्त 75 जनपदों से प्राप्त कर वार्षिक प्रतिवेदन तैयार कर पत्रिका का प्रकाशन किया गया।
- इसी क्रम में स्थानीय निकायों के वर्ष 2015–16 के आँकड़े समस्त 14 नगर निगमों, 193 नगर पालिका परिषदों, 423 नगर पंचायतों, 75 जिला पंचायतों, 30 विकास प्राधिकरणों, 12 जल संस्थानों तथा (उपशाखा सहित) ग्राम पंचायतों से एकत्र किये गये। उक्त आंकड़ों के संकलन का कार्य किया जा रहा है।

2.6.6 मुख्य परिणाम

- वर्ष 2014–15 में स्थानीय निकायों की कुल आय 1709039.52 लाख रु0 रही जबकि विगत वर्ष 2013–14 में कुल आय 1735070.70 लाख रु0 थी। इस प्रकार वर्ष 2014–15 में आय में लगभग 1.5 प्रतिशत की कमी हुई।
- कुल आय में राजस्व कर से आय 180580.39 लाख रु0 रही। करेत्तर राजस्व का योगदान 426121.62 लाख रु0 तथा अनुदान अंशदान व ऋण से आय 1102337.51 लाख रु0 था। कुल आय में कर राजस्व, करेत्तर राजस्व तथा अनुदान का प्रतिशत अंश क्रमशः 10.6, 24.9 तथा 64.5 प्रतिशत रहा।
- वर्ष 2013–14 में स्थानीय निकायों का कुल व्यय 1492209.48 लाख रु0 था जो कि वर्ष 2014–15 में 0.14 प्रतिशत बढ़कर 1494281.90 लाख रु0 हो गया।
- कुल व्यय में सार्वजनिक निर्माण पर व्यय 46.61 प्रतिशत, विविध व्यय पर 22.57 प्रतिशत, सामान्य प्रशासन एवं राजस्व एकत्रीकरण पर व्यय 16.85 प्रतिशत, जन स्वास्थ्य पर 8.29 प्रतिशत, सुरक्षा एवं सुविधा पर 4.69 प्रतिशत, ऋण की अदायगी पर 0.54 प्रतिशत तथा शिक्षा पर व्यय 0.44 प्रतिशत रहा।
- वर्ष 2014–15 में नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा कुल 821252.11 लाख रु0 पूँजी निर्माण पर व्यय किया गया इस व्यय में प्रमुख रुप से नगर पालिका परिषद द्वारा 197946.51 लाख रु0 व्यय किये गये जो कि कुल पूँजी निर्माण पर व्यय का 24.50 प्रतिशत है। पूँजी निर्माण पर व्यय में 723874.93 लाख रु0 नव निर्माण पर व्यय किया गया जो कि कुल व्यय का 88.14 प्रतिशत था। पूँजी निर्माण पर व्यय में सबसे अधिक व्यय सड़क पुल पुलिया पर 449216.25 लाख रु0, अन्य निर्माण पर 195069.04 लाख रु0, भवन निर्माण पर 149386.59 लाख रु0 तथा औजार मशीन एवं मोटर आदि पर 27580.23 लाख रु0 व्यय किये गये।
- प्राप्त आँकड़ों के आधार पर 31 मार्च, 2015 को समस्त नगरीय स्थानीय निकायों में कुल 132055 कर्मचारी कार्यरत थे जिसमें सर्वाधिक 81661 (61.84 प्रतिशत), कर्मचारी स्वच्छता सेवा में 35129 (26.20 प्रतिशत) कर्मचारी अन्य सेवा में एवं 15265 (11.6 प्रतिशत) कर्मचारी जल सम्पूर्ति सेवा में कार्यरत् थे।

2.7. स्थानीय निकायों के आय–व्ययक वर्गीकरण सम्बंधी कार्य

2.7.1 उद्देश्य

राष्ट्रीय आय व राज्य आय में स्थानीय निकायों के अंश के आंकलन के लिये स्थानीय निकायों के वार्षिक आय–व्यय के आर्थिक वर्गीकरण की आवश्यकता होती है।

2.7.2 पृष्ठ भूमि

केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देशों के अनुरुप स्थानीय निकायों के आय–व्ययक (बजट) वर्गीकरण सम्बंधी कार्य वर्ष 1976 में प्रारम्भ किया गया था।

2.7.3 विषय क्षेत्र

स्थानीय निकायों के आय–व्ययक वर्गीकरण सम्बंधी कार्य हेतु प्रदेश की समस्त नगर निगमों (14), नगर पालिका परिषदों (193), जिला पंचायतों (75), विकास प्राधिकरणों (30) एवं जल संस्थानों (12) छावनी परिषदों (13) तथा प्रत्येक जनपद से चयनित एक नगर पंचायत (75), प्रत्येक विकास खण्ड से चयनित एक ग्राम पंचायत (822) के आँकड़े एकत्रित कर उसका आर्थिक वर्गीकरण तैयार किया जाता है। कोष्ठक में वर्ष 2014–15 की विद्यमान संख्या दर्शायी गयी है।

2.7.4 कार्य विधि

स्थानीय निकायों से आय–व्ययक की सूचना प्राप्त करने हेतु प्रभाग स्तर पर अनुसूची निर्धारित की गयी हैं। जनपद स्तर पर अर्थ एवं संख्याधिकारी कार्यालय द्वारा स्थानीय निकायों से सूचना प्राप्त की जाती है। ग्रामीण व शहरों समस्त निकायों को सूचना एक ही रूपपत्र पर प्राप्त की जाती है। प्राप्त सूचनाओं का मुख्यालय पर संकलन किया जाता है।

संकलन तालिकाओं के आधार पर प्रभाग मुख्यालय पर परिनिरीक्षणोपरान्त राज्य स्तरीय तालिकाओं का संकलन कार्य करके तालिकाओं को केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को प्रेषित किया जाता है।

2.7.5 वर्ष 2016–17 में सम्पादित कार्य

- स्थानीय निकायों के आय–व्ययक वर्गीकरण वर्ष 2014–15 की समस्त राज्य स्तरीय तालिकायें तैयार कर केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को प्रेषित की गयी।
- स्थानीय निकायों के आय–व्ययक वर्गीकरण वर्ष 2015–16 हेतु आँकड़े समस्त 75 जनपदों से प्राप्त किये गये। उक्त आँकड़ों का संकलन का कार्य किया जा रहा है।

******

अध्याय–3
क्षेत्रीय सर्वेक्षण एवं विश्लेषण अनुभाग (रा.प्र.स)

भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (रा.प्र.स.) का गठन वर्ष 1950 में सांख्यिकीय प्रतिचयन पद्धतियों का उपयोग करके असंगठित समाजार्थिक क्षेत्र के आँकड़ों के एकत्रीकरण हेतु किया गया था। इन आकड़ों की उपयोगिता विशेष कर नियोजन एवं नीति–निर्धारण हेतु महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश सरकार का अर्थ एवं संख्या प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय से समन्वय रखते हुए समतुल्य प्रतिदर्श आधार पर नवीं आवृत्ति (वर्ष 1955) से राज्य प्रतिदर्श के रूप में आँकड़े एकत्र करा रहा है।

3.1 क्षेत्राधीक्षण अनुभाग के कार्य एवं उत्तरदायित्व–

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा राज्य प्रतिदर्श के रूप में सर्वेक्षण हेतु उपलब्ध करायी गयी इकाइयों का क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा सर्वेक्षण कार्य का सम्पादन कराया जाता है। इस कार्य के प्रारम्भ होने से पूर्व समस्त क्षेत्रीय एवं मुख्यालय पर तैनात अधिकारियों को आवृत्ति की विषयवस्तु सम्बन्धी पूर्ण प्रशिक्षण राज्य स्तर पर आयोजित कार्यक्रम में दिया जाता है। क्षेत्र में आवृत्ति से सम्बन्धित परिभाषाओं, संकल्पना, परिनिरीक्षण एवं प्रक्रिया सम्बन्धी उठाई जाने वाली पृच्छाओं का समाधान किया जाता है। रा.प्र.स. के अन्तर्गत एकत्रित किये जा रहे आँकड़ों की गुणवत्ता सुनिश्चित कराने हेतु क्षेत्रीय सर्वेक्षण कार्य का नियमित पर्यवेक्षण एवं तदर्थ सर्वेक्षणों से सम्बन्धित कार्यों को क्षेत्राधीक्षण अनुभाग द्वारा सम्पन्न कराया जाता है।

3.1.1 वर्षः 2016–17 में सम्पादित किये गये मुख्य कार्य–:

- **रा0प्र0स0–71वीं आवृत्ति–:**

रा0प्र0स0 71वीं आवृत्ति (जनवरी, 2014 से जून, 2014) में सामाजार्थिक विषय– **"सामाजिक उपभोगः स्वास्थ्य" एवं सामाजिक उपभोगः शिक्षा** पर राज्य हेतु आवंटित कुल 994 (ग्रामीण 616 व नगरीय 378) प्रतिदर्श इकाइयों का क्रमशः अनुसूची 25.0 व अनुसूची 25.2 के माध्यम से सर्वेक्षित समस्त प्रतिदर्श इकाईयों के संग्रहीत ऑकड़ों का वैलीडेशन कार्य पूर्ण कराया गया। इस आवृत्ति में समस्त प्रतिदर्श इकाइयों के अनुसूचीवार वैलीडेटेड ऑकड़ों को अग्रेत्तर कार्य हेतु सम्बन्धित अनुभाग को उपलब्ध करा दिया गया।

- **रा0प्र0स0–72वीं आवृत्ति–:**

रा0प्र0स0–72वीं आवृत्ति (जुलाई, 2014 से जून, 2015) में सामाजार्थिक विषय–**"घरेलू पर्यटन पर व्यय"** पर राज्य को आवंटित कुल 1372 (ग्रामीण 780 व नगरीय 592) प्रतिदर्श इकाइयों का अनुसूची 21.1 के

माध्यम से सर्वेक्षित समस्त प्रतिदर्श इकाईयों के संग्रहीत आकड़ों को वैलीडेट कराकर समंक विधायन हेतु सम्बन्धित अनुभाग को अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु उपलब्ध करा दिया गया है।

➢ **रा0प्र0स0–73वीं आवृत्ति–:**

रा0प्र0स0–73वीं आवृत्ति (जुलाई, 2015 से जून, 2016) में सामाजार्थिक **विषय–असमाविष्ट गैर उद्यम (निर्माण को छोड़कर)** पर राज्य को आवंटित कुल 1676 प्रतिदर्श इकाइयों (ग्रामीण 864 व नगरीय 812) मे से तृतीय उपावृत्ति तक आवंटित 1257 इकाइयों में से अवशेष 12 इकाइयों का सर्वेक्षण मई, 2016 तक कराकर 1257 इकाइयों का सर्वेक्षण पूर्ण कराया गया तथा चतुर्थ उपावृत्ति में आवंटित 419 इकाइयों का सर्वेक्षण पूर्ण कराया गया। सर्वेक्षित समस्त प्रतिदर्श इकाइयों की अनुसूचियों का परिनिरीक्षण कार्य पूर्ण करा लिया गया है। उक्त आवृत्ति में कुल 1676 प्रतिदर्श इकाइयों में से 1560 के संग्रहीत आकड़ों को वैलीडेटेड कराकर मंगा लिया गया है तथा शेष 116 प्रतिदर्श इकाइयों के आकड़ों को वैलीडेट कराने की कार्यवाही की जा रही है।

➢ **रा0प्र0स0–74वीं आवृत्ति–:**

रा0प्र0स0–74वीं आवृत्ति (जुलाई, 2016 से जून, 2017) विषय **"List Frame Based Enterprise Focussed Survey On Services Sector"** से सम्बन्धित है। रा0प्र0स0–74वीं आवृत्ति की सर्वेक्षण अवधि 01 जुलाई, 2016 से 30 जून, 2017 तक भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गयी थी। इस आवृत्ति को प्रथम चरण 01 जुलाई, 2016 से 30 सितम्बर, 2016 और द्वितीय चरण 01 अक्टूबर, 2016 से 30 जून, 2017 के दो चरणों में विभक्त किया गया है।

इस सर्वेक्षण के परिणामों का उपयोग अर्थव्यवस्था के आर्थिक विश्लेषण के लिए ही किया जायेगा यथा–सेवा क्षेत्र जिसका राष्ट्रीय/राज्य आय **(GDP/GSDP)** मे अंश लगातार बढ़ रहा है, की राष्ट्रीय/राज्य आय में भागीदारी का और अधिक सटीक तरीके से मापन, सेवा क्षेत्र की रोजगार मे भागीदारी, सेवा क्षेत्र के अर्न्तगत सम्मिलित विभिन्न सेवाओं/कियाकलापों का अध्ययन आदि।

❖ **रा0प्र0स0–74वीं आवृत्ति प्रथम चरण–:**

- राप्र0स0–74वीं आवृत्ति के प्रथम चरण के अन्तर्गत **आर्थिक गणना (EC) व बिजनेस रजिस्टर (BR) के प्रतिदर्श उद्यमों के भौतिक सत्यापन एवं अधुनान्त** कराने के लिए रा0प्र0स0 कार्यालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13 व 14 जुलाई, 2016 को आयोजित प्रशिक्षकों की अखिल भारतीय कार्यशाला में राज्य से निदेशक श्री गिरजा शंकर कटियार, संयुक्त निदेशक श्री ए0के0 पाण्डेय व उप निदेशक डा0 श्री नाथ यादव द्वारा प्रतिभाग किया गया।
- उक्त के क्रम में दिनांक 29 व 30.07.2016 को प्रभाग मुख्यालय पर आयोजित प्रशिक्षकों की राज्य स्तरीय गोष्ठी में अर्थ एवं संख्या प्रभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इस

आवृत्ति के प्रथम चरण में राज्य को आवंटित कुल 21987 उद्यमों (**EC के 6624 उद्यम व BR के** 15363 उद्यम) के सापेक्ष अक्टूबर, 2017 तक समस्त उद्यमों का सत्यापन कराया गया। सत्यापित प्रतिदर्श उद्यमों की अनुसूचियों का परिनिरीक्षण पूर्ण करा लिया गया है। प्रतिदर्श उद्यमों की परिनिरीक्षित अनुसूचियों से उक्त प्रतिदर्श उद्यमों के आकड़ों मे संशोधन कराया गया।

- रा0प्र0स0 74वीं आवृत्ति में सर्वेक्षित प्रतिदर्श इकाईयो के आकड़ों की डेटा–इन्ट्री साफ्टवेयर हेतु डी0 पी0 डी0 भारत सरकार द्वारा दिनांक 08 व 09 मार्च, 2017 को आयोजित डेटा प्रोसेसिंग वर्कशॉप में प्रभाग के संयुक्त निदेशक श्री ओ0 पी0 सिंह व श्री वी0 डी0 पाण्डेय द्वारा प्रतिभाग किया गया।

❖ **रा0प्र0स0–74वीं आवृत्ति द्वितीय चरण–:**

- रा0प्र0स0–74वीं आवृत्ति के द्वितीय चरण के अन्तर्गत **आर्थिक गणना (EC), बिजनेस रजिस्टर (BR) व कार्पोरेट मामलों के मंत्रालयों के ढांचा (Ministry of Corporate Affairs)** के प्रतिदर्श उद्यमों का सर्वेक्षण सम्पन्न कराने हेतु एन0एस0एस0ओ0 के क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ द्वारा दिनांक 26 व 27.09.2016 को आयोजित प्रशिक्षण में अर्थ एवं संख्या प्रभाग के संयुक्त निदेशक श्री वी0 डी0 पाण्डेय व उप निदेशक श्रीमति अलका बहुगुणा ढ़ौडियाल द्वारा प्रतिभाग किया गया।
- उक्त के क्रम में राज्य स्तरीय प्रशिक्षण दिनांक 14.10.2016 को प्रभाग मुख्यालय पर आयोजित कर क्षेत्रीय अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। द्वितीय चरण के अन्तर्गत कार्पोरेट मामलों के मन्त्रालय का ढ़ाँचा **(MCA)** की आवंटित 3772 प्रतिदर्श उद्यमों के सापेक्ष माह मार्च, 2017 तक 3600 उद्यमों तथा आर्थिक गणना व बिजनेस रजिस्टर की आवंटित 2514 प्रतिदर्श उद्यमों मे से मार्च, 2017 तक 839 उद्यमों का सर्वेक्षण पूर्ण कराया गया। शेष प्रतिदर्श उद्यमों का सर्वेक्षण कार्य प्रगति परं है। उपरोक्त सर्वेक्षित प्रतिदर्श उद्यमों का शत प्रतिशत परिनिरीक्षण पूर्ण कराया गया।

3.2 रा.प्र.स.–2–विश्लेषण अनुभाग

विश्लेषण अनुभाग(रा.प्र.स.–2) का पूर्व नाम हस्तसारिणीकरण अनुभाग था, जिसमें रा.प्र.स. के एकत्रित आँकड़ों का मैनुअली सारिणीयन कार्य किया जाता था। वर्ष 2001 में हस्तसारिणीकरण अनुभाग को रा.प्र.स. विश्लेषण अनुभाग के नाम से नामित किया गया, जो वर्तमान में विश्लेषण अनुभाग (रा.प्र.स.–2) के नाम से जाना जाता है। उक्त के साथ–साथ वर्ष 2001 में ही समसामायिक विषयों पर यथावश्यक तदर्थ सर्वेक्षणों हेतु विभागीय सर्वेक्षण अनुभाग बनाया गया, जिसे जुलाई 2010 में विश्लेषण अनुभाग में संविलीन कर दिया गया। सर्वेक्षण से सम्बन्धित कार्यो को क्षेत्राधीक्षण अनुभाग को व आँकड़ों के विश्लेषण से सम्बन्धित कार्य का दायित्व इस अनुभाग को सौंप दिया गया।

3.2.1 कार्य एवं दायित्व–

प्रभाग मुख्यालय पर विश्लेषण अनुभाग को मुख्यतः रा.प्र.स. के अन्तर्गत एकत्रित आँकड़ों का सारिणीयन पूर्व वैलीडेशन, समंक विधायन, सारिणीयन तथा रिपोर्ट आलेखन एवं प्रकाशन आदि का दायित्व निर्धारित है। रा.प्र.स के अन्तर्गत एकत्रित किये जाने वाले आँकड़े भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों के आधार पर निर्धारित विषय वस्तु पर एकत्रित किये जाते हैं। आँकड़ों के उत्थापन हेतु संगणन विधि तथा सारिणीयन हेतु सारिणीयन कार्यक्रम के प्रारूप एवं प्रकार एस.डी.आर.डी. कोलकाता से उपलब्ध होता है तथा तद्नुसार प्रभाग मुख्यालय के विश्लेषण अनुभाग में कार्यवाही की जाती है। इसके अतिरिक्त योजना आयोग, भारत सरकार से गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों के अनुमान निकालने हेतु निर्धारित कट–ऑफ–प्वाइन्ट्स के आधार पर प्रति व्यक्ति मासिक उपभोक्ता व्यय के राज्य प्रतिदर्श के आँकड़ों के आधार पर गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों का अनुमान निकालने का कार्य भी इस अनुभाग द्वारा किया जाता है। पावर्टी एवं सोशल मॉनीटरिंग परियोजना के अन्तर्गत एकत्रित किये गये आँकड़ों के विधायन, विश्लेषण व रिपोर्ट आलेखन का कार्य भी इसी अनुभाग द्वारा वर्तमान में सम्पादित किया जाता है। रा.प्र.स. के आँकड़ों के आधार पर आवश्यकतानुसार अन्य स्टेटस पेपर भी समय–समय पर तैयार किया जाता है।

3.2.2 वर्ष 2016–17 में सम्पादित कार्य–

- रा.प्र.स. 67वीं आवृत्ति की अनु. 2.34 पर आधारित रिपोर्ट 'उत्तर प्रदेश में असमाविष्ट गैर– (निर्माण को छोड़कर) उद्यमों की प्रचालनात्मक एवं आर्थिक विशेषताएँ (जुलाई 2010–जून 2011)' का प्रकाशन।
- रा.प्र.स. 68वीं आवृत्ति की अनु. 10 पर आधारित रिपोर्ट 'उत्तर प्रदेश में रोजगार–बेरोजगारी की स्थिति (जुलाई 2011–जून 2012)' का प्रकाशन।
- भारत सरकार की एस.एस.एस योजना के अन्तर्गत पंचम पावर्टी एण्ड सोशल मॉनीटरिंग सर्वेक्षण (जनवरी–दिसम्बर 2016) के अन्तर्गत 1896 इकाईयों का सर्वेक्षण कार्य, 972 इकाईयों की डेटा इन्ट्री का कार्य तथा 228 इकाईयों का वैलीडेशन कार्य पूर्ण कराया गया।
- रा.प्र.स. 69वीं आवृत्ति अनुसूची 1.2 पर आधारित तालिकाओं की जाँच एवं ''उत्तर प्रदेश में पेयजल,स्वच्छता,स्वास्थ्य परिचर्या एवं आवासीय स्थिति (जुलाई – दिसम्बर 2012)'' रिपोर्ट के आलेखन का कार्य।
- रा.प्र.स. 70वीं आवृत्ति अनुसूची 18.1, 18.2 तथा 33 पर आधारित तालिकाओं की जाँच का कार्य।
- रा.प्र.स. 67वीं आवृत्ति आवृत्ति अनुसूची 2.34 के केन्द्र तथा राज्य प्रतिदर्श के आँकड़ों की पूलिंग हेतु पूलेबिलिटी टेस्ट, तालिकाओं का निर्माण एवं उनकी जाँच तथा उन पर आधारित रिपोर्ट ''A Report on Unincorporated Non-Agricultural Enterprises (Excluding Construction) In Uttar Pradesh Based on Pooled Data (Central and State sample) of NSS 67th Round (July 2010-June 2011)'' के आलेखन का कार्य।
- रा.प्र.स. 68वीं आवृत्ति आवृत्ति के केन्द्र तथा राज्य प्रतिदर्श के आँकड़ों की पूलिंग हेतु पूलेबिलिटी टेस्ट, तालिकाओं का निर्माण एवं उनकी जाँच तथा उन पर आधारित रिपोर्ट ''A Report on Household Consumer Expenditure and Employment & Unemployment in Uttar Pradesh Based on Pooled Data (Central and State sample) of NSS 68th Round (July 2011-June 2012)'' के आलेखन का कार्य।

3.2.3 वर्ष 2011–12 से 2015–16 के मध्य कराये गये उल्लेखनीय कार्य–

वर्ष 2011–12 से 2015–16 के मध्य रा.प्र.स. सर्वेक्षणों, पी.एस.एम.एस एवं अन्य तदर्थ सर्वेक्षणों पर आधरित निम्नांकित रिपोर्ट प्रकाशित कराने का कार्य सम्पन्न हुआ :–

- रा.प्र.स. 65वीं आवृत्ति की अनु. 0.21 पर आधारित रिपोर्ट 'उत्तर प्रदेश में नगरीय झुग्गी बस्तियों की स्थिति : (जुलाई 2008–जून 2009)' का प्रकाशन
- रा.प्र.स. 65वीं आवृत्ति की अनु. 1.2 पर आधारित रिपोर्ट 'उत्तर प्रदेश में आवासीय स्थिति'' जुलाई 2008–जून 2009' का प्रकाशन
- रा.प्र.स. 65वीं आवृत्ति की अनु. 21.1 पर आधारित रिपोर्ट 'उत्तर प्रदेश में घरेलू यात्रा'' जुलाई 2008–जून 2009' का प्रकाशन
- रा.प्र.स. 66वीं आवृत्ति की अनु. 1.0 (टाईप–1) पर आधारित रिपोर्ट 'उत्तर प्रदेश में पारिवारिक उपभोक्ता व्यय एवं पौष्टिक अन्तर्ग्रहण (जुलाई 2009–जून 2010)' का प्रकाशन
- रा.प्र.स. 66वीं आवृत्ति की अनु. 1.0 (टाईप–2) पर आधारित रिपोर्ट 'उत्तर प्रदेश में पारिवारिक उपभोक्ता व्यय की स्थिति (जुलाई 2009–जून 20107)' का प्रकाशन
- रा.प्र.स. 66वीं आवृत्ति की अनु. 10 पर आधारित रिपोर्ट 'उत्तर प्रदेश में रोजगार–बेरोजगारी की स्थितिः जुलाई 2009–जून 2010 (जुलाई 2009–जून 2010)' का प्रकाशन
- Monitoring Poverty in Uttar Pradesh A Report on the Fourth Poverty and Social Monitoring Survey (PSMS-IV) का प्रकाशन
- रा.प्र.स. 67वीं आवृत्ति की अनु. 0.0 पर आधारित रिपोर्ट 'उत्तर प्रदेश में अनिगमित गैर– उद्यम एवं ग्रामीण सुविधाएँ (जुलाई 2010–जून 2011)' का प्रकाशन
- रा.प्र.स. 68वीं आवृत्ति की अनु. 0.0 पर आधारित रिपोर्ट 'उत्तर प्रदेश में परिवार एवं व्यक्ति (जुलाई 2011–जून 2012)' का प्रकाशन
- रा.प्र.स. 68वीं आवृत्ति की अनु. 1.0 (टाईप–1) पर आधारित रिपोर्ट 'उत्तर प्रदेश में पारिवारिक उपभोक्ता व्यय एवं पौष्टिक अन्तर्ग्रहण (जुलाई 2011–जून 2012)' का प्रकाशन
- रा.प्र.स. 68वीं आवृत्ति की अनु. 1.0 (टाईप–2) पर आधारित रिपोर्ट 'उत्तर प्रदेश में पारिवारिक उपभोक्ता व्यय की स्थिति (जुलाई 2011–जून 2012)' का प्रकाशन
- रा.प्र.स. 69वीं आवृत्ति की अनु. 0.0 पर आधारित रिपोर्ट 'उत्तर प्रदेश में परिवार एवं व्यक्ति (जुलाई 2012–दिसम्बर 2012)' का प्रकाशन
- रा.प्र.स. 66वीं आवृत्ति के केन्द्र तथा राज्य प्रतिदर्श के आँकड़ों की पूलिंग पर आधरित रिपोर्ट 'REPORT ON POOLING OF CENTRAL AND STATE SAMPLE DATA OF NSS 66th ROUND (July 2009 - June 2010)' तैयार कर प्रकाशित करायी गयी।
- रा.प्र.स. 67वीं आवृत्ति की अनु. 2.34 पर आधारित तैयार तालिकाओं की जाँच तथा उस पर आधारित रिपोर्ट 'उत्तर प्रदेश में असमाविष्ट गैर– (निर्माण को छोड़कर) उद्यमों की प्रचालनात्मक एवं आर्थिक विशेषताएँ (जुलाई 2010–जून 2011)' का आलेखन कार्य
- रा.प्र.स. 68वीं आवृत्ति की अनु. 10 पर आधारित तालिकाओं की जाँच तथा उस पर आधारित रिपोर्ट 'उत्तर प्रदेश में रोजगार–बेरोजगारी की स्थिति (जुलाई 2011–जून 2012)' का आलेखन कार्य
- शासन के निर्देशानुसार ग्राम सैफई, जनपद इटावा, उ0प्र0 में एक समाजार्थिक सर्वेक्षण सम्पन्न कराया गया। उक्त सर्वेक्षण हेतु अनुसूचियाँ, अनुदेश, सारिणीयन कार्यक्रम तथा सर्वेक्षणोपरान्त रिपोर्ट आलेखन तथा रिपोर्ट का पी.पी.टी प्रजेन्टेशन तैयार करने का कार्य किया गया।
- भारत सरकार की एस.एस.एस योजना के अन्तर्गत पंचम पावर्टी एण्ड सोशल मॉनीटरिंग सर्वेक्षण जनवरी–दिसम्बर 2016 के मध्य कराये जाने हेतु अनुसूचियों तथा अनुदेशों को तैयार करना, सर्वेक्षण हेतु नामित सर्वेक्षकों तथा पर्यवेक्षकों हेतु राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन

करने का कार्य किया गया। उ0प्र0 राज्य हेतु कुल 2432 इकाईयाँ चयनित हुई। उक्त आवंटन जनगणना 2011 के आधार पर एस.डी.आर.डी., कोलकाता, रा.प्र.स. कार्यालय, भारत सरकार के सहयोग से कराया गया। प्रथम उपावृत्ति जिसकी सर्वेक्षण अवधि जनवरी–मार्च, 2016 थी, तक 536 प्रथम चरण इकाईयों का सर्वेक्षण कार्य पूर्ण करा लिया गया।

3.2.4 उत्तर प्रदेश में पावर्टी एण्ड सोशल मानीटरिंग सर्वेक्षण (पी.एस.एम.एस)

उत्तर प्रदेश में रहने वाले व्यक्तियों के रहन सहन की स्थिति में गुणात्मक सुधार लाने के लिए विश्व बैंक की सहायता से उत्तर प्रदेश में पावर्टी एण्ड सोशल मानीटरिंग सिस्टम का विकास वर्ष 1999 में किया गया। प्रक्रिया के अन्तर्गत प्रथमतः रा.प्र.स. 55वीं आवृत्ति में पारिवारिक उपभोक्ता व्यय की अनुसूची के लिये चयनित प्रतिदर्श परिवारों से विशेष प्रकार से विकसित किये गये निर्धनता मापांक (अनुसूची–99) हेतु सूचनाएं एकत्र करायी गयी थीं। इस मापांक का मुख्य उद्देश्य सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े परिवारों/व्यक्तियों (गरीबों) के लिए संचालित सेवाओं तथा विशेष कार्यक्रमों के प्रभावों का आंकलन के साथ–साथ सेवाओं एवं कार्यक्रमों के लाभार्थियों की सन्तुष्टि एवं दृष्टिकोण पर सीमित जानकारी प्राप्त करने से था। परियोजना के अन्तर्गत सहमति हुई थी कि एक बार बेसलाइन स्थापित होने के बाद लगातार नियमित सामयिक रूप से अनुश्रवण करने हेतु सर्वेक्षणों का कार्यान्वयन किया जायेगा। बेसलाइन सर्वेक्षण में एकत्र आंकड़ों के आधार पर वर्ष 2002 में एक रिपोर्ट प्रकाशित की गयी थी। इसी क्रम में द्वितीय पावर्टी मॉनीटरिंग सर्वेक्षण वर्ष 2002–03 में आयोजित किया गया। इन आंकड़ों का उपयोग कर विश्व बैंक के साथ एक संयुक्त रिपोर्ट जून 2006 में प्रकाशित की गयी। आंकड़ों में अनवरतता बनाये रखने हेतु तृतीय पावर्टी मॉनीटरिंग सर्वेक्षण रा.प्र.स. 64वीं आवृत्ति के साथ तथा चतुर्थ पावर्टी मॉनीटरिंग सर्वेक्षण रा.प्र.स. 66वीं आवृत्ति की अनुसूची 1.0 के टाईप–1 व टाईप–2 से सम्बद्ध कर सम्पन्न कराया गया। तृतीय तथा चतुर्थ पावर्टी मॉनीटरिंग सर्वेक्षण की रिपोर्ट क्रमशः जनवरी 2011 एवं मार्च 2014 में प्रकाशित की गयी। इसी श्रृंखला में भारत सरकार की एस.एस.एस योजना से वित्तपोषित **पंचम पावर्टी एण्ड सोशल मॉनीटरिंग सर्वेक्षण–2016** जनवरी से दिसम्बर 2016 के मध्य सम्पन्न हुआ। जिसके अन्तर्गत राज्य हेतु चयनित 2432 प्रतिदर्श इकाईयों का सर्वेक्षण सम्पन्न कराया गया।

3.2.5 उत्तर प्रदेश में असमाविष्ट गैर– (निर्माण को छोड़कर) उद्यमों की प्रचालनात्मक एवं आर्थिक विशिष्टताएँ (जुलाई 2010–जून 2011)

- यह सर्वेक्षण राज्य के 841 ग्रामों तथा 809 नगरीय खण्डों में किया गया था। उक्त सर्वेक्षित प्रतिदर्श इकाइयों के अन्तर्गत प्रदेश में कुल 26290 प्रतिदर्श उद्यमों से आंकड़े एकत्र किये गये थे, जिसमें से 11467 ग्रामीण क्षेत्र तथा 14823 नगरीय क्षेत्र में सर्वेक्षित हुए।
- राज्य में 53.74 लाख असमाविष्ट गैर– उद्यम अनुमानित हुए। जिनमें से 54.97 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में तथा 45.03 प्रतिशत नगरीय क्षेत्र में अनुमानित हुए।

- राज्य के अनुमानित असमाविष्ट गैर– उद्यमों में से 87.44 प्रतिशत स्व–कार्यरत तथा 12.56 प्रतिशत अधिष्ठान पाये गये। ग्रामीण क्षेत्र में उक्त प्रतिशत क्रमशः 93.07 तथा 6.93 व नगरीय क्षेत्र में क्रमशः 80.67 तथा 19.33 रहा।
- राज्य के अनुमानित असमाविष्ट गैर– उद्यमों में से 24.04 प्रतिशत विनिर्माण, 45.92 प्रतिशत व्यापार तथा 30.03 प्रतिशत अन्य सेवा क्षेत्र में पाये गये।
- राज्य के असमाविष्ट गैर– उद्यमों में 91.2 लाख कर्मकर कार्यरत थे। जिनका प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में 50.5 तथा नगरीय क्षेत्र में 49.5 पाया गया।
- राज्य के ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में असमाविष्ट गैर– उद्यमों में से स्वकार्यरत उद्यमों में सर्वाधिक कर्मकर कार्यरत पाये गये। ग्रामीण क्षेत्र में स्वकार्यरत उद्यमों में यह प्रतिशत व्यापार में 43.6 प्रतिशत, विनिर्माण उद्यमों में 29.3 प्रतिशत तथा 'अन्य सेवा क्षेत्र' उद्यमों में 27.1 प्रतिशत अनुमानित हुए। जबकि नगरीय क्षेत्र में यह प्रतिशत व्यापार में 46.8 प्रतिशत, 'अन्य सेवा क्षेत्र' उद्यमों में 29.5 प्रतिशत तथा विनिर्माण में 23.6 प्रतिशत रहा।
- राज्य के कुल असमाविष्ट गैर– उद्यमों में 98 प्रतिशत बारहमासी तथा 2 प्रतिशत मौसमी एवं आकस्मिक प्रकृति के अनुमानित हुए।
- पिछले 365 दिनों में 95.6 प्रतिशत असमाविष्ट गैर– उद्यमों ने 9 महीने या उससे अधिक कार्य किया।
- राज्य के कुल असमाविष्ट गैर– उद्यमों में से 72.4 प्रतिशत उद्यमों द्वारा 8–11 घण्टा प्रतिदिन कार्य किया गया। यह प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में 69.1 तथा नगरीय क्षेत्र में 76.4 पाया गया।
- राज्य के असमाविष्ट गैर– उद्यमों में से 34.2 प्रतिशत उद्यम 'निर्धारित परिसर' में अवस्थापित थे। घरेलू परिसर के बाहर अवस्थित उद्यमों में 50.2 प्रतिशत उद्यम स्थायी परिसर में तथा 15.5 प्रतिशत अस्थायी परिसर में अवस्थित थे।
- राज्य में 92.3 प्रतिशत गैर मुनाफा संस्थाओं द्वारा अपने खातों का लेखा–जोखा नहीं रखा गया। उक्त प्रतिशत स्वकार्यरत तथा अधिष्ठान के मामले में क्रमशः 95.2 तथा 72.4 रहा।
- राज्य के 11.3 प्रतिशत असमाविष्ट गैर– उद्यमों (only for proprietory and partnership enterprises) का मालिकाना हक 'अनुसूचित जाति' तथा 60.1 प्रतिशत उद्यमों का मालिकाना हक 'अन्य पिछड़ा वर्ग' के व्यक्तियों के पास था। स्वकार्यरत उद्यमों के मामले में यह प्रतिशत क्रमशः 12.1 तथा 61.7 अनुमानित हुआ। ग्रामीण क्षेत्र में 63.3 प्रतिशत उद्यमों का मालिकाना हक 'अन्य पिछड़ा वर्ग' के व्यक्तियों के पास था, जबकि नगरीय क्षेत्र में यह प्रतिशत 56.2 रहा।
- राज्य के 83.9 प्रतिशत उद्यम किसी भी कानून के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं थे। उक्त प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में 90.8 प्रतिशत तथा नगरीय क्षेत्र में 75.4 प्रतिशत पाया गया।
- राज्य में प्रति उद्यम कुल वार्षिक सकल वर्धित मूल्य रू. 1,27,364 अनुमानित हुआ। ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों हेतु उक्त मूल्य क्रमशः रू. 77,236 तथा रू. 1,88,552 रहा।
- राज्य में प्रति कर्मकर कुल वार्षिक सकल वर्धित मूल्य रू. 75,090 अनुमानित हुआ। ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों हेतु उक्त मूल्य क्रमशः रू. 49,556 तथा रू. 1,01,151 रहा।
- राज्य के असमाविष्ट गैर– उद्यमों में भाड़े के कर्मकरों की प्रति कर्मकर वार्षिक परिलब्धियाँ रू. 33,867 अनुमानित हुईं। ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों हेतु उक्त मूल्य क्रमशः रू. 25,667 तथा रू. 38,390 अनुमानित हुआ।
- राज्य में प्रति उद्यम स्थायी परिसम्पत्ति का बाजार मूल्य रू. 2,38,796 अनुमानित हुआ। जिसमें विगत 365 दिनों में रू. 8,296 का निवल आवर्द्धन (net addition) अनुमानित हुआ।
- राज्य में प्रति उद्यम देय वार्षिक किराया रू. 8,339 तथा प्रति उद्यम बकाया कर्ज एवं ब्याज रू. 2,426 अनुमानित हुआ।
- राज्य में प्रति उद्यम प्रचालन व्यय का वार्षिक मूल्य रू. 3,34,401 अनुमानित हुआ। ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों हेतु उक्त मूल्य क्रमशः रू. 1,63,813 तथा रू. 5,42,633 अनुमानित हुआ।

- राज्य में प्रति उद्यम प्राप्ति का वार्षिक मूल्य रू. 4,62,580 अनुमानित हुआ। ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों हेतु उक्त मूल्य क्रमशः रू. 2,41,487 तथा रू. 7,32,460 अनुमानित हुआ।

3.2.6 उत्तर प्रदेश में रोजगार–बेरोजगारी की स्थिति (जुलाई 2011–जून 2012)

- रा.प्र.स. 68वीं आवृत्ति (जुलाई 2011–जून 2012) रोजगार–बेरोजगारी के पंचवर्षीय सर्वेक्षणों की श्रृंखला में नौवाँ सर्वेक्षण था। इस आवृत्ति की अनुसूची 10 'रोजगार–बेरोजगारी' में राज्य प्रतिदर्श के अन्तर्गत 1128 इकाईयों का चयन किया गया जिसमें से 740 प्रतिदर्श इकाईयाँ ग्रामीण तथा 388 इकाईयाँ नगरीय क्षेत्र की थी।
- राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में 02 प्रतिदर्श इकाईयाँ गैर आबाद पायी गयी फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्र में कुल 738 प्रतिदर्श इकाईयाँ तथा नगरीय क्षेत्र में 388 प्रतिदर्श इकाईयाँ सर्वेक्षित की गयी। इस प्रकार राज्य में कुल 1126 प्रतिदर्श इकाईयाँ सर्वेक्षित की गयी।
- ग्रामीण क्षेत्र में 5,904 प्रतिदर्श परिवारों तथा नगरीय क्षेत्र में 3,104 प्रतिदर्श परिवारों से आंकड़े एकत्र किये गये। इस प्रकार कुल 9,008 परिवार सर्वेक्षण में आवृत्त (covered) हुए। इन सर्वेक्षित परिवारों से ग्रामीण क्षेत्र में 33,240 प्रतिदर्श व्यक्ति, नगरीय क्षेत्र में 16,249 प्रतिदर्श व्यक्ति तथा राज्य में कुल 49,489 प्रतिदर्श व्यक्ति आवृत्त (covered) हुए।

3.2.7 परिवार एवं व्यक्ति

- राज्य में 79.6 प्रतिशत परिवार ग्रामीण क्षेत्र में तथा 20.4 प्रतिशत नगरीय क्षेत्र में पाये गये। ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र में परिवार आकार क्रमशः 5.4 तथा 5.1 पाया गया। जबकि महिला प्रधान परिवार का परिवार आकार ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र में क्रमशः 4.3 व 4.0 पाया गया।
- ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र में लिंगानुपात क्रमशः 873 व 876 पाया गया, जबकि महिला प्रधान परिवारों में यह अनुपात दोनों क्षेत्रों में क्रमशः 1309 व 1395 पाया गया।
- ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र में आयुवर्ग 15–59 वर्ष के अन्तर्गत क्रमशः 56.1 प्रतिशत तथा 63.0 प्रतिशत व्यक्ति पाये गये।
- ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्र के 5 वर्ष एवं उससे अधिक आयुवर्ग के पुरूष क्रमशः 75.9 प्रतिशत तथा 80.4 प्रतिशत शिक्षित पाये गये तथा महिलाओं के लिए उक्त प्रतिशत क्रमशः 54.4 तथा 69.5 रहा।
- राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में 1.5 प्रतिशत अ0ज0जा0, 27.7 प्रतिशत अ0जा0 तथा 53.2 प्रतिशत अ0पि0व0 के व्यक्ति अनुमानित हुये। नगरीय क्षेत्र में उक्त प्रतिशत क्रमशः 0.9, 14.4 तथा 48.6 था।
- ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जन जाति में 892, अनुसूचित जाति में 867, अन्य पिछड़ा वर्ग में 887 तथा अन्य में 842 लिंगानुपात पाया गया। नगरीय क्षेत्रों में उक्त प्रतिशत क्रमशः 1083, 859, 861 तथा 899 अनुमानित हुआ।
- ग्रामीण क्षेत्र में सबसे अधिक 'अन्य' वर्ग के व्यक्तियों में 73.4 प्रतिशत साक्षरता थी, तत्पश्चात अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों में 65.7 प्रतिशत, अनुसूचित जाति के व्यक्तियों में 61.7 प्रतिशत साक्षरता अनुमानित हुयी। अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों में सबसे कम 59.5 प्रतिशत साक्षरता अनुमानित हुयी। इसी प्रकार नगरीय क्षेत्र में सबसे अधिक 'अन्य' वर्ग के व्यक्तियों में 87.6 प्रतिशत तत्पश्चात अनुसूचित जनजाति (75.3 प्रतिशत), अन्य पिछड़ा वर्ग (69.6 प्रतिशत) तथा अनुसूचित जाति (63.1 प्रतिशत) में साक्षरता अनुमानित हुयी।

- ग्रामीण क्षेत्र के सर्वाधिक 59.7 प्रतिशत परिवारों का मुख्य परिवार उद्योग 'प्राथमिक क्षेत्र' में पाया गया जबकि नगरीय क्षेत्र के सर्वाधिक 24.4 प्रतिशत परिवारों का मुख्य उद्योग 'तृतीयक क्षेत्र' में पाया गया।
- राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में गैर– में स्वनियोजित परिवार 10.8 प्रतिशत, श्रमिक परिवार 13.6 प्रतिशत, अन्य श्रमिक परिवार 18.4 प्रतिशत व में स्वनियोजित परिवार 45.8 प्रतिशत पाये गये। इसी प्रकार नगरीय क्षेत्र में स्वनियोजित परिवार 46.3 प्रतिशत, नियमित मजदूरी/वेतन अर्जक परिवार 26.4 प्रतिशत, आकस्मिक श्रमिक परिवार 15.4 प्रतिशत व अन्य परिवार 11.9 प्रतिशत अनुमानित हुए।
- ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र में हिन्दू धर्म वाले परिवार क्रमशः 85.2 प्रतिशत व 70.2 प्रतिशत थे, तथा इस्लाम धर्म वाले परिवार क्रमशः 14.2 प्रतिशत तथा 28.3 प्रतिशत थे।
- राज्य के नगरीय क्षेत्र में स्व–नियोजित परिवार प्ररूप के अन्तर्गत 'सिक्ख' धर्म के परिवारों की प्रतिशतता सबसे अधिक 81.5 प्रतिशत, नियमित मजदूरी/वेतनभोगी वर्ग में सर्वाधिक 71.6 प्रतिशत इसाई धर्म के परिवार, आकस्मिक श्रमिक वर्ग में सर्वाधिक 40.8 प्रतिशत अन्य धर्म के परिवार पाये गये।
- राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में 0.005 से 0.40 हे0 के मध्य भूमि धारिता के सर्वाधिक परिवार अनुसूचित जाति (58.8 प्रतिशत), अन्य पिछड़ा वर्ग (46.0 प्रतिशत), अनुसूचित जनजाति (41.8 प्रतिशत) तथा अन्य (29.2 प्रतिशत) पाये गये।
- राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में 'सिक्ख' धर्म के सर्वाधिक (97.7 प्रतिशत) परिवार 1.01 से 4.00 हे0 के मध्य भूमि धारित करते पाये गये, जबकि हिन्दू व इस्लाम धर्म के परिवारों की सर्वाधिक प्रतिशतता धारित भूमि 0.005 से 1.00 हे0 के मध्य हेतु पायी गयी।
- राज्य के ग्रामीण परिवारों में से 24.7 प्रतिशत के पास मनरेगा जॉबकार्ड थे। मनरेगा जॉबकार्ड धारक ग्रामीण परिवारों में से 64.9 प्रतिशत को मनरेगा कार्यों में कार्य मिला तथा 20.4 प्रतिशत परिवारों ने कार्य की तलाश की पर उन्हें कार्य मिला नही, जबकि 14.7 प्रतिशत परिवारों द्वारा कार्य की तलाश नहीं की गयी।

3.2.8 श्रमशक्ति

- राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में 28.8 प्रतिशत व्यक्ति प्रायिक कार्यकलाप (मुख्य) अनुसार, 29.3 प्रतिशत व्यक्ति प्रायिक कार्यकलाप (मुख्य+गौण), 29.1 प्रतिशत व्यक्ति चालू साप्ताहिक कार्यकलाप अनुसार तथा 28.6 प्रतिशत व्यक्ति चालू दैनिक कार्यकलाप अनुसार श्रमशक्ति के अन्तर्गत पाये गये। पुरूषों में यह प्रतिशत क्रमशः 48.6, 48.6, 48.3, तथा 48.0 एवं महिलाओं में यह प्रतिशत क्रमशः 6.1, 7.2, 7.1 तथा 6.5 पाया गया।
- राज्य के नगरीय क्षेत्र में प्रायिक कार्यकलाप (मुख्य) अनुसार 30.6 प्रतिशत, प्रायिक कार्यकलाप (मुख्य+गौण) अनुसार 30.7 प्रतिशत, चालू साप्ताहिक कार्यकलाप अनुसार 30.6 प्रतिशत तथा चालू दैनिक कार्यकलाप अनुसार 30.4 प्रतिशत व्यक्ति श्रमशक्ति के अन्तर्गत पाये गये। पुरूषों में यह प्रतिशत क्रमशः 52.0, 52.1, 52.0 तथा 51.9 एवं महिलाओं में क्रमशः 6.1, 6.3, 6.3 तथा 5.9 पाया गया।

3.2.9 कार्यबल

- ग्रामीण क्षेत्र में प्रायिक कार्यकलाप (मुख्य) अनुसार 28.2 प्रतिशत, प्रायिक कार्यकलाप (मुख्य+गौण) अनुसार 28.7 प्रतिशत, चालू साप्ताहिक कार्यकलाप अनुसार 28.4 प्रतिशत तथा चालू दैनिक कार्यकलाप अनुसार 27.7 प्रतिशत व्यक्ति कार्यबल के अन्तर्गत पाये गये। पुरूषों में यह प्रतिशत क्रमशः 47.6, 47.7, 47.1 तथा 46.5 एवं महिलाओं में क्रमशः 5.9, 7.1, 6.9 तथा 6.2 पाया गया।
- नगरीय क्षेत्र में प्रायिक कार्यकलाप (मुख्य) अनुसार 29.7 प्रतिशत, प्रायिक कार्यकलाप (मुख्य+गौण) अनुसार 29.8 प्रतिशत, चालू साप्ताहिक कार्यकलाप अनुसार 29.7 प्रतिशत तथा चालू दैनिक

कार्यकलाप अनुसार 29.3 प्रतिशत व्यक्ति कार्यबल के अन्तर्गत पाये गये। पुरूषों में यह प्रतिशत क्रमशः 50.7, 50.8, 50.6 तथा 50.1 एवं महिलाओं में क्रमशः 5.7, 6.0, 5.9 तथा 5.5 पाया गया।

3.2.10 बेरोजगारी

- ग्रामीण क्षेत्र में प्रायिक कार्यकलाप (मुख्य) अनुसार 0.6 प्रतिशत, प्रायिक कार्यकलाप (मुख्य+गौण) अनुसार 0.6 प्रतिशत, चालू साप्ताहिक कार्यकलाप अनुसार 0.7 प्रतिशत तथा चालू दैनिक कार्यकलाप अनुसार 0.9 प्रतिशत व्यक्ति बेरोजगार पाये गये। पुरूषों में यह प्रतिशत क्रमशः 1.0, 1. 0, 1.1 तथा 1.5 एवं महिलाओं में क्रमशः 0.2, 0.2, 0.2 तथा 0.2 पाया गया।
- नगरीय क्षेत्र में प्रायिक कार्यकलाप (मुख्य) अनुसार 0.9 प्रतिशत, प्रायिक कार्यकलाप (मुख्य+गौण) अनुसार 0.9 प्रतिशत, चालू साप्ताहिक कार्यकलाप अनुसार 0.9 प्रतिशत तथा चालू दैनिक कार्यकलाप अनुसार 1.1 प्रतिशत व्यक्ति बेरोजगार पाये गये। पुरूषों में यह प्रतिशत क्रमशः 1.3, 1. 3, 1.4 तथा 1.8 जबकि महिलाओं में यह प्रतिशत प्रत्येक कार्यकलाप स्तर पर 0.4 प्रतिशत पाया गया।

3.2.11 ''घरेलू कार्य में व्यस्त'' वर्गीकृत महिलाएं (15 वर्ष व अधिक)

- राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में 15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु वर्ग की 73.9 प्रतिशत महिलाएं पूरे वर्ष घरेलू कार्य करने में व्यस्त पायी गयी। नगरीय क्षेत्र में भी यह प्रतिशत 73.4 पाया गया।
- ग्रामीण क्षेत्र की घरेलू कार्य में व्यस्त महिलाओं में से 58.2 प्रतिशत द्वारा अवगत कराया गया कि घरेलू कार्य करने के लिए कोई दूसरा सदस्य उपलब्ध न होने के कारण ही वे उक्त में संलग्न हैं, जबकि 8.7 प्रतिशत महिलाओं द्वारा सामाजिक और/या धार्मिक प्रतिबन्धों के कारण संलिप्त बतायी गयी।
- नगरीय क्षेत्र की घरेलू कार्य मे व्यस्त महिलाओं में से 52.7 प्रतिशत द्वारा अवगत कराया गया कि घरेलू कार्य करने के लिए कोई दूसरा सदस्य उपलब्ध न होने के कारण ही वे उक्त में संलिप्त हैं, जबकि 8.6 प्रतिशत महिलाओं द्वारा सामाजिक और/या धार्मिक प्रतिबन्धों के कारण संलिप्त बतायी गयी।
- राज्य के ग्रामीण क्षेत्र की घरेलू कार्य में संलिप्त महिलाओं में से सर्वाधिक 4.8 प्रतिशत महिलाओं को डेयरी सम्बन्धी कार्य स्वीकार था। दर्जीगिरी तथा कताई व बुनाई सम्बन्धी कार्य स्वीकार करने वाली महिलाओं का प्रतिशत क्रमशः 3.4 तथा 1.3 अनुमानित हुआ।
- राज्य के नगरीय क्षेत्र की घरेलू कार्य में संलिप्त महिलाओं में सर्वाधिक 6.7 प्रतिशत महिलाओं को दर्जीगिरी सम्बन्धी कार्य स्वीकार था। कताई व बुनाई तथा डेयरी सम्बन्धी कार्य को स्वीकार करने वाली महिलाओं का प्रतिशत क्रमशः 1.7 तथा 1.3 अनुमानित हुआ।
- ग्रामीण क्षेत्र में 48.2 प्रतिशत महिलाओं ने स्वीकार करने योग्य कार्य हेतु आवश्यक कौशल की महत्ता पर बल दिया, जबकि नगरीय क्षेत्र की महिलाओं में यह 35.5 प्रतिशत रहा।

3.2.12 रोजगार स्तर, उद्योग वर्ग संकेतांक व प्रायिक कार्यकलाप स्तर के अनुसार नियोजित व्यक्तियों का वितरण

- राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में समस्त नियोजित पुरूषों में से 60.71 प्रतिशत ' उद्योग वर्ग', 24.76 प्रतिशत 'उत्खनन, विनिर्माण एवं निर्माण उद्योग वर्ग' तथा 14.53 प्रतिशत 'व्यापार, सेवा आदि उद्योग वर्ग' में कार्यरत थे, जबकि उक्त प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र की समस्त नियोजित महिलाओं के मामले में क्रमशः 76.66, 12.45 व 10.89 प्रतिशत अनुमानित हुआ।
- नगरीय क्षेत्र में समस्त नियोजित पुरूषों में से 8.48 प्रतिशत ' उद्योग वर्ग', 33.45 प्रतिशत 'उत्खनन, विनिर्माण एवं निर्माण उद्योग वर्ग' तथा 58.06 प्रतिशत 'व्यापार, सेवा आदि उद्योग वर्ग'

में कार्यरत थे, जबकि उक्त प्रतिशत नगरीय क्षेत्र की समस्त नियोजित महिलाओं के मामले में क्रमशः 8.92, 31.07 व 60.01 प्रतिशत अनुमानित हुआ।

- राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में नियोजित पुरूषों में से 59.96 प्रतिशत स्व–नियोजित व 33.91 प्रतिशत आकस्मिक श्रमिक थे, जबकि नियमित मजदूरी/वेतनभोगी पुरूषों का प्रतिशत मात्र 6.12 प्रतिशत था। उक्त प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के मामले में क्रमशः 63.67, 29.67 व 6.67 प्रतिशत अनुमानित हुआ।
- नगरीय क्षेत्र में नियोजित पुरूषों में से 54.33 प्रतिशत स्व–नियोजित व 19.67 प्रतिशत आकस्मिक मजदूर थे, जबकि नियमित मजदूरी/वेतनभोगी पुरूषों का प्रतिशत 26.00 प्रतिशत था। उक्त प्रतिशत नगरीय क्षेत्र की महिलाओं के मामले में क्रमशः 46.08, 15.55 व 38.36 प्रतिशत अनुमानित हुआ।

3.2.13 नियमित मजदूरी/वेतनभोगी कर्मकरों की औसत परिलब्धियाँ (regular wage/ salaried)

- राज्य के 15–59 वर्ष आयुवर्ग के नियमित वैतनिक/मजदूरी कर्मियों की प्रतिदिन औसत परिलब्धियाँ रू. 449.47 अनुमानित हुई जबकि ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्र के मामले में यह अनुमान क्रमशः 336.02 तथा 544.83 पाया गया।
- ग्रामीण क्षेत्र में 15–59 वर्ष आयु वर्ग के नियमित वेतन/मजदूरी वाले कर्मकरों की प्रतिदिन औसत मजदूरी पुरूषों हेतु रू. 350.01 तथा महिलाओं हेतु रू. 239.44 पायी गयी। जबकि नगरीय क्षेत्र में यह क्रमशः रू. 534.79 तथा रू. 610.05 पायी गयी।
- औसत मजदूरी/वेतनभोगी कर्मकरों की औसत परिलब्धियों का उद्योग वर्गवार अध्ययन करने पर पाया गया कि ग्रामीण क्षेत्र में व्यक्ति सेवा क्षेत्र में सर्वाधिक 495.80 व क्षेत्र में न्यूनतम रू. 109.30 औसत मजदूरी/वेतन अर्जित करते हुए पाये गये। नगरीय क्षेत्र के मामले में व्यक्ति सर्वाधिक रू. 725.71 सेवा क्षेत्र में तथा न्यूनतम रू. 178.04 व्यापार क्षेत्र में औसत मजदूरी/वेतन अर्जित करते हुए पाये गये।

3.2.14 औद्योगिक वर्गीकरण संकेतांक (Industrial Classification code) प्रायिक कार्यकलाप अनुसार कार्यरत व्यक्तियों का वितरण

(क) प्रायिक कार्यकलाप (मुख्य) व उद्यम प्ररूप अनुसार औद्योगिक वर्गीकरण संकेतांक (Industrial classification code) 014, 016, 017, 02, 03 में कार्यरत व्यक्ति

- राज्य में मालिकाना/साझेदारी उद्यम प्ररूप के अन्तर्गत सर्वाधिक 85.9 प्रतिशत व्यक्ति कार्यरत अनुमानित हुये जबकि अन्य तथा सरकारी/सार्वजनिक प्ररूप के अन्तर्गत क्रमशः 13.6 व 0.5 प्रतिशत व्यक्ति कार्यरत अनुमानित हुये।
- ग्रामीण क्षेत्र में मालिकाना/साझेदारी उद्यम प्ररूप के अन्तर्गत सर्वाधिक 82.3 प्रतिशत व्यक्ति कार्यरत अनुमानित हुये जबकि अन्य तथा सरकारी/सार्वजनिक प्ररूप के अन्तर्गत क्रमशः 17.0 व 0.6 प्रतिशत व्यक्ति कार्यरत अनुमानित हुये।
- नगरीय क्षेत्र में मालिकाना/साझेदारी उद्यम प्ररूप के अन्तर्गत सर्वाधिक 98.7 प्रतिशत व्यक्ति कार्यरत अनुमानित हुये जबकि अन्य प्ररूप के अन्तर्गत मात्र 1.3 प्रतिशत व्यक्ति कार्यरत अनुमानित हुये।

(ख) प्रायिक कार्यकलाप (मुख्य) व उद्यम प्ररूप अनुसार औद्योगिक वर्गीकरण संकेतांक (Industrial classification code) 05–99 में कार्यरत व्यक्ति

- राज्य में मालिकाना/साझेदारी उद्यम प्ररूप के अन्तर्गत सर्वाधिक 78.3 प्रतिशत व्यक्ति कार्यरत अनुमानित हुये जबकि सरकारी/सार्वजनिक तथा अन्य प्ररूप के अन्तर्गत क्रमशः 11.2 व 10.5 प्रतिशत व्यक्ति कार्यरत अनुमानित हुये।
- ग्रामीण क्षेत्र में मालिकाना/साझेदारी उद्यम प्ररूप के अन्तर्गत सर्वाधिक 77.6 प्रतिशत व्यक्ति कार्यरत अनुमानित हुये जबकि सरकारी/सार्वजनिक तथा अन्य प्ररूप के अन्तर्गत क्रमशः 11.3 व 11.1 प्रतिशत व्यक्ति कार्यरत अनुमानित हुये।
- नगरीय क्षेत्र में मालिकाना/साझेदारी उद्यम प्ररूप के अन्तर्गत सर्वाधिक 79.4 प्रतिशत व्यक्ति कार्यरत अनुमानित हुये जबकि सरकारी/सार्वजनिक तथा अन्य प्ररूप के अन्तर्गत क्रमशः 11.1 व 9.5 प्रतिशत व्यक्ति कार्यरत अनुमानित हुये।

(ग) प्रायिक कार्यकलाप (मुख्य+गौण) व उद्यम प्ररूप अनुसार औद्योगिक वर्गीकरण कोड (Industrial classification code) 014,016,017,02,03 में कार्यरत व्यक्तियों का वितरण

- राज्य में प्रायिक कार्यकलाप (मुख्य+गौण) व उद्यम प्ररूप अनुसार औद्योगिक वर्गीकरण कोड (Industrial classification code) 014, 016, 017, 02, 03 में मालिकाना/साझेदारी उद्यम प्ररूप के अन्तर्गत सर्वाधिक 91.8 प्रतिशत व्यक्ति कार्यरत अनुमानित हुये जबकि अन्य तथा सरकारी/सार्वजनिक प्ररूप के अन्तर्गत क्रमशः 7.9 व 0.3 प्रतिशत व्यक्ति कार्यरत अनुमानित हुये।
- राज्य में सर्वाधिक 88.8 प्रतिशत व्यक्ति स्व–नियोजित कार्यकलाप स्तर के अन्तर्गत कार्यरत पाये गये। नियमित मजदूरी/वेतनभोगी, अनियमित मजदूरी सार्वजनिक कार्य तथा अनियमित मजदूरी अन्य कार्य में क्रमशः 2.1, 7.3 तथा 1.8 प्रतिशत व्यक्ति कार्यरत पाये गये।

(घ) प्रायिक कार्यकलाप (मुख्य+गौण) व उद्यम प्ररूप अनुसार औद्योगिक वर्गीकरण कोड (Industrial classification code) 05–99 में कार्यरत व्यक्तियों का वितरण

- राज्य में औद्योगिक वर्गीकरण कोड (Industrial classification code)वर्ग 05–99 में मालिकाना/साझेदारी उद्यम प्ररूप के अन्तर्गत सर्वाधिक 78.3 प्रतिशत व्यक्ति अनुमानित हुये जबकि सरकारी/सार्वजनिक तथा अन्य प्ररूप के अन्तर्गत क्रमशः 11.3 व 10.4 प्रतिशत व्यक्ति कार्यरत अनुमानित हुये।
- राज्य में 'अनियमित मजदूरी अन्य कार्य' कार्यकलाप स्तर के अन्तर्गत 37.8 प्रतिशत तथा स्व–नियोजित में 37.5 प्रतिशत व्यक्ति कार्यरत पाये गये।

(च) प्रायिक कार्यकलाप (मुख्य) एवं आर्थिक सम्भागवार व्यक्तियों का वितरण

- राज्य में नियोजित व्यक्तियों का प्रतिशत सर्वाधिक 30.3 प्रतिशत केन्द्रीय क्षेत्र में तथा न्यूनतम 28.1 प्रतिशत पूर्वी क्षेत्र में अनुमानित हुआ।
- ग्रामीण क्षेत्र में नियोजित व्यक्तियों का प्रतिशत सर्वाधिक 33.0 प्रतिशत बुन्देलखण्ड क्षेत्र में तथा न्यूनतम 27.1 प्रतिशत पूर्वी क्षेत्र में अनुमानित हुआ। जबकि नगरीय क्षेत्र में रोजगार व्यक्तियों का प्रतिशत सर्वाधिक बुन्देलखण्ड क्षेत्र में 31.3 प्रतिशत एवं न्यूनतम पूर्वी क्षेत्र में 27.3 प्रतिशत रहा।

(छ) औद्योगिक वर्गीकरण व प्रायिक कार्यकलाप (मुख्य) अनुसार नियोजित व्यक्तियों का आर्थिक सम्भागवार वितरण

- ग्रामीण क्षेत्र के प्रथमिक क्षेत्र (एवं खनन) में नियोजित व्यक्ति केन्द्रीय सम्भाग में सर्वाधिक 69.5 प्रतिशत तथा पूर्वी सम्भाग में न्यूनतम 60.1 प्रतिशत कार्यरत अनुमानित हुए।
- ग्रामीण क्षेत्र में द्वितीयक क्षेत्र (निर्माण एवं विनिर्माण) के अन्तर्गत नियोजित व्यक्ति बुन्देलखण्ड सम्भाग में सर्वाधिक 28.0 प्रतिशत तथा केन्द्रीय सम्भाग में न्यूनतम 20.4 प्रतिशत कार्यरत अनुमानित हुए।
- ग्रामीण क्षेत्र में तृतीयक क्षेत्र (सेवायें) के अन्तर्गत नियोजित व्यक्ति पश्चिमी सम्भाग में सर्वाधिक 16. 1 प्रतिशत तथा बुन्देलखण्ड सम्भाग में न्यूनतम 6.2 प्रतिशत कार्यरत अनुमानित हुए।
- नगरीय क्षेत्र के प्राथमिक क्षेत्र (एवं खनन) में नियोजित व्यक्ति बुन्देलखण्ड सम्भाग में सर्वाधिक 10.9 प्रतिशत तथा पश्चिमी व केन्द्रीय सम्भाग में न्यूनतम 8.4 प्रतिशत कार्यरत अनुमानित हुए।
- नगरीय क्षेत्र के द्वितीयक क्षेत्र (निर्माण एवं विनिर्माण) में नियोजित व्यक्ति पूर्वी सम्भाग में सर्वाधिक 35.0 प्रतिशत तथा बुन्देलखण्ड सम्भाग में न्यूनतम 26.8 प्रतिशत कार्यरत अनुमानित हुए।
- नगरीय क्षेत्र के तृतीयक क्षेत्र (सेवायें) में नियोजित व्यक्ति केन्द्रीय सम्भाग में सर्वाधिक 62.6 प्रतिशत तथा पूर्वी सम्भाग में न्यूनतम 56.1 प्रतिशत कार्यरत अनुमानित हुए।

******

अध्याय–4
डेटा बैंक अनुभाग

डेटा बैंक अनुभाग द्वारा केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, सरकारी उपक्रमों तथा विभिन्न एजेंसियों से विकासोन्मुख द्वितीयक आँकड़े प्राप्त कर महत्वपूर्ण प्रकाशनों यथा–उ0प्र0 एक झलक, सांख्यिकीय डायरी, सांख्यिकीय सारांश, जिलेवार विकास संकेतक, अन्तर्राज्यीय तुलनात्मक आँकड़े आदि प्रकाशित किये जाते हैं। यह सभी प्रकाशन प्रतिवर्ष प्रकाशित किये जाते हैं। उक्त के अतिरिक्त प्रभाग के जनपदीय कार्यालयों द्वारा ग्रामवार आधार भूत आँकड़े संग्रहित किये जाते है। इसके अन्तर्गत सुविधाओं से दूरी के अनुसार ग्रामों की संख्या सम्बन्धी सूचनायें एकत्रित की जाती हैं जो एक महत्वपूर्ण सूचना है। यह सूचना प्रत्येक ग्रामों से सुविधा की दूरी के अनुसार एकत्रित कर विकास खण्ड तथा जनपद स्तर पर तैयार की जाती है। क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा प्रकाशित की जाने वाली सांख्यिकीय पत्रिकाओं में उक्त आँकड़ों का उपयोग किया जाता है। जनपदीय सांख्यिकीय पत्रिकाओं के आधार पर प्रभाग स्तर पर अन्तर्जनपदीय आँकड़े (वार्षिक प्रकाशन) प्रकाशित किया जाता है। इस प्रकाशन में सुविधा से दूरी के अनुसार ग्रामों की जनपदवार/मण्डलवार/क्षेत्रवार/प्रदेश स्तर के आँकड़े प्रकाशित किये जाते हैं। समय–समय पर आवश्यकतानुसार तदर्थ प्रकाशन भी प्रकाशित किये जाते हैं। इस अनुभाग का मुख्य कार्य विकास सम्बन्धी द्वितीयक आँकड़ों का संग्रहण कर प्रकाशन के रूप में या सॉफ्टकापी में संरक्षित करना हैं। समय समय पर शासन, केन्द्र सरकार तथा विभिन्न एजेंसियों की माँग के अनुरूप उन्हें अपेक्षित आँकड़ें उपलब्ध कराये जाते हैं। प्रकाशित प्रकाशनों में सांख्यिकीय डायरी एवं उ0प्र0 एक झलक प्रदेश को विधान मण्डल में माननीय सदस्यों को वितरित किया जाता है।

सांख्यिकीय कार्यो में समन्वय हेतु प्रदेश स्तर पर उ0प्र0 साँख्यिकीय समन्वय समिति का गठन किया गया है जिसके अन्तर्गत 10 उपसमितियाँ हैं। इन उपसमितियों में राज्य सरकार के विभिन्न विभाग सदस्य हैं। इन उपसमितियों का मुख्य कार्य सम्बन्धित विभागों से सांख्यिकीय आँकड़ें प्राप्त कर उनकी विभिन्न बैठकों में आम सहमति से पारित किया जाना है ताकि किसी भी स्तर पर आँकड़ों में भिन्नता न रहने पाये और सांख्यिकीय कार्यो में समन्वय बना रहे।

4.1 अनुभाग द्वारा तैयार किये जाने वाले मुख्य प्रकाशनों का संक्षिप्त विवरण

4.1.1 सांख्यिकीय डायरी, उत्तर प्रदेश

सांख्यिकीय डायरी उत्तर प्रदेष सरकार की आर्थिक, सामाजिक एवं विकास की महत्वपूर्ण उपलब्धियों से सम्बन्धित आँकड़ों का वार्षिक प्रकाषन है। वर्ष 1968 से प्रतिवर्ष सांख्यिकीय डायरी, उत्तर प्रदेश का प्रकाषन किया जा रहा है । उक्त प्रकाषन में विभिन्न प्रमुख आँकड़ों को 25 अध्यायों के अन्तर्गत 152 तालिकाओं में प्रकाषित किया जाता है। उपयोगकर्ताओं की सुविधा हेतु इस प्रकाशन में 12 ग्राफ/चार्ट्स भी दिये जाते हैं। इस प्रकाशन में अधुनान्त दो वर्षो के साथ ही तुलनात्मक अध्ययन के दृष्टिकोण से विगत पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष की भी सूचनाऐं प्रकाशित की जाती हैं।

सांख्यिकीय डायरी का प्रकाषन हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में अलग–अलग किया जाता है।

4.1.2 उ0प्र0 एक झलक (आँकड़ों में)

यह प्रकाषन वर्ष 1991 से नियमित किया जा रहा है। प्रदेश में विकास के महत्वपूर्ण मदों को एक दृष्टि में प्रदर्शित करने के लिये इसका प्रकाशन किया जाता है। यह प्रकाशन दो खण्डों में विभक्त है। प्रथम खण्ड में उ0प्र0 के महत्वपूर्ण मदों के तीन वर्षों के आँकड़े होते हैं तथा द्वितीय खण्ड में भारत सरकार एवं उ0प्र0 के तुलनात्मक संकेतक प्रकाशित किये जाते हैं। प्रथम खण्ड में 17 विभागों/सेक्टरों की सूचनाएं तथा द्वितीय खण्ड में 50 मदों के संकेतांक सम्मिलित हैं। उ0प्र0 एक झलक (आँकड़ों में) का अंग्रेजी भाषा में रूपान्तर भी वर्ष 2009 से प्रकाशित कराया जा रहा है।

4.1.3 जिलेवार विकास संकेतक, उ0प्र0

''उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति के अभिज्ञान हेतु जिलेवार विकास संकेतक'' नामक प्रकाशन वर्ष 1978 से प्रति वर्ष प्रकाशित हो रहा है। इस प्रकाशन से अर्न्तक्षेत्रीय विषमताओं का बोध होता है। वर्ष 2008 से इस प्रकाशन का नाम बदलकर ''जिलेवार विकास संकेतक उत्तर प्रदेश'' तथा प्रकाषन को द्विभाषी कर दिया गया है। तुलनात्मक अध्ययन की सुविधा हेतु इस प्रकाशन में उपलब्ध अधुनान्त संकेतकों के साथ ही विगत वर्ष के भी संकेतक दिये गये हैं। इस प्रकाशन को दो भागों में विभक्त किया गया है। इसके प्रथम भाग में कुल 125 संकेतकों को सम्मिलित किया गया है, जो मुख्यतया जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा, अवस्थापना सुविधाओं, , पशुपालन एवं मत्स्य पालन, उद्योग, बैंकिंग, वित्त तथा सहकारिता, रोजगार एवं मानवशक्ति तथा आय पर आधारित हैं। इसके द्वितीय भाग में प्रथम भाग के मदों पर ही आधारित 46 महत्वपूर्ण मदों के संकेतकों पर आधारित उच्चतम एवं निम्नतम मान वाले पाँच–पाँच जनपदों को चिन्हित करते हुए उनके विकास संकेतकों को प्रकाशित किया जाता है ।

4.1.4 सांख्यिकीय सारांश, उत्तर प्रदेश

''सांख्यिकीय सारांश, उत्तर प्रदेश'' नामक प्रकाशन वर्ष 1961 से प्रकाशित किया जा रहा है। यह एक द्विभाषी वार्षिक प्रकाशन है। वर्ष 1986 से इसे केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित प्रारूप पर आधारित, संशोधित कर प्रकाशित किया जा रहा है। तुलनात्मक अध्ययन हेतु इस प्रकाशन की अधिकांश तालिकाओं में विगत वर्षों की राज्यस्तरीय सूचनाओं के साथ ही उपलब्ध अधुनान्त वर्ष की जनपदवार सूचनाएं दी जाती हैं। इस प्रकाशन में तीन खण्डों सामाजिक साँख्यिकी, आर्थिक साँख्यिकी एवं अन्य साँख्यिकी के अन्तर्गत कुल 35 अध्याय दिये जाते हैं। इसमें समाजार्थिक क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं यथा क्षेत्रफल, जनसंख्या, पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, राज्य आय, , पशुपालन, परिवहन, पर्यटन, श्रम एवं रोजगार, वित्त तथा सार्वजनिक प्रशासन एवं निर्वाचन आदि सम्बन्धी आँकड़ों का समावेश किया जाता है।

4.1.5 अन्तर्राज्यीय तुलनात्मक आँकड़े

अन्तर्राज्यीय विषमताओं का बोध कराने के उद्देश्य से ''अन्तर्राज्यीय तुलनात्मक आँकड़े'' नामक द्विभाषी वार्षिक प्रकाशन तैयार किया जाता है। इसका प्रकाशन वर्ष 1976 से प्रारम्भ किया गया। यह प्रकाशन दो भागों में विभक्त है। इसके प्रथम भाग में भारत के 29 प्रमुख व 7 केन्द्रषासित राज्यों के आँकड़ों के साथ–साथ राष्ट्रीय स्तर के भी आँकड़ों का समावेश किया गया है, जिनसे प्रमुख राज्यों एवं राष्ट्रीय औसत से प्रदेश के विकास का पारस्परिक तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। इसके द्वितीय भाग में महत्वपूर्ण समाजार्थिक संकेतक दिये गये हैं।

इस प्रकाशन हेतु अपेक्षित आँकड़े भारत सरकार के सम्बन्धित विभिन्न विभागों, भारतीय रिज़र्व बैंक, राज्यों के साँख्यिकीय ब्यूरो तथा अन्य संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराये जाते हैं।

4.1.6 जनपद एवं मण्डल की साँख्यिकीय पत्रिका

यह प्रकाशन जनपद स्तर पर वर्ष 1976 एवं मण्डल स्तर पर वर्ष 1980 से प्रारम्भ किये गये। इस प्रकाशन में सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रों के विभिन्न पहलुओं के आँकड़ें प्रकाशित किये जाते हैं यथा क्षेत्रफल एवं जनसंख्या, , पशुगणना तथा लघु सिंचाई गणना, पशुपालन तथा मत्स्य, सहकारिता, उद्योग, सामान्य शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, विद्युत, परिवहन एवं संचार, संस्थागत वित्त, जल सम्पूर्ति, पेयजल, भाव तथा अन्य विविध विषयों के आँकड़ें एवं संकेतक प्रकाशित किये जाते हैं। प्रारम्भ में यह प्रकाशन मैन्युअली प्रकाशित किये जाते थे। वर्ष 1995 से यह पत्रिका वेब बेस्ड कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के द्वारा प्रकाशित की जा रही है। इस प्रकार 1995 से 2016 तक की सांख्यिकीय पत्रिकायें विभागीय पोर्टल पर उपलब्ध है।

4.1.7 जनपद एवं मण्डलीय समाजार्थिक समीक्षा

मण्डल एवं जिला समाजार्थिक समीक्षा का प्रकाशन वर्ष 1980 से वर्षानुवर्ष तैयार करना प्रारम्भ किया गया है। इन प्रकाशनों में कुल 17 अध्याय निर्धारित हैं और प्रत्येक अध्याय के अर्न्तगत मदों का भी निर्धारण किया गया है। इस प्रकाशन में जनपद की अर्थ– व्यवस्था की विस्तृत विवेचना के साथ ही प्रमुख विषयों यथा–सिंचाई, उद्योग, परिवहन, संचार, शिक्षा, पर्यटन का तथ्यात्मक एवं समीक्षात्मक विश्लेषण किया गया है। इन प्रकाशनों में प्रमुख विषयों को ग्राफ/चार्ट द्वारा भी प्रदर्शित किया जाता है।

4.1.8 विकास खण्ड की सांख्यिकीय पत्रिका

विकास खण्ड की सांख्यिकीय पत्रिका का प्रकाशन वर्ष 2003–04 से प्रारम्भ किया गया है। यह प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है। इसमें चार अध्यायों के अर्न्तगत प्रथम अध्याय में विकास खण्ड एक दृष्टि में, द्वितीय अध्याय में महत्वपूर्ण विकास खण्ड संकेतक, तृतीय अध्याय में विकास खण्ड का आर्थिक कार्य कलाप तथा चतुर्थ अध्याय में राजस्व ग्राम एक दृष्टि में से सम्बन्धित ऑकड़े प्रकाशित किये जाते हैं।

4.1.9 विकास खण्ड की समाजार्थिक समीक्षा

विकास खण्ड की समाजार्थिक समीक्षा का भी प्रकाशन वर्ष 2003–04 से कराया जा रहा है। यह प्रकाशन भी प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है। इस प्रकाशन में भी 16 अध्याय है। इस प्रकाशन में विकास खण्ड स्तर के सामाजिक एवं आर्थिक कार्यकलापो पर प्रकाश डाला जाता है। अर्थ–व्यवस्था की विस्तृत विवेचना करने के एवं साथ ही प्रमुख विषयों, जनसंख्या आर्थिक स्थिति, सिचाईं, पशुपालन, मत्स्य पालन विद्युत एवं खनिज, वित्तीय संस्थायें, सड़क परिवहन एवं संचार, शिक्षा, समाजिक सेवाये, स्वस्थ, पेयजल, पर्यटन एवं नियोजन के बारे में अधुनान्त सूचनायें दी जाती हैं। इस प्रकाशन में विकास खण्ड स्तर की प्रगति के बारे में पूर्ण जानकारी रहती है।

4.1.10 ग्रामवार आधार भूत आँकड़ों का संग्रहण

ग्राम स्तर पर विकास योजना संरचना हेतु उपलब्ध अवस्थापना सुविधाओं सम्बन्धी आँकड़े नितान्त आवश्यक है। इसी दृष्टि से वर्ष 1973 से प्रदेश के समस्त आबाद ग्रामों में उपलब्ध अवस्थापना सुविधाओं तथा उस ग्राम के महत्वपूर्ण आँकड़ों के संग्रहण एवं संकलन का कार्य विकास खण्डों में अर्थ एवं संख्या प्रभाग के तैनात सहायक विकास अधिकारी (साँ.) के पर्यवेक्षण में ग्राम विकास अधिकारियों द्वारा प्रारम्भ किया गयाा। इनके संग्रहण हेतु रूप पत्र निर्धारित है जिसके खण्ड–1 में परिचयात्मक विवरण तथा खण्ड–2 से 15 तक में जनगणना सम्बन्धी सूचनायें, पशुगणना, गणना, शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, पेयजल सुविधा, यातायात एवं संचार, विविध अवस्थापना सुविधा, विपणन भण्डार गृह, ऋण सुविधायें, पारिवारिक उद्योग, व्यवसाय, साँख्यिकी तथा मुख्य फसलों के अर्न्तगत क्षेत्रफल सम्मिलित है। ग्राम स्तरीय आँकड़े प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार संग्रह किये जाते हैं। इन आँकड़ों के आधार पर जिला साँख्यिकीय पत्रिका की तालिका–64, सुविधा से दूरी के अनुसार ग्रामों की संख्या तैयार की जाती हैं।

4.1.11 उ0प्र0 सांख्यिकीय समन्वय समिति

उ0प्र0 सरकार के शासनादेश सं0 2/39(3)–नियोजन विभाग (क) दिनांकः लखनऊ 8, अगस्त, 1969 द्वारा उ0प्र0 सांख्यिकीय समन्वय समिति का गठन किया गया है। शासनादेश के अनुसार इस समिति के अधीन विभिन्न विषयों पर 10 उपसमितियों का गठन किया गया है। समिति के संयोजक आर्थिक बोध एवं संख्या निदेशक तथा सदस्य विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष या उनके द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं।
10 उपसमितियाँ निम्न हैं।

1–भूमि उपयोगिता, एवं वन
2–उद्योग, खनिज एवं श्रम व रोजगार
3–सड़क एवं परिवहन
4–चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

5–पशुपालन एवं मत्स्य
6–सिंचाई, लघु सिंचाई एवं विद्युत
7–बैकिंग, ज्वाइंट स्टॉक कम्पनी एवं सहकारिता
8–शिक्षा एवं प्रावैधिक शिक्षा
9–सांख्यिकीय डायरी
10–क्षेत्रफल, जनसंख्या, राज्य आय एवं आर्थिक सूचकांक

4.2 वर्ष 2016–17 में सम्पादित कार्य

4.2.1 प्रभाग स्तर पर तैयार प्रकाशन

1– उत्तर प्रदेश एक झलक (ऑकड़ों में), 2016 (हिन्दी तथा अंग्रेजी)
2– साँख्यिकीय डायरी, उत्तर प्रदेश, 2016 (हिन्दी तथा अंग्रेजी)
3– जिलेवार विकास संकेतक, उत्तर प्रदेश, 2016
4– साँख्यिकीय सारांश, उत्तर प्रदेश, 2016
5– अन्तर्राज्यीय तुलनात्मक आँकड़ें 2015

4.2.2 मण्डल/जनपद/ विकास खण्ड स्तर पर प्रकाशित प्रकाशन

1– मण्डलीय साँख्यिकीय पत्रिका, 2016
2– मण्डलीय समाजार्थिक समीक्षा, 2016
3– जनपदीय साँख्यिकीय पत्रिका, 2016
4– जनपदीय समाजार्थिक समीक्षा, 2016
5– विकास खण्ड की साँख्यिकीय पत्रिका, 2016
6– विकास खण्ड की समाजार्थिक समीक्षा, 2016

4.3 ग्राम्य विकास कार्य

4.3.1 पृष्ठभूमि

स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के ग्रामीण अचंल के विकास हेतु विभिन्न पंचवर्षीय योजना अवधियों में विभिन्न कार्यक्रम यथा– अवस्थापना सम्बन्धी, रोजगार परक एवं कल्याणकारी कार्यक्रम संचालित किये गये हैं। इन कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु इनकी मासिक, त्रैमासिक एवं वार्षिक समीक्षा करना अति आवश्यक है। इसी उद्देश्य के दृष्टिगत प्रभाग स्तर पर **"सामुदायिक विकास अनुभाग"** गठित किया गया जिसे बाद में ग्राम्य विकास आँकड़ा अनुभाग कर दिया गया।

आयुक्त एवं सचिव, उत्पादन एवं ग्राम विकास के पत्र संख्या 7137/38–2–335/79 दिनांक 25.9.1981 एवं पत्र संख्या–80/प्र0बो0–23/92 दिनांक 13–3–2000 में दिये गये निर्देशों के क्रम में प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में संचालित विकास कार्यों की मासिक/त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन अनुभाग द्वारा तैयार की जाती थी। वर्तमान में शासन की मंशा के अनुरूप ग्राम्य विकास कार्यों की मासिक प्रगति प्रतिवेदन तैयार होता है जिसमें प्रदेश के निम्न 30 विभागों के 267 मदों के आँकड़ें एकत्र किये जाते है –

(क) कृषि–

1. भूमि संरक्षण
2. मृदा परीक्षण
3. गुणात्मक बीज वितरण
4. रासायनिक उर्वरक वितरण

5. जैव उर्वरक वितरण
6. सूक्ष्म पोषक तत्व
7. प्रदर्शन
8. रक्षा कार्यक्रम–रसायन वितरण
9. यंत्र वितरण
10. स्प्रिंकलर सेट वितरण
11. फसली ऋण वितरण

(ख)सूखोन्मुख क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (डी. पी. ए. पी.)

1. भौतिक प्रगति

(ग) वन

1. वृक्षारोपण कार्यक्रम के अन्तर्गत रोपित कुल पौधे
2. अग्रिम मृदा कार्य (एडवांस स्वायल वर्क)
3. नर्सरी में पौध उत्पादन

(घ) उद्यान एवं फल उपयोग

1. पौधों का वितरण
2. आलू के उत्तम बीज का वितरण
3. सब्जी बीज वितरण
4. खाद्य प्रसंस्करण
5. मौन पालन

(ड.) पशुपालन

1. कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों पर कृत्रिम रूप से गर्भित किये गये पशु (गाय/भैंस)
2. नैसर्गिक अभिजनन केन्द्रों पर उन्नतिशील साड़ों से गर्भित किये गये पशु
3. रोगों की रोकथाम के लिए पशुओं/पक्षियों को लगाये गये टीके
4. रोगी पशुओं की चिकित्सा

(च) दुग्ध विकास

1. आपरेशन फ्लड–2 योजना
2. नान आपरेशन फ्लड योजना
3. सघन मिनी डेरी योजना
4. महिला डेरी परियोजना

(छ) मत्स्य

1. अंगुलिकाओं का विभागीय जलाशयों में संचय
2. अंगुलिकाओं का निजी मत्स्य पालकों एवं ग्राम पंचायतों को वितरण
3. ग्राम पंचायत के तालाबों को किये गये पट्टे
4. तालाबों का सुधार
5. विभागीय जलाशयों में मछली उत्पादन

(ज) निजी लघु सिंचाई

1. व्यक्तिगत कार्य
2. बोंरिग

(झ) ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा

1. भवन निर्माण
2. खडंजा निर्माण
3. पुलिया निर्माण

4. पक्का (लेपन स्तर तक) मार्ग निर्माण

(ञ) ग्रामीण एवं लघु उद्योग

1. नई लघु औद्योगिक इकाइयों की स्थापना
2. प्रधानमंत्री रोजगार योजना

(ट) खादी एवं ग्रामोद्योग

1. स्थापित नई इकाइयाँ
2. लाभान्वित व्यक्ति
3. वितरित ऋण
4. रोजगार सृजन

(ठ) वस्त्रोद्योग (हथकरघा)

1. स्थापित नई इकाइयाँ
2. रोजगार सृजन

(ड) रेशम उद्योग

1. शहतूत/अर्जुन नर्सरी स्थापना
2. कुल पालित कीटाण्ड
3. कुल कोया उत्पादन
4. उत्पादित रेशम धागा की मात्रा
5. कीट पालकों की संख्या

(ण) सहकारिता

1. सदस्यता में वृद्धि
2. अंशदान में वृद्धि
3. निक्षेप संचय
4. अल्प कालीन ऋण वितरण
5. मध्यकालीन ऋण वितरण
6. दीर्घकालीन ऋण वितरण
7. सरकारी देयों की वसूली
8. दीर्घ कालीन ऋण वसूली

(त) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

1. प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों द्वारा उपचारित रोगी
2. प्रतिरक्षित बच्चों की संख्या
3. नसबन्दी

(थ) शिक्षा

1. विद्यालय भवन निर्माण
2. अनौपचारिक शिक्षा

(द) पंचायत एवं ग्रामीण स्वच्छता

1. पंचायत उद्योग
2. पंचायत कर वसूली
3. पंचायतों द्वारा सम्पन्न कार्य
4. पंचायतों द्वारा सम्पन्न कार्यों पर कुल व्यय
5. पेयजल सुविधा
6. पाइप लाइन द्वारा लाभान्वित ग्राम
7. पहाड़ों में डिग्गी निर्माण
8. शौचालयों का निर्माण

(ध) समाज कल्याण

1. स्वतः रोजगार योजना
2. स्वच्छकार विभुक्ति एवं पुनर्वासन
3. विभाग द्वारा संचालित निःशुल्क बोंरिग
4. विभाग द्वारा संचालित दुकान निर्माण
5. छात्रवृत्ति
6. पेंशन
7. वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकंलाग पेंशन आदि

(न) बाल विकास एवं पुष्टाहार

1. समन्वित बाल विकास परियोजना

(प) वैकल्पिक ऊर्जा

1. मानव मल आधारित बायोगैस संयंत्र की स्थापना
2. सोलर फोटो वोल्टाइक पम्प
3. सोलर लालटेन वितरण
4. सोलर कुकर वितरण
5. सोलर घरेलू बत्ती
6. सोलर पावर पैक
7. सोलर वाटर हीटर

(फ) ग्राम्य विकास

1. स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना
2. जवाहर ग्राम समृद्धि योजना
3. सुनिश्चित रोजगार योजना
4. ग्रामीण आवास योजना

(ब) प्रादेशिक विकास दल

1. ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता
2. ग्रामीण व्यायामशालाओं की स्थापना
3. युवक/महिला मंगलदलों को प्रोत्साहन
4. सेमिनार/संगोष्ठी का आयोजन

(भ) अल्प बचत

1. शुद्ध जमा धनराशि

4.3.2 प्रतिवेदन सम्प्रेषण समय सारिणी

उत्पादन आयुक्त एवं अपर मुख्य सचिव के पत्र संख्या 80/प्र0बो0–23/92 (अर्थ एवं संख्या) दिनांक 13.03.2000 द्वारा उक्त का सम्प्रेषण सुनिश्चित कराने हेतु निम्न समय सारणी बनायी गयी, जिसके अनुसार वर्तमान में कार्य हो रहा है।

1–	ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों (बहुउद्देशीय कार्यकर्ताओं) द्वारा खण्ड विकास अधिकारी की मासिक प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराना।	सम्बन्धित मास का अन्तिम कार्य दिवस
2–	खण्ड विकास अधिकारी द्वारा मुख्य विकास अधिकारी व जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी को उपलब्ध कराना।	अगले मास की 5 तारीख तक

3–	मुख्य विकास अधिकारी द्वारा जनपद का मासिक प्रगति प्रतिवेदन जिला सूचना विज्ञान केन्द्र के माध्यम से मण्डलायुक्त तथा आर्थिक बोध एवं संख्या निदेशक को उपलब्ध कराना।	अगले मास की 10 तारीख तक
4–	आर्थिक बोध एवं संख्या निदेशक द्वारा राज्य स्तरीय प्रतिवेदन उत्पादन आयुक्त, प्रमुख सचिव नियोजन विभाग तथा विकास विभागों से सम्बन्धित प्रमुख सचिवों/सचिवों को उपलब्ध कराना।	अगले मास की 20 तारीख तक
5–	विकास विभागों से सम्बन्धित प्रमुख सचिवों/सचिवों द्वारा उत्पादन आयुक्त को आख्या	अगले मास की 30 तारीख तक

4.3.3 निरीक्षण/परिनिरीक्षण

प्रभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा विकास खण्डों का निरीक्षण एवं ग्रामों में जाकर कार्यक्रमों की प्रगति ज्ञात करने हेतु स्थलीय सत्यापन किया जाता है। आर्थिक बोध एवं सख्या निदेशक के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या 96/प्र0बो0–30/81 दिनांक 17.01.1985 द्वारा ग्राम्य विकास कार्यों के निरीक्षण हेतु क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया था कि निरीक्षण प्रतिवेदन के प्रथम भाग में विकास खण्ड में संचालित विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा तथा द्वितीय भाग में सहायक विकास अधिकारी (सा.) द्वारा रखे जाने वाले साँख्यिकीय अभिलेखों के निरीक्षण तथा तृतीय भाग में ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता द्वारा रखे जाने वाले अभिलेखों के निरीक्षण तथा ग्राम में हुये विकास कार्यों के स्थलीय सत्यापन का विस्तृत विवरण अंकित किया जाये।

क्षेत्रीय अधिकारियों के निरीक्षणों के मानक निर्धारित करने हेतु आर्थिक बोध एवं संख्या निदेशक के अर्द्धशा0 पत्र 182/प्र0बो0–31/92 दिनांक 09.08.2000 के अनुसार 6 से अधिक विकास खण्डों वाले जनपदों में तैनात प्रत्येक अधिकारी के लिए प्रत्येक माह कम से कम दो विकास खण्डों के निरीक्षण तथा 6 विकास खण्डों तक के जनपदों में तैनात प्रत्येक अधिकारी के लिए प्रति माह कम से कम एक विकास खण्ड के निरीक्षण (प्रत्येक विकास खण्ड के वर्ष में कम से कम दो निरीक्षण) निर्धारित है । इसी प्रकार मण्डलीय उप निदेशक हेतु प्रति माह 3 निरीक्षण का नार्म निर्धारित किया गया है एवं निरीक्षणोपरान्त निरीक्षण प्रतिवेदन, निरीक्षण तिथि से 15 दिन के अन्दर मुख्यालय को प्रेषित किया जाना है।

उक्तानुसार प्रभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों यथा सहायक विकास अधिकारी (सांख्यिकीय), अर्थ एवं संख्याधिकारी, उपनिदेशक (अर्थ एवं सख्या) द्वारा ग्रामीण विकास से सम्बन्धित विकास कार्यों का स्थलीय सत्यापन रिपोर्ट प्रतिमाह उपलब्ध करायी जाती है। उक्त रिपोर्ट के अनुसार अपूर्ण/फर्जी रिपोर्टिंग करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही करने एवं अपूर्ण/फर्जी कार्यों को पूर्ण कराने हेतु कार्यक्रमों से सम्बन्धित विभागाध्यक्षों से पत्र व्यवहार तथा इसकी सूचना समीक्षा हेतु शासन को उपलब्ध करायी जाती है। इन समस्त निरीक्षण प्रतिवेदनों की समीक्षा ग्राम्य विकास आँकड़ा अनुभाग द्वारा की जाती है एवं समीक्षोपरान्त इनके निरीक्षणों का श्रेणीबद्ध भीं किया जाता है।

4.3.4 क्षेत्रीय अधिकारियों के निरीक्षणः– वर्ष 2016–17 के मध्य विभिन्न मण्डलों से उप निदेशकों एवं अर्थ एवं संख्याधिकारियों द्वारा प्रभाग द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप सामुदायिक विकास कार्यों के निरीक्षण पूर्ण किये गये । जिन क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा लक्ष्य के सापेक्ष कम निरीक्षण किये गये उनको भविष्य में लक्ष्यों के सापेक्ष शत प्रतिशत निरीक्षण करने हेतु पत्र निर्गत किये गये।

जनपदीय अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा 6 से अधिक विकास खण्ड वाले जनपदों में प्रति माह 2 निरीक्षण, 6 विकास खण्ड तक के जनपदों शामली, रामपुर, अमरोहा, बागपत, गाजियाबाद, हापुड़, गौतमबुद्व

नगर, ललितपुर, महोबा, चित्रकूट, श्रावस्ती, तथा सन्तरविदास नगर में प्रति माह 1 निरीक्षण और प्रति निरीक्षण कम से कम 25 इकाइयों का स्थलीय सत्यापन किया जाता है । इसी प्रकार उपनिदेशक द्वारा मण्डल के विभिन्न जनपदों में प्रतिमाह 3 निरीक्षण एवं प्रति निरीक्षण कम से कम 25 इकाईयो का स्थलीय सत्यापन किया जाता है।

मण्डलीय उपनिदेशक अर्थ एवं संख्या/क्षेत्रीय अर्थ एवं संख्याधिकारी/ सहायक विकास अधिकारी (सॉ0) द्वारा किये गये स्थलीय सत्यापनों की संख्या– 2016–17

क्र0सं0	वर्ष 2016–17 में निरीक्षणो की कुल संख्या	ग्राम्य स्तरीय कार्यकर्ता की रिपोर्ट के अनुसार सूचना संख्या	पूर्ण	अपूर्ण	फर्जी
1	2	3	4	5	6
1	5997	182978	182978	–	–

वर्ष 2016–17 में उपनिदेशक, अर्थ एव संख्याधिकारी एवं सहायक सांख्यकीय अधिकारी पूर्व पद नाम सहायक विकास अधिकरी (सां0) द्वारा कोई अपूर्ण/ फर्जी एक भी इकाई नहीं पायी गयी।

वर्ष 2016–17 में क्षेत्रीय अधिकारियां द्वारा ग्राम्य विकास कार्यो के किये गये कुल निरीक्षणों की संख्या निम्नलिखित है :–

क्र0सं0	अधिकारी के पदनाम	माह मार्च 2017 में कार्यरत अधिकारियों की संख्या	वर्ष 2016–17में लक्ष्य के सापेक्ष किये गये ग्राम्य विकास कार्यो के कुल निरीक्षणों की संख्या
1	2	3	4
1–	उपनिदेशक	16	283/576
2–	अर्थ एवं संख्याधिकारी	88	807/2112
3–	सहायकविकास अधिकारी (सां0)	–	प्रभाग मुख्यालय पर सह0वि0अधि0 के निरीक्षणों का संकलन नहीं किया जाता है ।

1–अलीगढ व कानपुर मण्डल में उपनिदेशक का पद रिक्त है ।

2–माह मार्च 2017 की रिपोर्ट के अनुसार जनपदों यथा– मुरादाबाद, रामपुर ,अमरोहा, मुजफ्फर नगर , औरैया, एवं सुल्तानपुर में पद रिक्त है ।

3–उक्त रिपोर्ट वर्तमान में जनपद/मण्डलीय अधिकारियों के भरे पदों के सापेक्ष तैयार की गयी है।

4.3.5 ग्राम विकास कार्यों का मासिक प्रगति प्रतिवेदनः– वर्ष 2016–17 के मध्य प्रतिवर्ष निर्धारित 12 प्रगति प्रतिवेदन के सापेक्ष माह अप्रैल 2016 का मासिक प्रगति प्रतिवेदनों को तैयार कर अनुमोदित कराया गया। पुराने साफ्टवेयर के खराब हो जाने के फलस्वरूप कार्य बाधित हो गया जो नये साफ्टवेयर बनने के उपरान्त पूर्ण कर लिया जायेगा।

******

अध्याय–5
भाव अनुभाग

उत्तर प्रदेश में विभिन्न प्रकार के भावों से सम्बन्धित आँकड़ों के एकत्रीकरण, परिनिरीक्षण, संग्रहण तथा भाव सम्बन्धी सांख्यिकी एवं नियमित सूचकांकों को तैयार करने और उनके रखरखाव का कार्य प्रभाग के भाव अनुभाग द्वारा किया जाता है।

भाव अनुभाग के कार्यों को समान्यतया दो भागों में बाँटा जा सकता है।

1. **भाव व मजदूरी की संग्रहीत दरों का पुनरीक्षण एवं शुद्धीकरण**
2. **भाव व मजदूरी दरों के सूचकांक बनाने का कार्य**

यह दोनों ही कार्य प्रभाग के स्थापना काल से ही चले आ रहे हैं। भावों एवं मजदूरी की दरों के संग्रह का कार्य क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा सम्पन्न किया जाता है जबकि सूचकांक बनाने का कार्य मुख्यालय स्तर पर किया जाता है।

भाव संग्रह का उद्देश्य भावों में हो रहे उतार–चढ़ाव की प्रवृत्ति का अध्ययन करना तथा शासन को वस्तु स्थिति से अवगत कराना होता है। सूचकांक का उद्देश्य वर्ष विशेष की तुलना में हुए भावों/दरों के परिवर्तन की माप करना है। सूचकांक के निर्माण के लिए आधार वर्ष के भाव के साथ साथ वर्तमान भाव/ दर का होना आवश्यक है ताकि भावों/दरों में हुए उतार–चढ़ाव की प्रतिशत वृद्धि एवं ह्रास की जानकारी सम्भव हो सके।

भाव व मजदूरी की दरों के संग्रह व सूचकांक के सम्बन्ध में संक्षिप्त जानकारी निम्नानुसार हैः–

5.1 भावों/मजदूरी की दरों के संग्रह का कार्य :–

5.1.1 ग्रामीण फुटकर भाव

यह भाव 99 चयनित मदों के लिये प्रदेश के प्रत्येक विकास खण्ड से प्रत्येक माह प्रथम बाजार दिवस को एकत्र कराये जाते हैं। इनका उपयोग ग्रामीण उपभोक्ता भाव सूचकांक तैयार करने में किया जाता है।

5.1.2 नगरीय फुटकर भाव

यह भाव 101 चयनित मदों के लिये प्रदेश के समस्त जिला केन्द्रों से प्रत्येक माह के प्रथम शुक्रवार को संग्रह कराये जाते हैं। इनका उपयोग नगरीय उपभोक्ता भाव सूचकांक तैयार करने में किया जाता है।

5.1.3 नगरीय अमानी मजदूरी की दरें

इसके अन्तर्गत राज, बढ़ई व अकुशल श्रमिक के मजदूरी की दरें संग्रहित की जाती हैं। यह जनपद के प्रत्येक नगरपालिका परिषद एवं नगर निगम में चयनित दो अड्डों से संग्रह करायी जाती हैं। इनका उपयोग नगरीय मजदूरी दर सूचकांक तैयार किये जाने में किया जाता है।

5.1.4 ग्रामीण मजदूरी की दरें

इसके अन्तर्गत राज, बढ़ई व श्रमिक (पुरूष/महिला), दर्जी, नाई, तेल की पेराई, ईंट की पथाई व चरवाहा की मजदूरी की दरें संग्रहीत की जाती हैं। यह दरें प्रत्येक विकास खण्ड के एक चयनित ग्राम से माह के प्रथम शुक्रवार को संग्रह करायी जाती है। इनका उपयोग ग्रामीण मजदूरी दर सूचकांक तैयार करने में किया जाता है। यह दरें प्रत्येक माह एवं किसान कल्याण मन्त्राालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को भी प्रेषित की जाती हैं।

5.1.5 थोक भाव (कृषीय व अकृषीय)

- प्रदेश की 65 मण्डियों से 70 वस्तुओं के साप्ताहिक थोक भाव (प्रत्येक शुक्रवार),
- 48 मण्डियों के प्रत्येक माह के प्रथम शुक्रवार के थोक भाव ,
- 57 केन्द्रों से 286 मदों के कृषीय व अकृषीय मदों के थोक भाव (प्रत्येक शुक्रवार) संग्रह कराये जाते हैं।

मदों के थोक भाव प्रत्येक शुक्रवार को राज्य विपणन संगठन से एकत्र किये जाते हैं तथा अकृषीय मदों के थोक भाव फर्मो एवं वाणिज्यिक संस्थानों से संग्रह किये जाते हैं। इनका उपयोग थोक भाव सूचकांक तैयार करने, राज्य व जिला आय अनुमान तैयार करने के साथ–साथ भारत सरकार को भी उनकी मॉग के अनुरूप भेजा जाता है।

5.1.6 62 आवश्यक वस्तुओं के साप्ताहिक फुटकर भाव

यह भाव प्रदेश के 18 मण्डलीय जनपदों से माह के प्रत्येक शुक्रवार को संग्रह कराकर ई–मेल द्वारा प्रभाग मुख्यालय पर मंगाये जाते हैं। इन भावों में से 47 वस्तुओं के भावों के आधार पर प्रत्येक सप्ताह की समीक्षा जिसमें गत सप्ताह, गत माह, गत त्रैमास एवं गत वर्ष के संगत सप्ताह के भावों से तुलनात्मक विवरण तैयार करके शासन के सम्बन्धित विभागों को उपलब्ध कराये जाते हैं।

5.1.7 भारत सरकार व अन्य विभागों के प्रयोगार्थ विभिन्न प्रकार के भाव संग्रह का कार्य

- श्रम ब्यूरो शिमला के लिए पॉच केन्द्रों (कानपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, आगरा एवं लखनऊ) से भाव संग्रह कराकर सीधे श्रम ब्यूरो शिमला भेजा जाना । नये आधार वर्ष परिवर्तन हेतु गौतमबुद्धनगर को गाजियाबाद केन्द्र के साथ सम्मिलित करते हुए अन्य शेष केन्द्रों से भाव संग्रह कराकर सीधे श्रम ब्यूरो शिमला भेजा जाना ।
- अर्थ एवं सांख्यिकीय सलाहकार, भारत सरकार को 20 केन्द्रों से भाव संग्रह कराकर सीधे प्रेषित किया जाना।
- लखनऊ केन्द्र के 16 आवश्यक वस्तुओं के प्रत्येक शुक्रवार के भाव संग्रह कराकर शासन को प्रेषित किया जाना
- हापुड़ मण्डी के 11 प्रमुख वस्तुओं के थोक भावों को संग्रह कराकर विभाग को प्रेषित किया जाना
- कानपुर नगर से बड़ी इलायची के थोक भाव संग्रह कराकर इलायची बोर्ड, गंगटोक को प्रेषित किया जाना
- कच्चे ऊन के 05 केन्द्रों (इलाहाबाद, जौनपुर, संत रविदासनगर, झांसी, रायबरेली) के थोक भावों को संग्रह कराकर पशुपालन निदेशालय को प्रेषित किया जाना
- श्रम ब्यूरो, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देश पर वर्तमान में उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों में रोजगार–बेरोजगार सर्वेक्षण किया जाना

5.2 भाव/ मजदूरी की दरों के सूचकांक बनाने का कार्य

5.2.1 उत्तर प्रदेश का नगरीय उपभोक्ता भाव सूचकांक

यह सूचकांक नगरीय मध्यम वर्गीय उपभोक्ता भाव सूचकांक है। यह सर्वप्रथम 1948 को आधार वर्ष मानकर 1956 से तैयार कराया जा रहा था, जो उपभोग के स्वरूप में हुए परिवर्तन के कारण आधार वर्ष 1970–71 में परिवर्तित कर जुलाई 1981 से जून 2010 तक तैयार कराया गया । तदोपरान्त आधार वर्ष परिवर्तित करके 2004–05 कर दिया गया। इस आधार वर्ष पर जुलाई 2008 से मार्च 2017 तक प्रत्येक माह 101 मदों पर आधारित राज्य स्तरीय एवं आर्थिक क्षेत्र स्तरीय नगरीय उपभोक्ता भाव सूचकांक प्रत्येक त्रैमास हेतु तैयार कराया गया । वर्तमान में आधार वर्ष परिवर्तित करके 2011–12 कर दिया गया है जिस पर जुलाई 2016 से लगातार सूचकांक प्रत्येक माह एवं त्रैमास हेतु तैयार कराया जा रहा है।

5.2.2 ग्रामीण उपभोक्ता भाव सूचकांक

यह सूचकांक भी मध्यम वर्गीय ग्रामीण उपभोक्ता भाव सूचकांक है । सर्व प्रथम यह सूचकांक आधार वर्ष 1954–55 के आधार पर जनवरी 1956 से तैयार कराया गया । पुनः आधार वर्ष को

बदलकर 1957–58 व तत्पष्चात 1970–71 किया गया । उपभोग के स्वरूप में आये महत्पूर्ण परिवर्तन के फलस्वरूप आधार वर्ष परिवर्तित करके 2004–05 कर दिया गया । इस आधार वर्ष पर जुलाई 2008 से मार्च 2017 तक 99 मदों पर आधारित राज्य स्तरीय एवं आर्थिक क्षेत्र स्तरीय ग्रामीण उपभोक्ता भाव सूचकांक प्रत्येक त्रैमास हेतु तैयार कराया गया । वर्तमान में आधार वर्ष परिवर्तित करके 2011–12 कर दिया गया है जिस पर जुलाई 2016 से सूचकांक लगातार प्रत्येक माह एवं त्रैमास हेतु तैयार कराया जा रहा है।

5.2.3 थोक भाव सूचकांक

यह सूचकांक व अकृषीय वस्तुओं पर आधारित थोक भाव सूचकांक है। सर्व प्रथम यह सूचकांक आधार वर्ष 1948 के आधार पर जनवरी 1948 से तैयार कराया गया । पुनः आधार वर्ष को बदलकर 1957–58 व तत्पष्चात 1970–71 किया गया । अब इसे आधार वर्ष 2004–05 पर परिवर्तित कर दिया गया है। आधार वर्ष 2004–05 पर 286 मदों के लिए राज्य स्तरीय थोक भाव सूचकाँक तैयार कराये जाने का कार्य अप्रैल 2010 से नियमित रूप से किया जा रहा है। वर्तमान में आधार वर्ष परिवर्तित करके 2011–12 कर दिया गया है जिस पर अप्रैल 2016 से लगातार सूचकांक प्रत्येक माह एवं त्रैमास हेतु तैयार कराया जा रहा है।

5.2.4 ग्रामीण एवं नगरीय मजदूरी दर सूचकाँक

ग्रामीण व नगरीय मजदूरों के लिए तैयार कराये जाने वाला यह सूचकांक आधार वर्ष 1970–71 पर त्रैमासान्त मार्च 1980 से तैयार कराया जाना प्रारम्भ किया गया था जिसे त्रैमासान्त जून 2010 तक बनाया गया। बाद में आधार वर्ष 2004–05 पर परिवर्तित करके इसे जुलाई 2008 से जून 2016 तक लगातार राज्य स्तरीय व आर्थिक क्षेत्र स्तरीय त्रैमासिक ग्रामीण एवं नगरीय मजदूरी दर सूचकांक तैयार कराया गया । वर्तमान में आधार वर्ष परिवर्तित करके 2011–12 कर दिया गया है जिसपर जुलाई 2016 से लगातार सूचकांक प्रत्येक माह एवं त्रैमास हेतु तैयार कराया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र के लिए राज, बढ़ई व श्रमिक को लिया गया है जबकि नगरीय क्षेत्र के लिए राज, बढ़ई व अकुशल श्रमिक को लिया गया है।

5.2.5 क्रय–विक्रय समता सूचकाँक

यह सूचकांक कृषकों द्वारा प्राप्त मूल्य सूचकांक व कृषकों द्वारा भुगतान किये गये मूल्य सूचकांक का अनुपात है। यह सर्वप्रथम 1957–58 आधार वर्ष पर लगातार 1981–82 तक तैयार कराया गया बाद में आधार वर्ष परिवर्तित करके 1970–71 कर दिया गया । इस आधार वर्ष पर 2009–10 तक तथा तत्पष्चात वर्ष 2004–05 को आधार वर्ष मानते हुए वार्षिक आधार पर राज्य स्तरीय सूचकांक वर्ष 2010–11 से नियमित रूप से तैयार कराया जा रहा है।

5.3 वर्ष 2016–17 में सम्पादित कार्य

5.3.1 विभागीय प्रयोगार्थ भाव संग्रह का कार्य

आलोच्य वर्ष में अब तक विभिन्न भाव श्रृंखलाओं के अन्तर्गत निम्नलिखित थोक/ फुटकर भाव संग्रह का कार्य किया गया :–

- प्रदेश के 65 मण्डियों से कुल 70 वस्तुओं के प्रत्येक शुक्रवार के साप्ताहिक थोक व फुटकर भाव राज्य विपणन निदेशालय के माध्यम से एकत्र कराये गये तथा इनका राज्य आय व जिला आय निर्माण में उपयोग किया गया ।
- राज्य आय तथा जिला घरेलू उत्पाद के अनुमान तैयार करने के संदर्भ में राज्य विपणन निदेशालय के माध्यम से प्रदेश के 48 प्रमुख मण्डियों से कृषीय 19 वस्तुओं के प्रत्येक माह के प्रथम शुक्रवार के थोक भाव संग्रह कराये गये तथा इनका परिनिरीक्षणोंपरान्त संकलन किया गया।

- प्रदेश के समस्त जनपद मुख्यालयों में से कृषीय/ अकृषीय उपभोक्ता वस्तुओं के अन्तर्गत वर्तमान चयनित 101 वस्तुओं के प्रत्येक माह के प्रथम शुक्रवार के नगरीय फुटकर भाव प्रभाग के जनपद कार्यालयों के माध्यम से संग्रह कराकर मुख्यालय पर रखरखाव किया गया।
- प्रदेश के प्रत्येक विकास खण्ड के चयनित ग्राम बाजार से प्रत्येक माह के प्रथम बाजार दिवस के कृषीय/अकृषीय उपभोक्ता वस्तुओं के अन्तर्गत वर्तमान चयनित 99 वस्तुओं के ग्रामीण फुटकर भाव संग्रह कराकर रखरखाव किया गया ।
- राज्य स्तर पर भाव के उतार चढ़ाव के अनुश्रवण हेतु प्रदेश के 18 मण्डलीय जनपदों से दैनिक उपभोग की 62 आवश्यक वस्तुओं के प्रत्येक शुक्रवार के फुटकर भाव संग्रह कराकर उनका परिनिरीक्षणोंपरान्त संकलन कर इनमें से 47 वस्तुओं के भावों की प्रवृत्ति पर साप्ताहिक विश्लेषण समीक्षाएँ तैयार कर प्रदेश के मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव (खाद्य एवं रसद) एवं प्रमुख सचिव नियोजन, विशेष सचिव नियोजन तथा ज्वाइन्ट कमिश्नर (शोध) वाणिज्यकर विभाग को प्रेषित की गई ।

5.3.2 भारत सरकार एवं अन्य विभागों के प्रयोगार्थ भाव संग्रह

- अखिल भारतीय श्रमिक उपभोक्ता भाव सूचकांक योजनान्तर्गत प्रदेश के पाँच केन्द्रों (कानपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, आगरा एवं लखनऊ) से 70 वस्तुओं के साप्ताहिक तथा 87 वस्तुओं के मासिक फुटकर भाव सम्बन्धित केन्द्र के अर्थ एवं संख्याधिकारियों द्वारा एकत्र कराकर सीधे श्रम संघ शिमला को भेजे गये।
- अर्थ एवं सांख्यिकी सलाहकार, भारत सरकार के उपयोगार्थ प्रदेश के चयनित 20 केन्द्रों से 57 खाद्य एवं 40 अखाद्य आवश्यक वस्तुओं के प्रत्येक शुक्रवार व अन्तिम शुक्रवार के साप्ताहिक फुटकर भाव सम्बन्धित केन्द्रों के अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा संग्रह कराकर विश्लेषणात्मक टिप्पणी सहित भेजे गये।
- लखनऊ जनपद मुख्यालय से 16 आवश्यक वस्तुओं के प्रत्येक शुक्रवार के साप्ताहिक फुटकर भावों का संग्रह एवं संकलन कराने के उपरान्त तुलनात्मक भावान्तर विवरण मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर/विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन को भेजे गये।
- हापुड़ मंडी से प्रत्येक माह के प्रथम शुक्रवार के 11 प्रमुख वस्तुओं के थोक भावों को संग्रह एवं संकलित कराकर गत माह के भावों के आधार पर भावान्तर विवरण के साथ प्रमुख सचिव, विभाग के कार्यालय को भेजे गये ।
- कानपुर नगर केन्द्र से प्रत्येक माह के प्रथम शुक्रवार के बड़ी इलायची के थोक भाव संग्रह कराकर ई–मेल के द्वारा भारत सरकार के इलायची बोर्ड, वाणिज्य मंत्रालय, गंगटोक, सिक्किम को भेजे गये ।
- प्रदेश के पॉच केन्द्रों यथा वाराणसी, जौनपुर, इलाहाबाद, झॉसी तथा रायबरेली से कच्चे ऊन के मासिक उत्पादन थोक भाव संग्रह कराकर उनका परिनिरीक्षणोंपरान्त संकलन कर निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ को उपलब्ध कराये गये।

5.3.3 मजदूरी दरें

- प्रदेश के प्रत्येक विकास खण्ड के एक चयनित ग्राम से प्रत्येक माह के प्रथम शुक्रवार को ग्रामीण मजदूरी की दरों के ऑकड़ें नियमित रूप से अर्थ एवं संख्याधिकारी के माध्यम से संग्रह कराये गये तथा इन आँकड़ों के परिनिरीक्षण एवं संकलन का कार्य प्रभाग मुख्यालय पर किया गया जिसमें से समस्त 75 जनपदों के विकास खण्डवार मजूदरी की दरों के परिनिरीक्षित ऑकड़ें आर्थिक एवं सॉख्यिकीय सलाहकार भारत सरकार को प्रत्येक माह ई–मेल के माध्यम से प्रेषित किये गये ।

- प्रदेश के समस्त जिला केन्द्रों/नगरपालिकाओं, नगर निगमों के चयनित दो–दो प्रमुख अड्डे/मुहल्ले से प्रथम अड्डे/मुहल्ले से प्रत्येक माह के प्रथम शनिवार की तथा द्वितीय अड्डे/मुहल्ले से आगामी सोमवार की अकुशल श्रमिक, राज एवं बढ़ई की नगरीय अमानी मजदूरी की दरों का संग्रह कराकर प्रभाग मुख्यालय पर उनके परिनिरीक्षण एवं संकलन का कार्य किया गया।

5.3.4 भाव एवं मजदूरी दरों के सूचकाँकों का प्रकाशन

- उत्तर प्रदेश का नगरीय उपभोक्ता भाव सूचकांक आधार वर्ष 2004–05 पर त्रैमासान्त मार्च 2016 से त्रैमासान्त दिसम्बर 2016 तक एवं उत्तर प्रदेश का ग्रामीण उपभोक्ता भाव सूचकांक आधार वर्ष 2004–05 त्रैमासान्त मार्च2016 से त्रैमासान्त दिसम्बर 2016 तक तथा उत्तर प्रदेश का थोक भाव सूचकांक आधार वर्ष 2011–12 पर त्रैमासान्त मार्च 2016 से त्रैमासान्त दिसम्बर 2016 का सूचकांक प्रकाशित किया गया।

उत्तर प्रदेश का ग्रामीण उपभोक्ता भाव सूचकांक (आधार वर्ष 2004–05)				
वर्ग	त्रैमासान्त मार्च 2016 का औसत सूचकांक	त्रैमासान्त जून 2016 का औसत सूचकांक	त्रैमासान्त सितम्बर 2016 का औसत सूचकांक	त्रैमासान्त दिसम्बर 2016 का औसत सूचकांक
राज्य स्तरीय				
1.खाद्य,पेय द्रव्य और तम्बाकू	265.97	273.58	290.29	285.95
2.ईंधन व प्रकाश	288.01	283.39	286.03	289.55
3.आवास	350.14	352.00	356.84	365.82
4.वस्त्र,बिस्तर एवं जूते	223.89	225.68	225.84	229.04
5.विविध	193.35	196.80	199.30	201.75
क्षेत्रवार समस्त वर्ग				
पश्चिमी क्षेत्र	244.78	249.63	259.08	259.46
मध्य क्षेत्र	245.63	253.02	267.49	264.05
बुन्देलखण्ड क्षेत्र	264.32	268.46	278.08	278.18
पूर्वी क्षेत्र	250.87	254.63	264.38	262.65
उत्तर प्रदेश	248.50	253.34	263.73	262.62

उत्तर प्रदेश का नगरीय उपभोक्ता भाव सूचकांक (आधार वर्ष 2004–05)				
वर्ग	त्रैमासान्त मार्च 2016 का औसत सूचकांक	त्रैमासान्त जून 2016 का औसत सूचकांक	त्रैमासान्त सितम्बर 2016 का औसत सूचकांक	त्रैमासान्त दिसम्बर 2016 का औसत सूचकांक
राज्य स्तरीय				
1.खाद्य,पेय द्रव्य	266.96	276.29	291.55	285.05

और तम्बाकू				
2.ईंधन व प्रकाष	162.99	169.92	179.62	178.98
3.आवास	248.29	248.97	254.10	255.56
4.वस्त्र,बिस्तर एवं जूते	210.97	214.61	219.13	222.96
5.विविध	185.10	187.66	189.54	189.87
क्षेत्रवार समस्त वर्ग				
पश्चिमी क्षेत्र	216.51	217.45	226.60	229.50
मध्य क्षेत्र	208.68	218.83	228.01	230.55
बुन्देलखण्ड क्षेत्र	226.59	228.52	234.46	239.73
पूर्वी क्षेत्र	221.55	228.16	237.45	248.01
उत्तर प्रदेश	215.97	220.34	229.41	233.37

उत्तर प्रदेश का थोक भाव सूचकांक (आधार वर्ष 2004–05)				
वर्ग	त्रैमासान्त मार्च 2016 का औसत सूचकांक	त्रैमासान्त जून 2016 का औसत सूचकांक	त्रैमासान्त सितम्बर 2016 का औसत सूचकांक	त्रैमासान्त दिसम्बर 2016 का औसत सूचकांक
समस्त	131.31	134.99	139.11	139.22
प्राथमिक	155.46	164.26	170.29	165.41
ईंधन व प्रकाश	156.90	163.15	164.88	164.61
विर्निमित	123.29	125.46	129.22	130.68

- उत्तर प्रदेश का नगरीय एवं ग्रामीण मजदूरी दर सूचकांक (आधार वर्ष 2004–05 पर) त्रैमासान्त मार्च 2016 व त्रैमासान्त जून 2016 तथा (आधार वर्ष 2011–12 पर) त्रैमासान्त जुलाई 2016 व दिसम्बर 2016 का सूचकांक प्रकाशित किया गया ।

उत्तर प्रदेश का ग्रामीण मजदूरी दर सूचकांक					
क्रमांक	क्षेत्र	त्रैमासान्त मार्च 2016 का औसत सूचकांक (आधार वर्ष 2004–05)	त्रैमासान्त जून 2016 का औसत सूचकांक (आधार वर्ष 2004–05)	त्रैमासान्त सितम्बर 2016 का औसत सूचकांक (आधार वर्ष 2011–12)	त्रैमासान्त दिसम्बर 2016 का औसत सूचकांक (आधार वर्ष 2011–12)
1	**पश्चिमी क्षेत्र**				

	(i) राज	298.67	305.70	144.34	145.48
	(ii) बढ़ई	303.57	305.28	147.93	149.42
	(iii) श्रमिक	356.41	365.62	156.72	160.96
2.	**मध्य क्षेत्र**				
	(i) राज	332.35	342.02	167.42	170.08
	(ii) बढ़ई	330.52	337.35	167.50	168.05
	(iii) श्रमिक	352.67	377.75	178.16	183.02
3.	**बुन्देलखण्ड क्षेत्र**				
	(i) राज	319.57	320.15	168.63	174.82
	(ii) बढ़ई	311.83	316.29	185.31	187.61
	(iii) श्रमिक	350.66	352.42	141.35	142.91
4	**पूर्वी क्षेत्र**				
	(i) राज	325.14	334.20	169.18	172.98
	(ii) बढ़ई	324.19	333.55	171.20	173.69
	(iii) श्रमिक	338.36	353.32	168.13	171.41
5	**उत्तर प्रदेश**				
	(i) राज	322.01	329.97	156.74	159.22
	(ii) बढ़ई	315.60	321.23	161.25	163.08
	(iii) श्रमिक	352.28	365.70	163.06	166.92

उत्तर प्रदेश का नगरीय मजदूरी दर सूचकांक

क्रमांक	**क्षेत्र**	**त्रैमासान्त मार्च 2016 का औसत सूचकांक (आधार वर्ष 2004–05)**	**त्रैमासान्त जून 2016 का औसत सूचकांक (आधार वर्ष 2004–05)**	**त्रैमासान्त सितम्बर 2016 का औसत सूचकांक (आधार वर्ष 2011–12)**	**त्रैमासान्त दिसम्बर 2016 का औसत सूचकांक (आधार वर्ष 2011–12)**
1.	**पश्चिमी क्षेत्र**				
	(i) राज	315.67	317.04	148.84	149.96
	(ii) बढ़ई	309.76	313.34	148.23	149.10
	(iii) अकुशल श्रमिक	375.55	383.33	159.66	160.94
2.	**मध्य क्षेत्र**				
	(i) राज	333.95	338.40	162.97	167.12
	(ii) बढ़ई	334.59	339.97	168.74	169.74

	(iii) अकुशल श्रमिक	399.18	400.82	166.00	165.85
3.	**बुन्देलखण्ड क्षेत्र**				
	(i) राज	341.80	346.16	174.52	173.96
	(ii) बढ़ई	362.61	363.28	186.53	186.19
	(iii) अकुशल श्रमिक	420.12	426.58	174.69	173.81
4.	**पूर्वी क्षेत्र**				
	(i) राज	324.68	331.00	167.70	170.30
	(ii) बढ़ई	296.23	305.35	168.15	168.33
	(iii) अकुशल श्रमिक	399.14	408.72	175.89	175.28
5.	**उत्तर प्रदेश**				
	(i) राज	322.19	325.04	155.62	157.43
	(ii) बढ़ई	314.16	318.77	155.69	156.45
	(iii) अकुशल श्रमिक	387.76	397.47	164.93	165.43

5.3.5. क्रय–विक्रय समता सूचकांक का प्रकाशन

आलोच्य वर्ष में उत्तर प्रदेश का क्रय–विक्रय समता सूचकांक (आधार वर्ष 2004–05) को वर्ष 2015–16 के लिए प्रकाशनार्थ अन्तिम रूप दिया गया।

उत्तर प्रदेश का कृषीय क्रय–विक्रय समता सूचकांक
(आधार वर्ष 2004–05)

क्रम संख्या	वर्ष	कृषकों द्वारा प्राप्त मूल्य सूचकांक	कृषकों द्वारा भुगतान किये गये मूल्य सूचकांक	क्रय–विक्रय समता सूचकांक
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	2010–11	173.32	164.66	105.26
2	2011–12	180.88	169.26	106.87
3	2012–13	199.62	197.58	101.03
4	2013–14	227.36	219.84	103.42
5	2014–15	243.72	226.46	107.62
6	2015–16	269.27	238.61	112.85(अनन्तिम)

******

अध्याय–6
औद्योगिक सांख्यिकी अनुभाग

अर्थ एवं संख्या प्रभाग में औद्योगिक सांख्यिकी अनुभाग में निम्नलिखित कार्य सम्पादित किए जाते हैंः–

1. औद्योगिक उत्पादन सूचकांक
2. वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण

6.1 औद्योगिक उत्पादन सूचकांक

सामान्य परिचय

- औद्योगिक उत्पादन के विभिन्न पहलुओं की विस्तृत जानकारी एवं विश्लेषण हेतु भारत सरकार द्वारा वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण कराया जाता है किन्तु सर्वेक्षण एवं उसके उपरान्त आँकड़ों का परिनिरीक्षण, संगणन कर पूर्ण रिपोर्ट प्रस्तुत करने में लगने वाले अपेक्षाकृत अधिक समय को देखते हुए तत्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति एवं औद्योगिक विकास की जानकारी हेतु औद्योगिक उत्पादन सूचकांक त्वरित सूचक है। इस हेतु निम्न सूचकांक तैयार किये जाते हैं–
- औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (उद्योग आधारित) – मासिक एवं वार्षिक
- औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (उपयोग आधारित)–मासिक एवं वार्षिक
- वार्षिक उत्पादन सूचकांक–परिमाण एवं मूल्य

- औद्योगिक उत्पादन सूचकांक द्वारा अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की समुचित औद्योगिक गतिविधियों को सांख्यिकीय विधि के अनुसार मापन करके एक संख्या प्रस्तुत की जाती है जिसके परिमाण से उस समयावधि में किसी संदर्भ अवधि (आधारवर्ष) की तुलना में हुए औद्योगिक उत्पादन के स्तर का बोध होता है। इस प्रकार से औद्योगिक उत्पादन के विभिन्न क्षेत्रों की गतिशीलता की जानकारी हेतु औद्योगिक उत्पादन सूचकांक तैयार किया जाता है।
- उपयोग आधारित औद्योगिक उत्पादन सूचकांक राज्य की विभिन्न उपयोगी वस्तुओं की प्रगति का संकेतक है। इसके द्वारा राज्य के उपयोग किये जाने वाले मदों में होने वाले परिवर्तन का आकलन किया जाता है।

राज्य स्तरीय सूचकांक – पृष्ठभूमि व कैलेन्डर

राज्य की औद्योगिक स्थिति का सही चित्रण प्रस्तुत करने हेतु राज्य स्तरीय औद्योगिक उत्पादन सूचकांक तैयार किया जाता है। राज्य स्तर पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक तैयार करने की प्रक्रिया वर्ष 1976 से प्रारम्भ की गयी। राज्य स्तर पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक मासिक एवं वार्षिक तैयार किया जाता है। मासिक सूचकांक माह की समाप्ति के 2 माह उपरान्त एवं वार्षिक सूचकांक आगामी वर्ष के नवम्बर माह के अन्त तक तैयार किया जाता है।

आधार वर्ष

औद्योगिक क्षेत्र में हो रहे नवीन परिवर्तनों को प्रतिबिम्बित करने हेतु सूचकांक तैयार करने में प्रयुक्त होने वाली मद तालिका में से पुराने व अप्रसांगिक मदों को छोड़कर नये व प्रचलित मदों को सम्मिलित करते हुए समय–समय पर आधारवर्ष को केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन के मार्ग निर्देशन में नवीन वर्ष पर परिवर्तित किया जाता है।

- राज्य स्तर पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक वर्ष 1976 से आधार वर्ष 1970–71 पर तैयार किया गया। वर्ष 1998 से आधार वर्ष 1993–94 पर तैयार किया गया। वर्ष 2007 से आधार वर्ष 1999–2000 पर तैयार किया गया है। वर्ष 2013 से आधार वर्ष 2004–05 पर तैयार किया जा रहा है।
- राज्य स्तर पर उपयोग आधारित सूचकांक वर्ष 2011–12 से आधार वर्ष 2004–05 पर तैयार किया जा रहा है।

6.1.1 औद्योगिक उत्पादन सूचकांक(उद्योग आधारित)

- राज्य स्तर पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (उद्योग आधारित) भारत सरकार की ही भांति औद्योगिक उत्पादन के तीन मुख्य खण्डों/सेक्टर यथा विनिर्माण, ऊर्जा व खनन में हो रही गतिविधियों के संयोजन पर आधारित है। इसके मुख्य सेक्टर विनिर्माण का सृजन राज्य में विभिन्न औद्योगिक समूहों के उत्पादन संकलन से तैयार किया जाता है जो उन पृथक–पृथक औद्योगिक समूह में हो रहे परिवर्तन को परिलक्षित करता है।
- राज्य स्तर पर तैयार किया जा रहा औद्योगिक उत्पादन सूचकांक एन.आई.सी. 2004 पर आधारित है।
- सूचकांक से सम्बन्धित भारण आरेख एवं मद तालिका का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैः–

खण्ड	भार	कुल मदों की संख्या
विनिर्माण	740.10	149
खनन	110.16	4
ऊर्जा	149.74	1
योग	1000.00	154

6.1.2 औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (उपयोग आधारित)

- विभिन्न उपयोग आधारित सूचकांक औद्योगिक मदों के समूहों के संकलन से तैयार किया जाता है। जो पृथक–पृथक उपयोग समूह में हो रहे परिवर्तन को परिलक्षित करता है।
- राज्य स्तर पर तैयार किया जा रहा उपयोग आधारित सूचकांक एन.आई.सी. 2004 पर आधारित है।
- सूचकांक से संबंधित भारण आरेख एवं मद तालिका का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है–

क्रमांक	वर्गीकरण	भार	कुल मदों की संख्या
i	आधारभूत वस्तुएं	483-80	21
Ii	पूँजीगत वस्तुएं	46-65	17
Iii	मध्यवर्ती वस्तुएं	126-77	42
Iv	कुल उपभोग की वस्तुएं	342-78	71
iv-a	टिकाऊ उपभोग की वस्तुएं	70-60	27
iv-b	गैर टिकाऊ उपभोग की वस्तुएं	272-18	44
योग		1000	151

प्रयुक्त आँकड़ें एवं उनके स्रोत

- सूचकांक तैयार करने में प्रयुक्त आँकड़ों एवं उनके स्रोत का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैः–

मद	आँकड़ों का स्रोत
वनस्पति	निदेशक वनस्पति,भारत सरकार
चीनी,खाण्डसारी	चीनी आयुक्त, उ0प्र0
आबकारी	आबकारी आयुक्त, उ0प्र0
विनिर्माण खण्ड	चयनित 820 कारखानों से जो प्रदेश के विभिन्न जनपदों में स्थित हैं। प्रत्येक मास के उपरान्त 15 दिन के पश्चात जिला अर्थ एवं

	संख्याधिकारी, कार्यालय द्वारा उक्त कारखानों से उत्पादन विवरण निर्धारित प्रारूप पर प्राप्त कर उपलब्ध कराये जाते हैं।
खनिज खण्ड	आई.बी.एम. नागपुर, भारत सरकार
विद्युत खण्ड	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, भारत सरकार

रीति विधायन

- औद्योगिक उत्पादन सूचकांक तैयार करने हेतु केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये रीति विधायन का प्रयोग किया जाता है।

6.1.3 वार्षिक उत्पादन सूचकांक–परिमाण एवं मूल्य

- कृषि उत्पादन सूचकांक द्वारा राज्य के कृषि क्षेत्र में हो रहे विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के उत्पादन की प्रगति का आंकलन किया जाता है। कृषि उत्पादन की प्रगति का अनुमान परिमाण एवं मूल्य पर आधारित है।

- राज्य स्तर पर कृषि उत्पादन सूचकांक वार्षिक अवधि में नियमित रूप से तैयार किया जा रहा है। सर्वप्रथम यह सूचकांक वर्ष 1978–79 से आधार वर्ष 1970–71 पर तैयार किया गया। वर्ष 1997–98 से आधार वर्ष 1993–94 पर तैयार किया गया। वर्ष 2004–05 से आधार वर्ष 1999–2000 पर तैयार किया गया। वर्ष 2008–09 से आधार वर्ष 2004–05 पर तैयार किया जा रहा है।

6.1.4 वर्ष 2016–17 में सम्पादित कार्य

- 2015–16 का वार्षिक औद्योगिक उत्पादन उद्योग एवं उपयोग आधारित सूचकांक तैयार किया गया।
- वर्षान्तर्गत निम्न 12 मास के औद्योगिक उत्पादन उद्योग एवं उपयोग आधारित सूचकांक तैयार किये गये।

माह फरवरी 2016 (त्वरित), माह जनवरी 16 (अनन्तिम), मार्च 16 (त्वरित) फरवरी 16 (अनन्तिम), माह अप्रैल 16 (त्वरित), माह मार्च 16 (अनन्तिम), माह मई 16 (त्वरित), माह अप्रैल 16 (अनन्तिम), माह जून 16 (त्वरित), माह मई 16 (अनन्तिम), माह जुलाई 16 (त्वरित), माह जून 16 (अनन्तिम), माह अगस्त 16 (त्वरित), माह जुलाई 16 (अनन्तिम), माह सितम्बर 16 (त्वरित), माह अगस्त 16 (अनन्तिम), माह अक्टूबर 16 (त्वरित), माह सितम्बर 16 (अनन्तिम), माह नवम्बर 16 (त्वरित), माह अक्टूबर 16 (अनन्तिम), माह दिसम्बर 16 (त्वरित), माह नवम्बर 16 (अनन्तिम), माह जनवरी 17 (त्वरित), माह दिसम्बर 16 (अनन्तिम), माह जनवरी 2017 (अनन्तिम), माह फरवरी 2017 (त्वरित)।

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (उद्योग आधारित)
मासिक सूचकांक

सेक्टर	अप्रैल 15	मई 15	जून 15	जुलाई 15	अगस्त 15	सितम्बर15	अक्टूबर 15	नवम्बर15	दिसम्बर15	जनवरी 16	फरवरी 16	मार्च 16
विनिर्माण	133.90	119.92	118.40	108.79	107.78	111.52	119.25	125.82	146.44	157.10	167.91	173.96
खनन	72.58	75.79	75.43	72.37	70.88	71.52	67.53	62.34	60.70	78.42	94.57	100.83
ऊर्जा	505.96	561.97	546.59	537.75	535.86	551.01	541.54	494.43	508.55	546.13	522.95	537.41
सामान्य	182.86	183.25	177.78	169.01	167.82	172.92	176.78	174.02	191.22	206.68	213.00	220.33

वार्षिक सूचकांक

सेक्टरवार सूचकांक	वर्ष 2014–15	वर्ष 2015–16	वृद्धि वर्ष 2014–15 से वर्ष 2015–16
विनिर्माण	132.08	132.73	0.49
खनन	91.71	75.24	–17.96
ऊर्जा	534.91	532.40	–0.47
सामान्य सूचकांक	187.95	186.25	–0.90

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (उपयोग आधारित) मासिक सूचकांक

उपयोग आधारित वर्गीकरण	अप्रैल 15	मई 15	जून 15	जुलाई 15	अगस्त 15	सितम्बर 15	अक्टूबर 15	नवम्बर 15	दिसम्बर 15	जनवरी 16	फरवरी 16	मार्च 16
i.आधारभूत वस्तुएं	216.06	232.64	228.15	224.06	225.54	226.99	226.17	208.59	214.88	230.90	227.43	232.09
ii.पूँजीगत वस्तुएं	110.26	91.05	95.65	88.91	91.77	108.81	98.65	101.47	78.86	90.41	87.21	105.79
iii.मध्यवर्ती वस्तुएं	146.28	127.71	129.75	123.75	121.33	135.93	147.46	162.66	107.03	154.04	162.97	159.42
iv.कुल उपभोग की वस्तुएं	149.40	140.81	135.64	119.02	113.90	119.01	128.56	139.30	204.25	207.79	228.25	241.84
Iv-a टिकाऊ उपभोग की वस्तुएं	145.15	128.75	123.22	185.49	127.78	129.80	125.45	96.30	131.97	125.43	127.80	343.37
Iv-b गैर टिकाऊ उपभोग की वस्तुएं	163.10	143.93	138.86	101.78	110.30	116.21	129.37	150.46	223.00	229.16	254.30	215.51
सामान्य सूचकांक	182.86	183.25	177.78	169.01	167.82	172.92	176.78	174.02	191.22	206.68	213.00	220.33

वार्षिक सूचकांक

क्रमांक	उपयोग आधारित वर्गीकरण	वर्ष 2014–15	वर्ष 2015–16	गत वर्ष के सापेक्ष : वृद्धि
i	आधारभूत वस्तुएं	229.56	224.42	–2.24
Ii	पूँजीगत वस्तुएं	127.08	95.74	–24.66
Iii	मध्यवर्ती वस्तुएं	135.25	139.85	3.40
Iv	कुल उपभोग की वस्तुएं	183.45	149.21	–18.66
iv-a	टिकाऊ उपभोग की वस्तुएं	150.15	165.12	9.97
iv-b	गैर टिकाऊ उपभोग की वस्तुएं	157.01	161.84	3.08

	सामान्य सूचकांक	187.95	186.25	–0.90

उत्पादन से सम्बन्धित सूचकांक

उत्पादन सूचकांक–परिमाण (volume)

प्रमुख मद	वर्ष 2013–14(अंतिम)	वर्ष 2014–15(अनन्तिम)	वर्ष 2015–16(त्वरित)	वर्षिक % वृद्धि वर्ष 2014–15	वर्षिक % वृद्धि वर्ष 2015–16
अनाज	121.89	96.63	106.24	–20.72	9.95
दाल	70.78	59.92	51.93	–15.34	–13.33
फल एवं सब्जी	114.90	136.31	142.88	18.63	4.82
गन्ना	81.90	85.25	78.36	4.09	–8.08
तिलहन	87.64	78.14	94.66	–10.84	21.14
सामान्य सूचकांक	122.03	117.30	121.40	–3.88	3.50

उत्पादन सूचकांक–मूल्य (value)

प्रमुख मद	वर्ष 2013–14(अंतिम)	वर्ष 2014–15(अनन्तिम)	वर्ष 2015–16(त्वरित)	वर्षिक % वृद्धि वर्ष 2014–15	वर्षिक % वृद्धि वर्ष 2015–16
अनाज	264.82	224.65	261.22	–15.17	16.28
दाल	165.65	175.29	205.08	5.82	16.99
फल एवं सब्जी	237.04	327.95	332.74	38.35	1.46
गन्ना	213.07	182.70	191.75	–14.25	4.95
तिलहन	195.54	180.30	202.49	–7.79	12.31
सामान्य सूचकांक	246.75	241.12	261.43	–2.28	8.42

6.1.5 कार्यशाला

राज्य स्तर पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की तुलनात्मक श्रृंखला तैयार करने तथा आधार वर्ष को 2011–12 पर परिवर्तित करने हेतु आवश्यक तकनीकी मार्गदर्शन देने के लिए केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार द्वारा कार्यशाला दिनांक 26 अगस्त, 2016 को कोलकाता, पश्चिम बंगाल में आयोजित की गई। उक्त कार्यशाला में श्री अनिल कुमार सिंह, अपर सांख्यिकीय अधिकारी ने अर्थ एवं संख्या प्रभाग, उ0प्र0 से प्रतिभाग किया।

6.2. वार्षिक उद्योग सर्वेक्षणः–

सांख्यिकीय संग्रहण अधिनियम 1953 के अन्तर्गत सांख्यिकीय संग्रहण (केन्द्रीय) नियमावली 1959 के आधार पर कारखाना अधिनियम 1948 की धारा–2 एम (i) व 2 एम (ii) में पंजीकृत कारखानों का वार्षिक सर्वेक्षण किया जाता है। यह सर्वेक्षण सर्वप्रथम 1959 में केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार के द्वारा प्रारम्भ किया गया था। वर्तमान में उप महानिदेशक क्षेत्र संकार्य प्रभाग, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण

कार्यालय को सांख्यिकीय प्राधिकारी (स्टेटिस्टिकल अथॉरिटी) घोषित करके वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण का कार्य किया जाने लगा। अर्थ एवं संख्या प्रभाग द्वारा भारत सरकार के निर्धारित रूप पत्र एवं दिशा निर्देशन में वर्ष 1960–61 से वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है।

मुख्य उद्देश्य एवं फ्रेम

इसका मुख्य उद्देश्य औद्योगिक नीति निर्धारकों एवं नियोजकों को औद्योगिक आंकड़े उपलब्ध कराना तथा राज्य/जिला आय के निर्धारण में विनिर्माण समूह के उद्योगों का अनुमान आकलित करना है। वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण का फ्रेम प्रदेश में मुख्य कारखाना निरीक्षक द्वारा रखी जा रही पंजीकृत कारखानों तथा बीड़ी एवं सिगार प्रतिष्ठानों एवं विद्युत उपक्रमों के सम्बन्ध में लाईसेन्सिंग प्राधिकरणों द्वारा रखी जा रही सूचियों पर आधारित है। वर्ष 1989–90 से वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण के फ्रेम को प्रति 3 वर्षों में एक बार संशोधन/अद्यतन किया जाता हैं।

अवधि

वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण के संग्रहीत आंकड़ों का सम्बन्ध सम्बन्धित प्रतिष्ठानों के 01 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि के बीच किसी भी दिन समाप्त हुए लेखा वर्ष से है।

चयन प्रक्रिया

निर्धारित चयन प्रक्रिया के अन्तर्गत पंजीकृत औद्योगिक इकाइयों के फ्रेम को गणना व गैर गणना क्षेत्र में विभाजित किया गया है। जिन कारखानों में 100 या 100 से अधिक कर्मी कार्यरत है तथा वें कारखाने जो संयुक्त रिर्टन भरते है वे गणना कारखानों की श्रेणी में आते है। गणना क्षेत्र के कारखानों का सर्वेक्षण भारत सरकार द्वारा किया जाता है तथा गैर गणना क्षेत्र के कारखानों में से भारत सरकार हेतु चयन करने के उपरान्त अवशेष कारखानो (Residual Frame) में से राज्य के सर्वेक्षण के लिये कारखानों का चयन किया जाता था।

वा0उ0स0 वर्ष 2012–13 से प्रतिदर्श चयन नये प्रतिदर्श अभिकल्प (New Sampling Design) के रुप में किया गया। नई प्रतिदर्ष अभिकल्प के ढॉचे का निर्माण जिला स्तर पर 4 अंकीय राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण– 2008 पर किया गया। इसके अनुसार औद्योगिक इकाइयों के फ्रेम में से गणना क्षेत्र के कारखानों के चयन के बाद अवशेष गैर गणना कारखानों में से केन्द्र व राज्य सर्वेक्षण हेतु समान रुप से 4 प्रतिदर्श चयन किये जाते है। पहले व तीसरे प्रतिदर्श का सर्वेक्षण भारत सरकार एवं दूसरे व चौथे प्रतिदर्श का सर्वेक्षण राज्य सरकार द्वारा किया गया।

सर्वेक्षण हेतु अनुसूची

सर्वेक्षण हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित अनुसूची भाग–1 (विवरणी) का प्रयोग किया जाता है जिसमें परिसम्पत्तियों एवं देयताओं, रोजगार एवं श्रम लागत, प्राप्ति, व्यय, लागत मदें– देशी एवं आयातित, उत्पाद

उद्योगों का वर्गीकरण

कारखानों के आर्थिक क्रिया कलापों में उद्योगों का वर्गीकरण प्रचलित राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (एन.आई.सी कोड) का अनुसरण किया जाता है। वर्तमान में एन.आई.सी कोड 2008 का प्रयोग किया जा रहा है ।

सर्वेक्षण एवं रिपोर्ट आलेखन

केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, कोलकाता द्वारा उपलब्ध करायी हुई राज्य प्रतिदर्श कारखानों की सूची को जनपदवार/मण्डलवार वितरित करके जनपदीय कार्यालय द्वारा प्रतिदर्श कारखानों केा नोटिस अनुदेश, अनुसूची आदि प्रपत्र भेजकर आँकड़ों के संग्रहण का कार्य कराया जाता है। कारखानों के आँकड़ों की डेटा इन्ट्री/वैलिडेशन करने हेतु प्रत्येक वर्ष सॉफटवेयर को तैयार/विकसित करके क्षेत्रों के सहायको को प्रशिक्षित किया जाता है। संग्रहित आँकड़ों का मण्डल स्तर पर परिनिरीक्षण व डेटाइन्ट्री/वैलिडेशन करने के उपरान्त प्रभाग

को उपलब्ध कराया जाता है। प्रभाग स्तर पर सन्दर्भित वर्ष के राज्य व केन्द्र के आँकड़ों को जनपद के अर्न्तगत उद्योग वर्गानुसार मिलाने के उपरान्त निर्धारित गुणक से उद्योग वर्गानुसार अनुमान प्राप्त कर गणना कारखानों के आँकड़ों को जिलेवार एवं उद्योगवार अनुमानित आँकड़ों के साथ जोड़ कर जनपदवार/मण्डलवार/राज्य स्तरीय अनुमान प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार भारत सरकार तथा प्रभाग द्वारा सर्वेक्षित आँकड़ों को आमेलित कर गुणक का उपयोग करते हुए विनियोजित पूँजी, उपभुक्त सामग्री, कुल आगत, कुल निर्गत, उत्पादन का मूल्य, सकल आवर्धित मूल्य, मूल्य हास, शुद्व आवर्धित मूल्य आदि महत्वपूर्ण मदों पर आधारित रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है।

6.2.1 वर्ष 2016–17 में सम्पादित कार्य

- **वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण वर्ष 2012–13** के केन्द्रीय आँकड़े भारत सरकार से प्राप्त करके उन्हें राज्य के सर्वेक्षित आँकड़ों के साथ आमेलित करते हुए निर्धारित गुणक से 63 मदीय सूचना के विवरण व सारणीयन प्रोग्राम के अनुरुप आँकड़ों को उत्थापित करके आँकडों पर आधारित 4 अध्यायों, 3 परिशिष्टों, अध्याय 3 में 37 तालिकाओं, 17 ग्राफ अध्याय 4 में 20 तालिकाओं, 7 ग्राफ एवं 6 सारणियों तथा आवश्यक रेखाचित्रों सहित कतिपय नवीनताओं तथा परिवर्तनों/परिवर्द्धनों के साथ रिपोर्ट निदेशक महोदय के अनुमोदनार्थ तैयार की गयी।
- **वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण वर्ष 2014–15** के राज्य प्रतिदर्श के 3339 कारखानों के आवंटन के सापेक्ष समस्त 3339 कारखानों के आँकड़ों का सर्वेक्षण, डेटा इन्ट्री वैलिडेशन एवं 3339 का परिनिरीक्षण कार्य पूर्ण कराया गया ।
- **वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण वर्ष 2015–16** के राज्य प्रतिदर्श के 3468 कारखानों के सर्वेक्षण हेतु जनपदीय कार्यालयों को आवश्यक निर्देश के साथ सर्वेक्षण कार्य प्रारम्भ कराया गया।

******

अध्याय –7
आवास सांख्यिकी

7.0 पृष्ठभूमि

आवास एवं भवन निर्माण सांख्यिकी के संग्रहण और प्रसारण हेतु राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन (एन.बी.ओ.), शहरी विकास मन्त्रालय, भारत सरकार को राष्ट्रीय स्तर पर नोडल अभिकरण के रुप में नामित किया गया है। आवास साँख्यिकी संग्रहण की याजेना चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (वर्ष 1969) में लागू हुई। योजनान्तर्गत आवास सांख्यिकी राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन, भारत सरकार की आवश्यकता की पूर्ति हेतु प्रभाग द्वारा एकत्र करायी जाती थी। राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन द्वारा वर्ष 2007–08 से एक नई केन्द्रीय पुरोनिधानित योजना "Urban Statistics for HR and Assessments (U.S.H.A)" प्रारम्भ की गई है जिसका मुख्य उद्देश्य आवास निर्माण, नगरीय गरीबी, झोपड़पट्टी तथा शहरीकरण से सम्बन्धित सूचना के लिए राष्ट्रीय स्तर का डेटाबेस, सूचना तन्त्र का प्रबन्धन एवं अन्य जानकारियाँ तैयार करना है। जिसकी पूर्ति हेतु प्रभाग द्वारा वांछित आँकड़ें एकत्रित करा कर उपलब्ध कराये जा रहे है जिनका विवरण निम्नवत् है :–

- **नये आवासीय भवन इकाईयों के परमिट शिड्यूल पार्ट–1–**

वर्ष 2013–14 से अनुसूची–1 एवं अनुसूची–2 के स्थान पर वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर 3 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले नगरों से नये आवासीय भवन इकाईयों के परमिट शिड्यूल पार्ट–1 के आंकड़ों का त्रैमासिक संग्रहण किया जाता है। इसके अन्तर्गत प्रदेश के 35 नगर चयनित किये गये हैं जिनके आंकड़ें जनपद कार्यालयों द्वारा संग्रह कर ब्रिक्स साफट्वेयर के माड़यूल पर ऑनलाइन फीड किये जाते हैं तत्पश्चात मुख्यालय स्तर से परीक्षण के उपरान्त राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन, भारत सरकार को ऑनलाइन अनुमोदित किया जाता है।

- **जारी किये गये भवनों के अनुमति प्रमाण पत्र एवं पूर्णता प्रमाण पत्र–**

वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर 1 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले 55 जनपदों के 63 नगर चयनित है। नये आवासीय भवन इकाईयों के अनुमति प्रमाण पत्र एवं कम्प्लीशन सर्टिफिकेट के आंकड़ें जनपद कार्यालयों द्वारा संग्रह कर ब्रिक्स साफ्टवेयर के माड़यूल पर ऑनलाइन फीड किये जाते हैं तत्पश्चात मुख्यालय स्तर से परीक्षण के उपरान्त राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन, भारत सरकार को ऑनलाइन अनुमोदित किया जाता है।

- Housing Start-up index (HSUI)-

राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा ऊषा स्कीम के अन्तर्गत HSUI योजना दिसम्बर, 2014 से प्रारम्भ की गयी है। इस योजना में प्रदेश के 34 जनपदों के 35 टाउन चयनित हैं। योजना के अन्तर्गत नगरीय क्षेत्र के नये आवासीय सम्पत्तियों के सर्किल दरें, बाजार दरें एवं किराया दरों के आकंड़े जनपदीय कार्यालयो के द्वारा संग्रह कर ब्रिक्स साफट्वेयर के माड्यूल पर ऑनलाइन फीड किये जाते हैं तत्पश्चात मुख्यालय स्तर से त्रुटियों का निराकरण कराकर जनपदों द्वारा सीधे राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन, भारत सरकार को ऑनलाइन अनुमोदित कराया जाता है।

- **भवन निर्माण सम्बन्धी आवश्यक वस्तुओं के त्रैमासिक फुटकर भावः–**

प्रदेश के सभी जिलों से 30 सितम्बर 1970 से प्रत्येक त्रैमासान्त के भवन निर्माण सम्बन्धी आवश्यक वस्तुओं के फुटकर बाजार भाव राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित रूप पत्र पर एकत्रित करने का कार्य प्रारम्भ किया गया है। इसके अन्तर्गत भवन निर्माण सम्बन्धी सामग्रियों के 14 मदों के 76 उपमदों के फुटकर भाव प्रत्येक त्रैमासान्त में एकत्र किये जाते हैं। 14 मदों में ईटें, रेत, पत्थर की रोड़ी, चूना, इमारती लकड़ी, सीमेन्ट, इस्पात, फर्श के लिए पत्थर की स्लैप,

ऐस्बस्टेस सीमेंट की चादरें, टाइल्स, रोगन व वार्निश, चादर काँच, सफाई पात्र एवं इलेक्ट्रिक फीटिंग सम्मिलित है। भवन निर्माण सम्बन्धी आवश्यक वस्तुओं के त्रैमासिक फुटकर भाव के आकंड़े जनपदीय कार्यालयों के द्वारा संग्रह कर ब्रिक्स साफ्टवेयर के माड़यूल पर ऑनलाइन फीड किये जाते हैं तत्पश्चात मुख्यालय स्तर से परीक्षण के उपरान्त राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन, भारत सरकार को ऑनलाइन अनुमोदित किया जाता है।

- **भवन निर्माण कार्यो में कार्यरत मजदूरों को देय मजदूरी की दरें :–**

यह कार्य सितम्बर 1970 से प्रत्येक त्रैमास के अन्त में जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा लोक निर्माण विभाग से कुशल मजदूरों यथा राज (प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी), बढ़ई (प्रथम एव द्वितीय श्रेणी) तथा अकुशल मजदूर (पुरूष एवं स्त्री) को देय मजदूरी की दरों के आंकड़े जनपदीय कार्यालयों के द्वारा संग्रह कर ब्रिक्स साफ्टवेयर के माड्यूल पर ऑनलाइन फीड किये जाते थे। माह जून, 2013 से भवन निर्माण कार्यो में कार्यरत मजदूरों को देय मजदूरी की दरें लोक निर्माण विभाग से संग्रहीत न कराकर सीधे जिले(नगर) के खुले बाजार से आकंड़ों का एकत्रीकरण कर ऑनलाइन इन्ट्री किया जाता है। तत्पश्चात मुख्यालय स्तर से परीक्षण के उपरान्त राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन, भारत सरकार को ऑनलाइन अनुमोदित किया जाता है।

- **भवन निर्माण लागत सूचकांकः–**

भवन निर्माण लागत सूचकांक वर्ष 1983 से (1980–81 के आधार वर्ष पर) प्रदेश के 7 जनपदों (कानपुर, बरेली, झॉसी, गोरखपुर, इलाहाबाद, मेरठ तथा वाराणसी) के लिये चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों हेतु तैयार किया जाता था। वर्ष 2007–08 से राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन, भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार आधार वर्ष 1999–2000 पर निम्न आय वर्ग कर्मचारियों हेतु निर्मित आवास टाइप–1(एल. आई.जी.) के लिए सभी जनपदों में लागत सूचकांक तैयार किया जा रहा है। वर्ष 2013–14 से निम्न आय वर्ग के कर्मचारियो हेतु निर्मित आवास टाइप–1 (एल0आई0जी0) के भवन निर्माण लागत सूचकांक आधार वर्ष 1999–2000 के स्थान पर वर्ष 2004–05 किया गया है। त्रैमासान्त जून, 2013 से पूर्व की भांति लागत(कास्ट) आवास विकास परिषद/पी0डब्ल्यू0डी0/अन्य कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर भवन निर्माण लागत सूचकांक को त्रैमासिक के स्थान पर वार्षिक ब्रिक्स साफट्वेयर पर ऑनलाइन इन्ट्री कर राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन, भारत सरकार को अनुमोदित किया जाता है।

- **जीर्ण–शीर्ण/खतरनाक एवं अनाधिकृत भवन सम्बन्धी सूचनाः–**

जीर्ण–शीर्ण/खतरनाक एवं अनाधिकृत भवन सम्बन्धी सूचना का एकत्रीकरण वर्ष 2013–14 से प्रारम्भ किया गया है। इसमें प्रदेश के चयनित 35 नगरों के आकंड़ें Municipal commissioners /District Collectors/City Development Authorities से प्राप्त करने के उपरान्त urban local bodies के Deputy Commissioner के स्तर से सत्यापित कराकर आंकड़ें जनपदीय कायार्लयों के द्वारा संग्रह करा कर ब्रिक्स साफ्टवेयर के माड़यूल पर ऑनलाइन फीड किये जाते हैं तत्पश्चात मुख्यालय स्तर से परीक्षण के उपरान्त राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन, भारत सरकार को ऑनलाइन अनुमोदित किया जाता है।

7.1 वर्ष 2016–17 में सम्पादित कार्यः–

- 75 जनपदों के भवन निर्माण सम्बन्धी आवश्यक वस्तुओं के फुटकर भाव त्रैमासान्त मार्च 2016, जून 2016, सितम्बर 2016 एवं दिसम्बर 2016 को ऑनलाइन अनुमोदन कर राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन, भारत सरकार, नई दिल्ली को प्रेषित किया गया।
- 75 जनपदों के भवन निमार्ण कार्यो में कार्यरत मजदूरों को देय मजदरी की दरें त्रैमासान्त मार्च 2016, जून 2016, सितम्बर 2016 एवं दिसम्बर 2016 को ऑनलाइन अनुमोदन कर राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन, भारत सरकार, नई दिल्ली को प्रेषित किया गया।

- 75 जनपदों के निम्न आय वर्ग के कर्मचारियों हेतु निर्मित आवास टाइप–1 के भवन निर्माण लागत सूचकांक वर्ष 2015–16 का ऑनलाइन अनुमोदन कर राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन, भारत सरकार, नई दिल्ली को प्रेषित किया गया।
- नये आवासीय भवन इकाईयों के परमिट शिड़यलू पार्ट–1 के चयनित 34 जनपदों के 35 नगरों के ऑकड़ें त्रैमासान्त मार्च 2016, जून 2016, सितम्बर 2016 एवं दिसम्बर 2016 को ऑनलाइन अनुमोदन कर राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन, भारत सरकार, नई दिल्ली को प्रेषित किया गया।
- जारी किये गये भवनों के अनुमति प्रमाण पत्र एवं कम्प्लीशन सर्टिफिकेट चयनित 55 जनपदों के 63 नगरों के आंकड़ें त्रैमासान्त मार्च 2016, जून 2016, सितम्बर 2016 एवं दिसम्बर 2016 को ऑनलाइन अनुमोदन कर राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन, भारत सरकार, नई दिल्ली को प्रेषित किया गया।
- एच0एस0यू0आई0 योजना के अन्तर्गत चयनित 34 जनपदों के 35 नगरों के नये आवासीय सम्पत्तियों के सर्किल दर, बाजार दर एवं किराया दरों के आकंड़ें त्रैमासान्त मार्च 2016, जून 2016, सितम्बर 2016 एवं दिसम्बर 2016 को ऑनलाइन राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन, भारत सरकार, नई दिल्ली को प्रेषित किया गया।
- जीर्ण–शीर्ण/खतरनाक एवं अनाधिकृत भवनो ंके चयनित 34 जनपदों के 35 नगरो ंके वार्षिक आकंड़े वर्ष 2015–16 का ऑनलाइन अनुमोदन कर राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन, भारत सरकार, नई दिल्ली को प्रेषित किया गया।
- भवन निर्माण सम्बन्धी भाव, दर तथा भवन निर्माण लागत सूचकांक वार्षिक पत्रिका वर्ष 2015–16 का प्रकाशन किया गया।

7.1.1 भवन निर्माण सम्बन्धी आवश्यक वस्तुओं के फुटकर भाव, मजदूरी की दरे ंतथा लागत सूचकांक वर्ष 2015–16 की प्रकाशित रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष–

(i)आवश्यक वस्तुओ ंके फुटकर भाव

- ईटें श्रेणी (क) का औसत भाव रू0 6216 तथा रेत निम्न रू0 1603, रेत अव्वल रू0 1176, पत्थर की रोड़ी (15 मि.मी. गेज और कम)रू0 2030, इमारती लकड़ी (क) सी.पी. सागौन रू0 83416, (ख) साल की लकड़ी रू0 60717 प्रति घन मीटर रहा एवं चूना अनबुझा का औसत भाव रू0 869 प्रति कुन्तल पाया गया।
- सीमेन्ट साधारण सफेद(क) उच्च शक्तिवाली का औसत भाव रू0 6211 (ख) कम शक्तिवाली रू0 5884, इस्पात (साधारण इस्पात की गोल छड़ें) (क) 10 मि.मी. व्यास रू0 41535, (ख) 12 मि.मी. व्यास रू0 41315, इस्पात (साधारण इस्पात की चपटी छड़ें) 30×12 मि.मी रू0 42461, इस्पात (एगंल आइरन) (क) 25×25×5 मि.मी. रू0 42122, (ख) 45×45×6 मि.मी.रू0 42094 साधारण इस्पात के चैनल (150×75 मि.मी.) रू0 44358 प्रति मी0 टन रहा।
- लकड़ी इस्पात कार्य के लिए विशेष पेंट का औसत भाव रू0 245 प्रति लीटर पाया गया।
- चादर कॉच के औसत भाव रू0 444 प्रति वर्ग मी. पाया गया।
- सफाई पात्र एस. डब्ल्यू पाइप (150 मि. मी. व्यास) का औसत भाव रू0 120 प्रति अदद पाया गया।

(ii) विभिन्न प्रकार की दैनिक मजदूरी की दरें

प्रदेश स्तर की राज प्रथम श्रेणी की औसत मजूदरी रू0 441, राज द्वितीय श्रेणी रू0 384, बढ़ई प्रथम श्रेणी रू0 410, बढ़ई द्वितीय श्रेणी रू0 361, अकुशल मजदूर(पुरूष)रू0 259, अकुशल मजदूर (स्त्री) रू0 241 प्रति दिन पाया गया ।

(iii) लागत सूचकांक

वर्ष 2015–16 मे भवन निर्माण लागत सूचकांक सबसे अधिक 468.57 जनपद सुल्तानपुर एवं अमेठी में तथा सबसे कम सूचकांक 100.48 जनपद मुजफ्फर नगर का पाया गया।

******

अध्याय–8
संगणक अनुभाग

अर्थ एवं संख्या प्रभाग में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण, वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण एवं विभिन्न सामाजार्थिक सर्वेक्षण कार्यो के माध्यम से एकत्रित कराये जा रहे ऑकडों की डेटा इन्ट्री के लिए साफ्टवेयर विकास एवं उनके क्रियान्वयन हेतु प्रशिक्षण तथा आंकडों के डेटा प्रोसेसिंग व_राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के ऑकडों की पूलिंग संबंधी कार्य, प्रभागीय वेबसाइट का प्रबन्धन, GIS इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास परियोजना संबंधी कार्य, SWAN कनेक्टीविटी सम्बन्धी कार्य हेतु संगणक अनुभाग का गठन किया गया । वर्तमान में उक्त कार्यो के अतिरिक्त प्रभाग के क्षेत्रीय एवं मुख्यालय स्तर पर तैनात कार्मिकों की कम्प्यूटर दक्षता व कुशलता में अभिवृद्धि हेतु अनुभाग द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है ।

8.0 वर्ष 2016–17 में सम्पादित कार्य

8.1 राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण

1– प्रदेश के जनपदीय कार्यालयों के प्रयोगार्थ भारत सरकार, डी0पी0डी0 कार्यालय कोलकाता से प्राप्त 73^{rd} round Phase-1,2&3 data validation software का क्रियान्वयन सम्बन्धी कार्य किया गया।

2–रा0प्र0स0 69वीं आवृत्ति के अनु0 1.2 की पूलिंग का कार्य किया गया।

3–रा0प्र0स0 69वीं आवृत्ति के अनु0 1.2 का सारणीयन संबंधी कार्य किया गया।

4–रा0प्र0स0 70वीं आवृत्ति के अनु0 18.1,18.2 एवं 33 का सारणीयन संबंधी कार्य किया गया।

5–रा0प्र0स0 71वीं आवृत्ति के अनु0 25.0 एवं 25.2 का सारणीयन संबंधी कार्य किया गया।

8.2 वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण

1– वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण, 2013–14 सम्बन्धी डेटा–इन्ट्री एवं वैलीडेशन साफ्ट्वेयर का एक दिवसीय प्रशिक्षण मण्डलीय कार्यालयों एवं प्रभाग मुख्यालय के वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण का कार्य कर रहे अपर सॉख्यिकीय अधिकारियों को प्रदान किया गया ।

2– प्रदेश के जनपदीय कार्यालयों के प्रयोगार्थ वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण, 2014–15 से सम्बन्धी डेटा इन्ट्री एवं वैलीडेशन साफ्टवेयर का विकास सम्बन्धी कार्य किया गया।

3– वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण, 2014–15 से सम्बन्धी डेटा इन्ट्री एवं वैलीडेशन साफ्टवेयर का एक दिवसीय प्रशिक्षण मण्डलीय कार्यालयों एवं प्रभाग मुख्यालय के वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण का कार्य कर रहे अपर सॉख्यिकीय अधिकारियों को प्रदान किया गया ।

4– वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण वर्ष 2012–13 में उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित केन्द्र एवं प्रभाग द्वारा एकत्रित आँकड़ों पर आधारित वांछित सारणीयन का कार्य किया गया।

5– निदेशक अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय बिहार द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण 2013–14 सम्बन्धी अनुसूचियो के कम्प्यूटीकरण एवं सारणीयन हेतु अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय बिहार के तीन कार्मिकों को दो दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

8.3 पंचम पावर्टी एण्ड सोशल मॉनीटरिंग सर्वेक्षण

1– प्रदेश के जनपदीय कार्यालयों के प्रयोगार्थ पंचम पावर्टी एण्ड सोशल मॉनीटरिंग सर्वेक्षण डेटा इन्ट्री साफ्टवेयर का विकास कार्य एवं क्रियान्वयन सम्बन्धी कार्य किया गया।

2– प्रदेश के जनपदीय कार्यालयों के प्रयोगार्थ पंचम पावर्टी एण्ड सोशल मॉनीटरिंग सर्वेक्षण सम्बन्धी डेटा–वैलीडेशन साफ्ट्वेयर का विकास कार्य किया गया।

3–प्रभाग के क्षेत्रीय कार्यालयो के प्रयोगार्थ पंचम पावर्टी एण्ड सोशल मॉनीटरिंग सर्वेक्षण संबंधित वैलीडेशन सॉफ्टवेयर का एक दिवसीय प्रशिक्षण जनपदीय कार्यालयों एवं प्रभाग मुख्यालय के पंचम पावर्टी एण्ड सोशल मॉनीटरिंग सर्वेक्षण का कार्य कर रहे अपर/सहायक सॉख्यिकीय अधिकारियों को प्रदान किया गया।

8.4 State Statistical Strengthening (SSS) योजना

1–SSS योजना के अन्तर्गत ''Devlopment of software for online and offline data entry'' के अन्तर्गत परियोजना की कार्यदायी संस्था यूपीडेस्को से विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कराकर प्रभाग एवं यूपीडेस्को के मध्य एम0 ओ0 यू0 हस्ताक्षरित कराया एवं उक्त योजना के क्रियान्वयन की दिशा में भावी आवश्यकताओं के अनुरूप एस0 आर0 एस0 तैयार करने सम्बन्धी कार्य किया।

8.5 SWAN कनेक्टीविटी संबंधी कार्य

1– 13वें वित्त आयोग के अन्तर्गत राज्य जिला सॉख्यिकीय प्रणाली में सुधार हेतु अर्थ एवं संख्या प्रभाग के जनपदीय कार्यालयो को जनपद स्तरीय स्वान केन्द्र से तथा प्रभाग मुख्यालय को राज्य स्तरीय स्वान केन्द्र से नेटवर्किंग का कार्य बी0एस0एन0एल0 द्वारा नामित संस्था Tel Excel के माध्यम से कराया जाता है । 2016–17 में स्वान कनेक्टीविटी के संचालन में आयी समस्याओं को कार्यदायी सस्था से समन्वय स्थापित करते हुए निराकरण कराया गया ।

8.6 प्रभाग की वेबसाइट का प्रबन्धन

1– प्रभाग की वेबसाइट जिसका URL 'http://updes.up.nic.in' पर प्रदर्शित सूचनाओं के अपडेशन हेतु रा0सू0वि0 केन्द्र से user id एवं password प्राप्त कर प्रभाग स्तर पर अपलोड कार्य किया जाता है।साथ ही प्रभाग की वेबसाइट को समय–समय पर यथा आवश्यकतानुसार user friendly एवं व्यवहारिक बनाये जाने हेतु भी कार्य किया गया। प्रभाग से सम्बन्धित अनुभागों से प्राप्त साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक, वार्षिक व अन्य प्रकार की सूचनाओं एवं प्रभाग में विकसित किए गये साफ्ट्वेयर व अन्य तत्सम्बन्धी सूचनाओं के साथ, प्राप्त निविदा व प्रेस रिलीज सम्बन्धी सूचनाओं को अनुभाग द्वारा अपलोड किया गया।

8.7 जी.आई.एस. इन्फ्रास्ट्रकचर विकास परियोजना का क्रियान्वयन

जी.आई.एस. इन्फ्रास्ट्रकचर विकास परियोजना में कार्यदायी संस्था राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा किये गये कार्यों का नियमित अनुश्रवण किया गया एवं ई–मानचित्र पोर्टल को नये इन्टरफेस एवं नयी विशेषताओं के साथ विकसित कराये गये। उक्त के सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के साथ समन्वय करते हुए कार्यों को सम्पादित कराया गया।

****

अध्याय–9
ग्राफ अनुभाग

प्रभाग में स्थापित ग्राफ अनुभाग द्वारा विभिन्न प्रकार के आँकड़ों को एक दृष्टि में अवलोकन हेतु ग्राफ, चार्ट एवं मानचित्र तैयार किये जाते है। प्रभाग के विभिन्न प्रकार के प्रकाषनों व प्रतिवेदनों में प्रयुक्त होने वाले आवरण पृष्ठ, मानचित्र, ग्राफ व चार्ट को मुख्यालय पर कार्यरत कलाकार/वरिष्ठ कलाकार द्वारा तैयार किया जाता है।

9.0 वर्ष 2016–17 में सम्पादित कार्य

9.1 वर्ष 2016–17 के अन्तर्गत निम्नांकित प्रकाशनों में लगाये जाने वाले आवरण पृष्ठ, मानचित्र, ग्राफ व चार्ट तैयार कराये गये।

1–भवन निर्माण सम्बन्धी आवश्यक वस्तुओं के फुटकर भाव, भवन निर्माण में कार्यरत मजदूरों को देय मजदूरी की दरें, भवन निर्माण लागत सूचकांक वर्ष 2015–16
2–वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण से सम्बान्धित रिपोर्ट वर्ष 2012–13(उत्तर प्रदेष के मानचित्र में जनपद वार पंजीकृत कारखानों की संख्या का विवरण)।
3–जिलेवार विकास संकेतक, वर्ष–2016
4–उत्तर प्रदेश की आर्थिक समीक्षा, वर्ष 2015–16
5–उत्तर प्रदेश के आय–व्ययक के आर्थिक एवं कार्य सम्बन्धी वर्गीकरण, वर्ष 2016–17
6–साँख्यिकीय सारांश, वर्ष–2016
7–साँख्यिकीय डायरी, उत्तर प्रदेश (हिन्दी संस्करण) वर्ष–2016
8–साँख्यिकीय डायरी, उत्तर प्रदेश (अंग्रेजी संस्करण) वर्ष–2016
9–उत्तर प्रदेश एक झलक, (हिन्दी संस्करण) वर्ष–2016
10–उत्तर प्रदेश एक झलक, (अंग्रेजी संस्करण) वर्ष–2016
11–अन्तर्राज्यीय तुलनात्मक आँकड़े, वर्ष–2015
12–राज्य आय अनुमान, उत्तर प्रदेश वर्ष 2011–12 से वर्ष 2015–16
13–उत्तर प्रदेश के स्थानीय निकायों के आय–व्यय, पूँजी व्यय, स्वच्छता सेवा एवं रोजगार सम्बन्धी आँकड़े, वर्ष 2014–15
14–रा0प्र0स0 67वीं आवृत्ति अनुसूची 2.34 पर आधारित रिपोर्ट उ0 प्र0 मे असमाविष्ट गैर (निर्माण को छोड़कर) उद्यमों की प्रचालनात्मक एवं आर्थिक विषिष्टताऐं ।
(जुलाई 2010–जून 2011)
15–रा0प्र0स0, 67वीं आवृत्ति के केन्द्रीय व राज्य प्रतिदर्ष के ऑकडों की पूलिंग पर आधारित रिपोर्ट (जुलाई 2010–जून 2011)

A Report on Unincorporated Non–Agricultural Enterprises (Excluding Construction) in Uttar Pradesh, (July 2010-June 2011)
16–रा0प्र0स0 68वीं आवृत्ति अनुसूची 10 पर आधारित रिपोर्ट उत्तर प्रदेष में रोजगार–बेरोजगार की स्थिति (जुलाई 2011–जून 2012)
17–रा0प्र0स0, 68वीं आवृत्ति के केन्द्रीय व राज्य प्रतिदर्ष के ऑकडों की पूलिंग पर आधारित रिपोर्ट (जुलाई 2011–जून 2012)
Report' on Pooling of Central and State Sample data of NSS 68 th Round (July 2011-June 2012)

18–भारतीय सांख्यिकीय सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों के दिनॉक 12 से 22 दिसम्बर 2016 के मध्य प्रभाग में प्रषिक्षण के प्रमाण पत्र तैयार किये गये।

19–राष्ट्रीय प्रतिदर्ष सर्वेक्षण 74वीं आवृत्ति (द्वितीय चरण) (अक्टूबर 2016 से जून 2017) का राज्य स्तरीय प्रशिक्षण का बैनर तैयार किया गया।

20–प्रभाग मुख्यालय पर आयोजित होने वाली विभिन्न स्तर की बैठकों में भाग लेने वाले अधिकारियों की नेम प्लेट बनाने का कार्य भी किया गया।

21–प्रभाग मुख्यालय तथा जनपदीय व मण्डलीय कार्यालयों में अधिकारियों व कर्मचारियों के लगभग 280 परिचय–पत्र तैयार कर उपलब्ध कराये गये।

22–प्रभाग स्तर पर आयोजित होने वाली विभिन्न बैठकों व ट्रेनिंग कार्यक्रमों में फोटोग्राफी का कार्य भी सम्पादित किया गया।

9.2 क्षेत्रीय कार्यालयों में सम्पादित कार्य का परिनिरीक्षण–

जनपद व मण्डल स्तर पर प्रत्येक वर्ष नियोजन एटलस का प्रकाषन किया जाता है। जिसके लिये ग्राफ अनुभाग द्वारा प्रत्येक जनपद व मण्डल की एटलस संरचना हेतु पत्र जारी करना, तकनीकी मार्गदर्षन व दिषानिर्देष देना, अनुभाग में एटलस प्राप्त होने पर उनका परिनिरीक्षण करना और उनमें किसी प्रकार की त्रुटि/कमी पायें जाने पर सम्बन्धित जनपद व मण्डल को यथा संशोधन हेतु अवगत कराया गया। वर्ष 2016–17 में समस्त जनपदों व मण्डलों द्वारा नियोजन एटलस–2016 के प्रकाषन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। अनुभाग द्वारा सभी जनपदों व मण्डलों की नियोजन एटलस–2016 के परिनिरीक्षण का कार्य पूर्ण कर लिया गया और उनकी त्रुटियों/कमियों के सम्बन्ध में सम्बन्धित जनपदों व मण्डलों को यथा संशोधन हेतु अवगत कराया गया।

******

अध्याय –10
बाहय सहायतित कार्यक्रम एवं सर्वेक्षण अनुभाग

10.0 सपोर्ट फॉर स्टैटिस्टिकल स्ट्रैन्थनिंग(SSS)

10.1 पृष्ठभूमि

राज्य की सांख्यिकीय प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु केंद्र सरकार द्वारा समय–समय पर संचालित योजनाओं के अन्तर्गत अनुमोदित कार्यों के क्रियान्वयन/अनुश्रवण के उद्देश्य से प्रभाग मुख्यालय पर SSSP Cell का गठन वर्ष 2011 में किया गया। इस Cell के गठनोपरान्त निम्न कार्य किये गयेः–

A- 13वें वित्त आयोग की संस्तुति से प्राप्त धनराशि से क्रियान्वित कार्य।

B- SSS के अन्तर्गत संयुक्त हस्ताक्षरित MoU में अनुमोदित कार्यों का क्रियान्वयन।

13वें वित्त आयोग की संस्तुति से प्राप्त धनराशि से संपादित होने वाला कार्य की अवार्ड अवधि 2010–15 तक थी, तदनुसार योजना अंतर्गत प्रस्तावित कार्यों का निष्पादन किया जा चुका है। वर्तमान में SSS योजना से संबंधित कार्यों का निषपादन किया जा रहा है।वर्तमान में यह योजना भारत सरकार एवं उ0प्र सरकार के मध्य दिनांक 03.11.2015 को संयुक्त रूपसे हस्ताक्षरित MoU के अनुसार संचालित है। यह योजना 31.03.2020 तक विस्तारित है।

10.2 सपोर्ट फॉर स्टैटिस्टिकल स्ट्रैन्थनिंग (एस.एस.एस.) के अर्न्तगत क्रियान्वित कार्य

योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16 में प्रदेश को 43.76 करोड़ रूपए की स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष भारत सरकार एवं उ०प्र० सरकार के मध्य दिनांक 03.11.2015 को MoU संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित किया गया है। MoU के आधार पर प्रथम किश्त के रूप में भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015–16 के लिए रू. 06 करोड़ रूपए की धनराशि अवमुक्त की गई थी, जिसके सापेक्ष मार्च 2017 तक कुल रू0–3.17 करोड़ की धनराशि का व्यय किया गया है। वर्ष 2016–17 में योजनान्तर्गत कराए गए प्रमुख कार्य निम्नवत हैः–

(i) मानव संसाधन विकासः–

इसके अन्तर्गत सर्वेक्षण कार्य में दक्षता हेतु "Skill Development Training Programme for Youth on Primary Data Collection and Field Survey" विषय पर प्रदेश के प्रत्येक जनपद से चयनित शिक्षित युवकों को प्रशिक्षित किये जाने का उद्देश्य है। वर्ष 2016–17 में उपरोक्त संदर्भित विषय पर 06 चरणों में गिरि विकास अध्ययन संस्थान, लखनऊ के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न जनपदों से चयनित कुल 235 शिक्षित युवकों को प्रशिक्षण प्रदान कराया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है।

क्र.सं0	बैच	जनपद	प्रशिक्षणाथियों की संख्या
1	प्रथम	गोन्डा	15
		बलरामपुर	10
		बहराईच	12
		श्रावस्ती	2
2	द्वितीय	सीतापुर	16
		खीरी	11
		मऊ	5

क्र.सं0	बैच	जनपद	प्रशिक्षणाथियों की संख्या
		इटावा	7
		बलरामपुर	1
3	तृतीय	बरेली	10
		बदायु	10
		शाहजहाँपुर	7
		पीलीभीत	7
		लखनऊ	8
4	चतुर्थ	कानपुर देहात	8
		कानपुर नगर	13
		कन्नौज	4
		फर्रूखावाद	6
		औरैया	6
5	पंचम	हरदोई	8
		फेजावाद	10
		सुलतानपुर	7
		अमेठी	3
		बाराबंकी	9
6	षष्ठ	चंदौली	6
		जौनपुर	16
		वाराणसी	4
		गाजीपुर	14
7	कुल यांग		235

(ii) **पंचम पावर्टी एण्ड सोशल मॉनीटरिंग–** उत्तर प्रदेश में रहने वाले व्यक्तियों के रहन सहन की स्थिति में गुणात्मक सुधार लाने के लिए विश्व बैंक की सहायता से उत्तर प्रदेश में पावर्टी एण्ड सोशल मॉनीटरिंक सिस्टम का विकास वर्ष 1999 में किया गया। परियोजना के अंतर्गत सहमति हुई थी कि एक बार बेसलाइन स्थापित होने के बाद लगातार नियमित सामयिक रूप से अनुश्रवण करने हेतु सर्वेक्षणों का कार्यान्वयन किया जाएगा। अब तक चार पावर्टी मॉनीटरिंग सर्वेक्षण की रिपोर्ट प्रकाशित की गई हैं। इसी श्रृंखला में भारत सरकार की एस0एस0एस0 योजना से वित्त पोषित पंचम पावर्टी एण्ड सोशल मॉनीटरिंग सर्वेक्षण –2016 जनवरी से दिसंबर 2016 के मध्य संपन्न हुआ। इसके अंतर्गत राज्य हेतु चयनित 2432 प्रतिदर्श इकाईयों का सर्वेक्षण एवं डाटा इन्ट्री का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा डाटा वैलीडेशन का कार्य प्रगति पर है।

****

अध्याय– 11
प्रकाशन एवं प्रचार अनुभाग

11.0 सम्पादित कार्य

ऑकड़ों के सुलभ प्रस्तुतिकरण एवं उनका अभिलेखीकरण कर अनुरक्षण सुनिश्चित करने तथा ऑकड़ों की उपलब्धता के प्रचार के उद्देश्य से प्रभाग स्तर पर अलग–अलग अनुभागों द्वारा विभिन्न प्रकाशन तैयार किये जाते है, इनमें अधिकांश प्रकाशन नियमित रूप से वार्षिक अंतराल में प्रकाशित किये जाते है । समय–समय पर प्रभाग द्वारा किये जाने वाले विशेष कार्य जैसे :– आर्थिक गणना , पावर्टी एण्ड सोशल मांनीटरिंग सर्वेक्षण आदि के परिप्रेक्ष में प्राप्त रिपोर्टों का प्रकाशन तदर्थ रूप से कराया जाता है। यद्यपि प्रभाग के सभी नियमित प्रकाशन प्रभागीय वेबसाइट http://updes.up.nic.in पर उपलब्ध है,फिर भी अध्ययन में प्रयोग की सहजता के दृष्टिकोण से पुस्तकीय रूप में अर्थात प्रिन्ट रूप में उपलब्धता का अपना विशिष्ट महत्व है।

11.1 प्रभाग के महत्वपूर्ण नियमित प्रकाशन

प्रभाग, मुख्यालय के विभिन्न अनुभागों द्वारा नियमित रूप से निम्नांकित प्रकाशनों की पाण्डुलिपियां प्रचार एवं प्रकाशन अनुभाग को मुद्रण की कार्यवाही हेतु उपलब्ध करायी जाती है।

क्र0सं0	प्रकाशन का नाम	प्रकाशन का सम्बन्धित अनुभाग	प्रकाशन का संस्करण	कार्य प्रारम्भ होने का वर्ष
1	सॉख्यिकीय डायरी, उ0प्र0 (हिन्दी संस्करण)	डेटा बैंक	वार्षिक	1968
2	उत्तर प्रदेश एक झलक (ऑकड़ों में)	डेटा बैंक	वार्षिक	1991
3.	उ0प्र0 की आर्थिक समीक्षा	राज्य आय अनुभाग	वार्षिक	1994–95
4.	राज्य आय अनुभाग, उ0प्र0	राज्य आय अनुभाग	वार्षिक	1950–51
5.	उ0प्र0 का आय–व्यय का आर्थिक एवं कार्य सम्बन्धी वर्गीकरण	राज्य आय अनुभाग	वार्षिक	1965–66
6.	राज्य नियोजन संस्थान,उ0प्र0 का कार्य विवरण	क्षेत्रीय नियोजन प्रभाग के समन्वय से राज्य नियोजन सस्थान के सभी प्रभाग	वार्षिक	
7.	सांख्यिकीय सारांश उ0प्र0	डेटा बैंक	वार्षिक	1961

8.	जिलेवार विकास सकेतक	डेटा बैंक	वार्षिक	1978
9.	अन्तर्राज्यीय तुलनात्मक आंकड़े	डेटा बैंक	वार्षिक	1976
10	अर्न्तर्जनपदीय ऑकड़े	डेटा बेंक	द्विवार्षिक	1976
10.	सॉख्यिकीय डायरी उ0प्र0 (अंग्रेजी संस्करण)	डेटा बैंक	वार्षिक	1968
11.	UP AT A GLANCE (IN FIGURES)	डेटा बैंक	वार्षिक	2009

त्रैमासान्त प्रकाशन

क0सं0	प्रकाशन का नाम	प्रकाशन का वर्ष
1.	त्रैमासिक न्यूज लेटर	प्रथम संस्करण अक्टूबर–दिसम्बर 2008

तदर्थ प्रकाशन

क0सं0	प्रकाशन का नाम	प्रकाशन का वर्ष
1.	आर्थिक गणना (प्रत्येक 5 वर्ष में)	1977

चक्रमुद्रित प्रकाशन

क0सं0	प्रकाशन का नाम	प्रकाशन का सम्बन्धित अनुभाग	प्रकाशन का संस्करण	कार्य प्रारम्भ होने का वर्ष
1.	वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण	वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण अनुभाग	वार्षिक	1964–65
2.	स्थानीय निकायों के आय–व्यय, पूंजी–व्यय, स्वच्छता सेवा एवं रोजगार सम्बन्धी ऑकड़े	राज्य आय अनुभाग	वार्षिक	1967–68
3.	भवन निर्माण सम्बन्धी भाव, मजदूरी की दरें तथा भावन निर्माण लागत सूचकांक	आवास सांख्यिकी अनुभाग	वार्षिक	1981–82

उक्त चक्रमुद्रित प्रकाशनों का वितरण जनपदीय/मण्डलीय कार्यालयों में प्रभाग द्वारा किया जाता है। क्रमांक 2 पर अंकित प्रकाशन का वितरण जनपद/मण्डलों के अतिरिक्त 12 नगर निगमों को भी उपलब्ध कराया जाता है।

11.2 वर्ष 2016–2017 में सम्पादित कार्य

1– नियमित प्रकाशन (राजकीय मुद्रणालय में मुद्रणाधीन)

- सॉख्यिकीय डायरी उत्तर प्रदेश 2016
- उत्तर प्रदेश एक झलक (आँकड़ों में) 2016
- उत्तर प्रदेश आर्थिक समीक्षा 2015–16
- राज्य आय अनुमान उत्तर प्रदेश 2011–12 से 2015–16
- उत्तर प्रदेश के आय–व्ययक का आर्थिक एवं कार्य सम्बन्धी वर्गीकरण वर्ष 2016–17

2– उक्त के अतिरिक्त अन्य नियमित प्रकाशनों का प्रकाशन राजकीय मुद्रणालय से कराया गया।

- सॉ0डायरी (अग्रेजी) 2016
- एक झलक (अंग्रेजी) 2016
- भवन निर्माण सम्बन्धी आवश्यक बस्तुओं के फुटकर भाव मजदुरी तथा लागत सूचकांक वर्ष 2014–15
- अन्तर्जनपदीय ऑकड़े वर्ष 2015
- अन्तर्राज्जीय तुलनात्मक ऑकडें –2014

3–त्रैमासान्त प्रकाशन के रूप में सन्दर्भित अवधि में प्रत्येक त्रैमासान्त में त्रैमासिक न्यूज लैटर का मुद्रण कराया।

- त्रैमासिक न्यूज लेटर अप्रैल–जून 2016
- त्रैमासिक न्यूज लेटर जुलाई-सितम्बर 2016
- त्रैमासिक न्यूज लेटर अक्टूबर-दिसम्बर 2016

4– मुद्रित किये गये प्रकाशन–

- राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश का कार्य–विवरण 2016–17
- आर्थिक गणना 2012–13 की रिपोर्ट

******

अध्याय–12
समन्वय, प्रशिक्षण एवं शोध अनुभाग

अर्थ एवं संख्या प्रभाग, केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, राज्य सरकार तथा राज्य योजना आयोग के मध्य समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से एक विशेष अनुभाग की स्थापना अनुसंधान अनुभाग नाम से की गयी थी। इस अनुभाग में सम्पादित किये जा रहे कार्यो को देखते हुये इसे अनुसंधान अनुभाग से परिवर्तित कर समन्वय एवं अनुश्रवण अनुभाग किया गया। 13 अगस्त, 2007 को समन्वय एवं अनुश्रवण अनुभाग से ही सम्बद्ध एक रिसर्च सेल की स्थापना की गयी जिसके द्वारा समय–समय पर विभिन्न विषयों पर पेपर/प्रस्तुतीकरण तैयार किये गये। दिनांकः 06.10.2008 को इस अनुभाग का नाम पुनः संशोधित करते हुये समन्वय, प्रशिक्षण एवं शोध अनुभाग रख दिया गया। सम्यक विचारोपरान्त इस रिसर्च सेल को दिनांकः 12.08.2009 को समन्वय, प्रशिक्षण एवं शोध अनुभाग में विलीन कर दिया गया।

12.1 मुख्य उद्देश्य

इस अनुभाग का मुख्य उद्देश्य अर्थ एवं संख्या प्रभाग, केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, राज्य सरकार तथा राज्य योजना आयोग के मध्य समन्वय स्थापित करने के साथ प्रभाग के विभिन्न अनुभागों के कार्यों में समन्वय स्थापित करना, प्रस्तुतिकरण तथा शोध सम्बंधी कार्य करना एवं भारत सरकार/राज्य सरकार/विभिन्न संस्थाओं/प्रशिक्षण प्रभाग द्वारा आयोजित विभिन्न विषयक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिलवाना है।

12.2 सम्पादित कार्यों का विवरण

- समन्वय, प्रशिक्षण एवं शोध अनुभाग द्वारा भारत सरकार, उ0 प्र0 शासन, प्रदेश के अन्य विभागों, अर्थ एवं संख्या प्रभाग के मण्डलों एवं जनपदीय कार्यालयों के साथ समन्वय स्थापित करते हुये भारत सरकार एवं शासन को सूचना का प्रेषण।
- मण्डल एवं जनपदों के समग्र कार्यो की सूचना प्राप्त कर मण्डलीय उपनिदेशकों एवं जनपदीय अर्थ एवं संख्याधिकारियों की जनपद एवं मण्डल के कार्यो की समीक्षा कराना।
- मण्डलीय अधिकारियों द्वारा किये गये कार्यालय निरीक्षण की समीक्षा कराना।
- शासन की मांग के अनुसार प्रभाग की कार्य योजना (टास्क सेटिंग) तथा माहवार प्रगति रिपोर्ट, प्रभाग द्वारा किये जा रहे प्रत्येक माह महत्वपूर्ण कार्य की रिपोर्ट तथा अधिष्ठान एवं लम्बित प्रकरणों से सम्बन्धित सूचना शासन द्वारा निर्धारित रूप पत्रों पर उपलब्ध कराना।
- समय–समय पर भारत सरकार, राज्य सरकार व अन्य द्वारा आयोजित प्रशिक्षण/ सेमिनार कार्यक्रम में प्रभाग, मण्डल एवं जनपद स्तर के कार्मिकों को नामित कराना।
- विभागीय तकनीकी एवं सलाहकार समिति की बैठकों का आयोजन व अन्य सम्बन्धित कार्य।
- केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किये जा रहें केन्द्र एवं राज्यों के सांख्यिकीय संगठनों का सम्मेलन (**COCSSO**) में राज्यों की सांख्यिकीय प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के अन्तर्गत की जा रही संस्तुतियों की कार्यान्वयन आख्या प्रदेश के अन्य विभागों व प्रभागों के अन्य

अनुभागों से प्राप्त कर संकलित रूप में भारत सरकार को भिजवाने के कार्य को भी सम्पादित किया जाता है।

- केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष सम्मेलन आयोजित किये जाने वाले केन्द्र एवं राज्यों के सांख्यिकीय संगठनों के सम्मेलनों(**COCSSO**) हेतु प्रस्तुतीकरण तैयार किये जाते हैं।
- राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग द्वारा की गयी संस्तुतियों से सम्बन्धित कार्य।
- वार्षिक योजना/पंचवर्षीय योजना डाक्यूमेन्ट के प्रथम अध्याय ''**An Overview of the State Economy**'' का लेखन कार्य एवं वार्षिक योजना/पंचवर्षीय योजना डाक्यूमेन्ट के प्रभाग से सम्बन्धित अनुलग्नकों को तैयार किया जाता है।
- प्रभाग का त्रैमासिक **News Letter ESR, UP.** का प्रकाशन प्रभाग द्वारा दिसम्बर 2008 से किया जा रहा है। इस News Letter का उद्देश्य प्रभाग के समस्त कार्य कलापों, अधुनान्त सूचकांक व प्रकाशित रिपोर्ट के मुख्य अंश तथा अन्य सांख्यिकीय कार्यो का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करना है।
- भारत सरकार के निर्देश के क्रम में स्व० प्रो0पी0सी0 महालनोबिस के जन्मदिवस पर प्रत्येक वर्ष दिनांक 29 जून को सांख्यिकी दिवस का आयोजन किया जाता है। सांख्यिकी दिवस हेतु विषय का निर्धारण भारत सरकार द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस से सम्बन्धित आख्या (फोटो सहित) प्रकाशन हेतु **CSO** भारत सरकार को भेजी जाती है।

12.3 वर्ष 2016–17 में सम्पादित कार्य

- प्रभाग द्वारा प्रत्येक माह किये गये महत्वपूर्ण कार्यो की प्रगति प्रमुख समन्वय अधिकारी एवं शासन को प्रेषित की गयी।
- केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किये जा रहें केन्द्र एवं राज्यों के सांख्यिकीय संगठनों (**COCSSO**) के दिनांक 19, 20 जनवरी 2017 को नागपुर (महाराष्ट्र) में आयोजित हुए 24वां सम्मेलन में श्री गिरजा शंकर कटियार, निदेशक तथा श्री ए.के. पाण्डेय, संयुक्त निदेशक द्वारा प्रतिभाग किया गया। इस सम्मेलन की संस्तुतियों की कार्यान्वयन आख्या तैयार कर भारत सरकार को जा रही है।
- स्व० प्रो0पी0सी0 महालनोबिस के जन्मदिवस पर 10वां सांख्यिकी दिवस दिनांक 29–06–2016 का आयोजन अर्थ एवं संख्या प्रभाग द्वारा किया गया। भारत सरकार द्वारा इस वर्ष का विषय **Agriculture & Farmers' Welfare** निर्धारित किया गया।
- राज्य सरकार/विभिन्न संस्थाओं/प्रशिक्षण प्रभाग द्वारा आयोजित विभिन्न विषयक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रभाग के 90 अधिकारियों को प्रशिक्षण दिलवाया गया।
- विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं शैक्षिक संस्थानों द्वारा भेजे गये 08 अंतःप्रशिक्षुओं को प्रभाग द्वारा ग्रीष्मकालीन अंतःप्रशिक्षुता करायी गयी।
- शासन /भारत सरकार से प्राप्त विविध प्रकरणों से संबधित कार्य भी किये जाते हैं।

*****

अध्याय–13
स्थापना अनुभाग

वर्ष 1931 में प्रभाग के अस्तित्व में आते ही स्थापना अनुभाग की स्थापना की गयी तत्समय से ही निम्न प्रकार के कार्यों का सम्पादन किया जा रहा हैः–

- **प्रशासनिक व्यवस्था–** मण्डल/जनपद एवं मुख्यालय स्तर पर प्रशासनिक नियंत्रण रखना।
- **नियुक्ति–** शासन द्वारा प्रभाग में सृजित पदों पर कार्मिकों की नियुक्ति की कार्यवाही सुनिश्चित करना।
- **पदोन्नति–** संवर्ग की प्रख्यापित सेवा नियमावली के अनुसार पदोन्नति के पदों पर कार्मिकों की पदोन्नति हेतु कार्यवाही सुनिश्चित करना।
- **स्थायीकरण–** प्रभाग में नियुक्त कार्मिकों का नियमानुसार स्थाईकरण की कार्यवाही सुनिश्चित करना।
- **ज्येष्ठता–** प्रभाग में नियुक्त कार्मिकों का नियमानुसार ज्येष्ठता की कार्यवाही सुनिश्चित करना।
- **समयमान वेतनमान/वित्तीय स्तरोन्नयन–** शासन द्वारा समय–समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार कार्मिकों को लाभ दिये जाने संबंधी कार्यवाही सुनिश्चित करना।
- सेवा संबंधी अन्य प्रकरण।
- शासन द्वारा सौपे गये अन्य कार्य।
- स्थापना संबंधी सूचनाओं का प्रेषण।

13.1 वर्ष 2016–17 में सम्पादित कार्य

नियुक्तिः–

- कनिष्ठ सहायक के पद पर 03 मृतक आश्रितों के नियुक्ति आदेश जारी किये गये।

पदोन्नतिः–

- 01 संयुक्त निदेशक को अपर निदेशक के पद पर पदोन्नत किया गया।
- 02 उप निदेशक को संयुक्त निदेशक के पद पर पदोन्नत किया गया।
- 03 अर्थ एवं संख्याधिकारियों को उप निदेशक के पद पर पदोन्नत किया गया।
- 13 अपर सांख्यिकीय अधिकारियो को अर्थ एवं संख्याधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया।
- 30 सहायक सांख्यिकीय अधिकारियों को अपर सांख्यिकीय अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया।

समयमान वेतनमान/वित्तीय स्तरोन्नयन

- 09 अर्थ एवं संख्याधिकारियों एवं 42 अपर सांख्यिकीय अधिकारियों को 10 वर्ष की सेवा पर प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ स्वीकृत किया गया।
- 04 अर्थ एवं संख्याधिकारियों, 196 अपर सांख्यिकीय अधिकारियों को 16 वर्ष की सेवा पर द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ स्वीकृत किया गया।

- 02 अपर सांख्यिकीय अधिकारियों, को 26 वर्ष की सेवा पर तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ स्वीकृत किया गया।

स्थानान्तरण

01 उप निदेशक, 23 अर्थ एवं संख्याधिकारी, 51 अपर सांख्यिकीय अधिकारी, 32 सहायक सांख्यिकीय अधिकारी, 03 वरिष्ठ कलाकार, 15 वरिष्ठ सहायक, 10 कनिष्ठ सहायक, 03 चालक एवं 11 चपरासियों के स्थानान्तरण किये गये।

सेवा निवृत्त

वर्ष में 01 अपर निदेशक, 09 अर्थ एवं संख्याधिकारी, 25 अपर सांख्यिकीय अधिकारी, 18 सहायक सांख्यिकीय अधिकारी, 01 मुख्य कलाकार, 01 प्रशासनिक अधिकारी, 08 वरिष्ठ सहायक, 01 कनिष्ठ सहायक, 04 चालक एवं 05 चतुर्थ श्रेणी कार्मिक कुल 73 कार्मिक अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हुए।

अन्य महत्वपूर्ण कार्य

- प्रत्येक त्रैमासिक न्यूज लेटर की सूचना तैयार कराकर समन्वय प्रशिक्षण एवं शोध अनुभाग प्रेषित की गयी।
- शासन द्वारा समय समय पर स्थापना अनुभाग से संबंधित चाही गयी सूचनाओं का प्रेषण किया गया।
- शासन से प्राप्त Multi प्रपत्रीय चेक लिस्ट की सूचना प्रत्येक माह ससमय तैयार कर प्राप्त करायी गयी।
- प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक में स्थापना अनुभाग के कार्यो के कार्यवृत्त की परिपालन आख्या सहित सूचना प्रस्तुत की गयी।
- अराजपत्रित कार्मिकों की लम्बित वार्षिक चरित्र प्रविष्टियों को प्राप्त करने हेतु नियमित अनुश्रवण कराया गया।
- मृतक आश्रितों की भर्ती की कार्यवाही तथा चतुर्थ वर्ग से कनिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति हेतु परीक्षाओं का आयोजन कराया गया।
- प्रत्येक माह टास्क सेटिंग की सूचना तैयार कर समन्वय प्रशिक्षण एवं शाोध अनुभाग प्रेषित की गयी।
- मा0 सर्वोच्च न्यायालय तथा मा0 उच्च न्यायालय के कोर्ट के प्रकरणों में सहयोग किया गया।
- स्थापना संबंधी लम्बित प्रकरणों की समीक्षा/निस्तारण हेतु जनपद कार्यालयों में निरीक्षण किया गया।

******

अध्याय–14
लेखा अनुभाग

प्रभाग के लेखा अधिष्ठान से सम्बन्धित कार्य के सम्पादन हेतु मुख्यालय पर दो अनुभाग हैं।

- लेखा अनुभाग–1
- लेखा अनुभाग–2

14.1 लेखा अनुभाग–1 में सम्पादित होने वाले कार्यों का विवरण

- सभी अधिकारियों/कर्मचारियो के वार्षिक सेवा सत्यापन एवं अवकाश लेखे का रख–रखाव।
- क्षेत्र में कार्यरत कार्यालयाध्यक्षों एवं मुख्यालय पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति देयकों के निस्तारण।
- क्षेत्र में कार्यरत कार्यालयाध्यक्षों एवं मुख्यालय में कार्यरत समस्त अधिकारियों/ कर्मचारियों के वेतन निर्धारण का कार्य।
- क्षेत्र में कार्यरत कार्यालयाध्यक्षों एवं प्रभाग के समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों की वार्षिक वेतन वृद्धि की स्वीकृति।
- क्षेत्र में कार्यरत कार्यालयाध्यक्षों एवं प्रभाग के समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं का रख–रखाव।
- क्षेत्रीय कार्यालयों का आन्तरिक लेखा परीक्षण एवं प्राप्त परिपालन आख्याओं का परीक्षण कार्य।
- क्षेत्र/मुख्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों के परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रोत्साहन भत्ता की स्वीकृति।
- प्रभाग मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों को बजट आवंटन।
- विभिन्न प्रभागीय योजनाओं के लिए धनराशि की व्यवस्था हेतु शासन को आय–व्ययक प्रेषित करना।
- एस0एन0डी0 के माध्यम से नयी योजनाओं की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित करना।
- निष्प्रयोज्य वाहन के पुर्नस्थापना की कार्यवाही।
- अतिरिक्त आपेक्षित धनराशि की व्यवस्था हेतु पुनर्विनियोग/अनुपूरक मांग के प्रस्ताव प्रेषित करना।
- प्रभाग में प्रचलित परियोनाओं के अन्तर्गत हुए अन्तिम व्यय/बचत की सूचना ससमय शासन को प्रेषित करना।
- भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक के ऑडिट प्रस्तरों का निस्तारण करना।
- विनियोग लेखा तैयार कर महालेखाकार कार्यालय को प्रेषण।
- वर्ष के अन्तर्गत प्रत्येक त्रैमास में महालेखाकर कार्यालय में पुस्तांकित आंकड़ों से प्रभागीय व्यय के आंकड़ों का मिलान।

- निदेशक, आन्तरिक लेखा परीक्षा विभाग से वार्षिक कार्ययोजना का अनुमोदन। त्रैमासिक व वार्षिक लेखा परीक्षण सम्बन्धी रिपोर्ट प्रेषण।
- मुख्यालय के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों तथा क्षेत्र के कार्यालयाध्यक्षों की पारिवारिक पेंशन सम्बन्धी कार्य।
- मुख्यालय/मण्डलों/जनपदों के समस्त प्रकार के कालातीत देयकों को कालातीत से मुक्त करने सम्बन्धी कार्यवाही।

14.2 लेखा अनुभाग–2 में सम्पादित होने वाले कार्यों का विवरण

- वेतन का ससमय आहरण/भुगतान।
- प्रभाग मुख्यालय के राजपत्रित/अराजपत्रित कार्मिकों की सामान्य भविष्य निधि पासबुकों का रख–रखाव।
- समय–समय पर प्रशासनिक स्वीकृति उपरान्त वेतन निर्धारण के फलस्वरूप देय अवशेष राशि का आहरण/भुगतान।
- सेवानिवृत्त कार्मिकों की सामान्य भविष्य निधि से 90 प्रतिशत स्वीकृति/भुगतान की समस्त औपचारिकताएं पूर्ण किया जाना यथा महालेखाकार से मिलान/जांचकर्ता लेखा प्राधिकारी की संस्तुतियां प्राप्त किया जाना।
- शासन द्वारा समय–समय पर स्वीकृत महंगाई भत्तों की किश्तों का आहरण/भुगतान
- सेवानिवृत्त कार्मिकों के उपार्जित अवकाश के नकदीकरण का आहरण तथा सेवानिवृत्त उपरान्त देय सामूहिक बीमे की राशि के आहरण हेतु समुचित कार्यवाही उपरान्त भुगतान करना।
- चिकित्सा दावों की स्वीकृति/भुगतान की कार्यवाही सहित सक्षम जांचकर्ता प्राधिकारी की संस्तुति प्राप्त किया जाना।
- प्रभाग के कार्मिकों द्वारा आवेदित भवन निर्माण, भवन मरम्मत, वाहन अग्रिम हेतु शासन से अग्रिम स्वीकृति हेतु धनराशि की मांग करना, स्वीकृति, आहरण/भुगतान।
- प्रभाग की सामान्य व्यवस्था के संचालन हेतु आकस्मिक व्यय बिलों आदि के आहरण/भुगतान की कार्यवाही।
- प्रभाग मुख्यालय के अतिरिक्त मण्डलीय/जनपदीय कार्यालयों से सेवानिवृत्त होने वाले राजपत्रित/अराजपत्रित कार्मिकों के जी0पी0एफ0 90 प्रतिशत की स्वीकृति, राजपत्रित अधिकारियों के सामान्य भविष्य निधि के अग्रिमों की स्वीकृति संबंधी कार्यो का सम्पादन।
- रूपया 5,00,000/– तक के प्राप्त चिकित्सा दावों की स्वीकृति प्रभाग से प्रदान किया जाना तथा रूपया 5,00,000/– से अधिक के प्राप्त चिकित्सा दावों की स्वीकृति हेतु शासन को यथोचित प्रस्ताव भेजे जाने संबंधी कार्य तथा उपचार समाप्ति के तीन माह के पश्चात् प्राप्त चिकित्सा दावे की स्वीकृति पूर्व प्रशासनिक विभाग से विलम्बमर्षण की अनुमति प्राप्त किया जाना।

******

अध्याय–15
प्रभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा सम्पादित कार्य

प्रभाग के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा किये गये महत्वपूर्ण कार्यों का विवरण इस अध्याय में दिया जा रहा है।

15.1 भाव एवं मजदूरी दरों का एकत्रण

जनपद कार्यालय द्वारा विभिन्न प्रकार के भावों एवं दरों का एकत्रण निर्धारित दिवस पर किया जाता है जिनका विवरण निम्नवत् है, जो कि ''√'' से प्रदर्षित हैं :–

भाव/मजदूरी दरों का प्रकार

क्र.सं.	जनपद	थोक भाव	ग्रामीण फुटकर भाव	नगरीय फुटकर भाव	ग्रामीण मजदूरी दरें	नगरीय मजदूरी दरें
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	सहारनपुर	√	√	√	√	√
2	मुजफ्फर नगर	√	√	√	√	√
3	शामली		√	√	√	√
4	बिजनौर	√	√	√	√	√
5	मुरादाबाद	√	√	√	√	√
6	रामपुर	√	√	√	√	√
7	ज्योतिबाफूले नगर		√	√	√	√
8	सम्भल		√	√	√	√
9	मेरठ	√	√	√	√	√
10	बागपत		√	√	√	√
11	गाजियाबाद	√	√	√	√	√
12	गौतमबुद्व नगर	√	√	√	√	√
13	बुलन्दशहर	√	√	√	√	√
14	हापुड़		√	√	√	√
15	अलीगढ़	√	√	√	√	√
16	हाथरस	√	√	√	√	√
17	एटा	√	√	√	√	√
18	कासगंज	√	√	√	√	√
19	मथुरा	√	√	√	√	√
20	आगरा	√	√	√	√	√
21	फिरोजाबाद	√	√	√	√	√
22	मैनपुरी		√	√	√	√
23	बदायूँ	√	√	√	√	√

24	बरेली	√	√	√	√	√
25	पीलीभीत		√	√	√	√
26	शाहजहाँपुर	√	√	√	√	√
27	खीरी	√	√	√	√	√
28	सीतापुर	√	√	√	√	√
29	हरदोई	√	√	√	√	√
30	उन्नाव	√	√	√	√	√
31	लखनऊ	√	√	√	√	√
32	रायबरेली	√	√	√	√	√
33	फर्रूखाबाद	√	√	√	√	√
34	कन्नौज	√	√	√	√	√
35	इटावा	√	√	√	√	√
36	औरैया		√	√	√	√
37	कानपुर देहात		√	√	√	√
38	कानपुर नगर	√	√	√	√	√
39	जालौन	√	√	√	√	√
40	झाँसी	√	√	√	√	√
41	ललितपुर	√	√	√	√	√
42	हमीरपुर	√	√	√	√	√
43	महोबा	√	√	√	√	√
44	बाँदा	√	√	√	√	√
45	चित्रकूट	√	√	√	√	√
46	फतेहपुर	√	√	√	√	√
47	प्रतापगढ़		√	√	√	√
48	कौशाम्बी	√	√	√	√	√
49	इलाहाबाद	√	√	√	√	√
50	बाराबंकी	√	√	√	√	√
51	फैजाबाद		√	√	√	√
52	अम्बेदकर नगर	√	√	√	√	√
53	सुल्तानपुर	√	√	√	√	√
54	अमेठी		√	√	√	√
55	बहराइच	√	√	√	√	√
56	श्रावस्ती	√	√	√	√	√
57	बलरामपुर		√	√	√	√
58	गोण्डा	√	√	√	√	√
59	सिद्वार्थनगर	√	√	√	√	√
60	बस्ती		√	√	√	√
61	संतकबीर नगर		√	√	√	√

62	महराजगंज		√	√	√	√
63	गोरखपुर	√	√	√	√	√
64	कुशीनगर		√	√	√	√
65	देवरिया	√	√	√	√	√
66	आजमगढ़	√	√	√	√	√
67	मऊ		√	√	√	√
68	बलिया	√	√	√	√	√
69	जौनपुर	√	√	√	√	√
70	गाजीपुर	√	√	√	√	√
71	चन्दौली	√	√	√	√	√
72	वाराणसी	√	√	√	√	√
73	संतरविदास नगर	√	√	√	√	√
74	मिर्जापुर	√	√	√	√	√
75	सोनभद्र	√	√	√	√	√

इसके अतिरिक्त कच्चे ऊन के थोक भाव 5 केन्द्रों झांसी, इलाहाबाद, सन्तरविदास नगर, जौनपुर एवं रायबरेली से संग्रहित किये जाते हैं । 47 आवश्यक वस्तुओं के साप्ताहिक फुटकर भाव प्रदेश के 18 मण्डलीय जनपदों से प्रत्येक शुक्रवार को संग्रहित किये जाते हैं । लखनऊ केन्द्र के 16 आवश्यक वस्तुओं के साप्ताहिक फुटकर भाव प्रत्येक शुक्रवार को संग्रहित किये जाते हैं । हापुड़ मण्डी के 11 आवश्यक वस्तुओं के थोक भाव माह के प्रथम शुक्रवार को संग्रहित किये जाते हैं । कानपुर केन्द्र के बड़ी इलायची के थोक भाव माह के प्रथम शुक्रवार को संग्रहित किये जाते हैं ।

जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा ग्रामीण फुटकर भाव/दरों का 6 से कम विकास खण्ड वाले जनपदों में प्रतिमाह एक निरीक्षण अथवा 6 या उससे ऊपर की स्थिति में प्रतिमाह 2 निरीक्षण किये जाते हैं । उपनिदेशक द्वारा इन मदों का विभिन्न जनपदों में प्रतिमाह कम से कम 2 निरीक्षण किये जाते हैं ।

जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा नगरीय फुटकर भाव/मजदूरी दरों का प्रत्येक दो माह में कम से कम 1 बार तथा उपनिदेशक द्वारा प्रतिमाह विभिन्न जनपदों में दो निरीक्षण किये जाते है ।

15.1.1 मण्डलीय उपनिदेशक (अर्थ एवं संख्या)/क्षेत्रीय अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा भाव एवं मजदूरी दरों के किये गये निरीक्षणों की संख्या वर्ष 2016–17

क्र. सं	जनपद/मण्डल का नाम	भाव एवं मजदूरी दरों के निरीक्षणों की संख्या
(1)	(2)	(3)
1	सहारनपुर	**00**
2	मुजफ्फरनगर	**00**
3	शामली	**12**
I	सहारनपुर मण्डल	**28**
	योग सहारनपुर (मण्डल एवं जनपद)	**40**
4	बिजनौर	**25**
5	मुरादाबाद	**00**
6	रामपुर	**00**

7	ज्योतिबाफूले नगर	–
8	सम्भल	10
II	मुरादाबाद मण्डल	155
	योग मुरादाबाद (मण्डल एवं जनपद)	190
9	मेरठ	27
10	बागपत	45
11	गाजियाबाद	25
12	गौतमबुद्व नगर	17
13	बुलन्दशहर	02
14	हापुड़	18
III	मेरठ मण्डल	16
	योग मेरठ (मण्डल एवं जनपद)	150
15	अलीगढ़	22
16	हाथरस	50
17	एटा	08
18	कासगंज	19
IV	अलीगढ़ मण्डल	08
	योग अलीगढ (मण्डल एवं जनपद)	107
19	मथुरा	35
20	आगरा	23
21	फिरोजाबाद	30
22	मैनपुरी	08
V	आगरा मण्डल	94
	योग आगरा (मण्डल एवं जनपद)	190
23	बदायूँ	14
24	बरेली	19
25	पीलीभीत	53
26	शाहजहाँपुर	12
VI	बरेली मण्डल	01
	योग बरेली (मण्डल एवं जनपद)	99
27	खीरी	38
28	सीतापुर	00
29	हरदोई	13
30	उन्नाव	10
31	लखनऊ	33
32	रायबरेली	05
VII	लखनऊ मण्डल	44
	योग लखनऊ (मण्डल एवं जनपद)	143
33	फर्रूखाबाद	09
34	कन्नौज	19

35	इटावा	19
36	औरैया	00
37	कानपुर देहात	25
38	कानपुर नगर	31
VIII	कानपुर मण्डल	06
	योग कानपुर (मण्डल एवं जनपद)	109
39	जालौन	02
40	झाँसी	61
41	ललितपुर	13
IX	झांसी मण्डल	11
	योग झांसी (मण्डल एवं जनपद)	87
42	हमीरपुर	13
43	महोबा	08
44	बाँदा	10
45	चित्रकूट	28
X	चित्रकूटधाम मण्डल	89
	योग चित्रकूटधाम (मण्डल एवं जनपद)	148
46	फतेहपुर	46
47	प्रतापगढ़	12
48	कौशाम्बी	16
49	इलाहाबाद	73
XI	इलाहाबाद मण्डल	33
	योग इलाहाबाद (मण्डल एवं जनपद)	180
50	बाराबंकी	35
51	फैजाबाद	49
52	अम्बेदकर नगर	00
53	सुल्तानपुर	00
54	अमेठी	50
XII	फैजाबाद मण्डल	01
	योग फैजाबाद (मण्डल एवं जनपद)	135
55	बहराइच	20
56	श्रावस्ती	18
57	बलरामपुर	14
58	गोण्डा	12
XIII	देवीपाटन मण्डल	24
	योग देवीपाटन (मण्डल एवं जनपद)	88
59	सिद्वार्थनगर	17
60	बस्ती	23
61	संतकबीर नगर	30
XIV	बस्ती मण्डल	109

	योग बस्ती (मण्डल एवं जनपद)	**179**
62	महराजगंज	**53**
63	गोरखपुर	**24**
64	कुशीनगर	**10**
65	देवरिया	**78**
XV	गोरखपुर मण्डल	**04**
	योग गोरखपुर (मण्डल एवं जनपद)	**169**
66	आजमगढ़	**66**
67	मऊ	**37**
68	बलिया	**22**
XVI	आजमगढ मण्डल	**67**
	योग आजमगढ (मण्डल एवं जनपद)	**192**
69	जौनपुर	**10**
70	गाजीपुर	**07**
71	चन्दौली	**27**
72	वाराणसी	**27**
XVII	वाराणसी मण्डल	**25**
	योग वाराणसी (मण्डल एवं जनपद)	**96**
73	संतरविदास नगर	**10**
74	मिर्जापुर	**37**
75	सोनभद्र	**08**
XVIII	विन्ध्याचल मण्डल	**42**
	योग विन्ध्याचल (मण्डल एवं जनपद)	**97**

नोट– (–) का अभिप्राय जनपद/मण्डल में पद रिक्त है।

15.2 वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण

वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण हेतु केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार द्वारा जनपदवार चयनित राज्य प्रतीक के कारखानों से निर्धारित अनुसूची पर आंकड़े संग्रहित किये जाते है। जनपदों द्वारा सर्वेक्षित कारखानों की भरी हुई अनुसूचियों का परिनिरीक्षण, डेटा इन्ट्री वैलिडेशन संबंधित मण्डल कार्यालय द्वारा किया जाता है। मण्डल कार्यालयों से त्रुटिरहित ऑकड़ें प्रभाग मुख्यालय को प्रेषित किये जाते है। वर्ष 2016–17 में जनपदों द्वारा वा0उ0स0 2014–15 के आवंटित/सर्वेक्षित कारखानों का विवरण निम्नवत् हैः–

वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण 2014–15

क्र0सं0	जनपद/मण्डल का नाम	आवंटित कारखानें	कुल सर्वेक्षित कारखाने	क्र0सं0	जनपद/मण्डल का नाम	आवंटित कारखानें	कुल सर्वेक्षित कारखाने
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सहारनपुर	41	41	42	हमीरपुर	0	0
2	मुजफ्फर नगर	105	105	43	महोबा	6	6

3	शामली	15	15	44	बांदा	0	0
1	**सहारनपुर मण्डल**	**161**	**161**	45	चित्रकूट	0	0
4	बिजनौर	38	38	**10**	**चित्रकूट मण्डल**	**6**	**6**
5	मुरादाबाद	61	61	46	फतेहपुर	22	22
6	रामपुर	33	33	47	प्रतापगढ़	4	4
7	अमरोहा	14	14	48	कौशाम्बी	6	6
8	सम्भल	15	15	49	इलाहाबाद	50	50
2	**मुरादाबाद मण्डल**	**161**	**161**	**11**	**इलाहाबाद मण्डल**	**82**	**82**
9	मेरठ	174	174	50	बाराबंकी	22	22
10	बागपत	8	8	51	फैजाबाद	22	22
11	गाजियाबाद	404	404	52	अम्बेदकर नगर	10	10
12	गौतमबुद्ध नगर	693	693	53	सुल्तानपुर	5	5
13	बुलन्दशहर	104	104	54	अमेठी	3	3
14	हापुड	48	48	**12**	**फैजाबाद मण्डल**	**62**	**62**
3	**मेरठ मण्डल**	**1431**	**1431**	55	बहराइच	9	9
15	मथुरा	61	61	56	श्रावस्ती	0	0
16	आगरा	178	178	57	बलरामपुर	5	5
17	फिरोजाबाद	101	101	58	गोण्डा	7	7
18	मैनपुरी	16	16	**13**	**देवीपाटन मण्डल**	**21**	**21**
4	**आगरा मण्डल**	**356**	**356**	59	सिद्धार्थनगर	0	0
19	अलीगढ़	51	51	60	बस्ती	4	4
20	हाथरस	45	45	61	सन्तकबीर नगर	3	3
21	एटा	2	2	**14**	**बस्ती मण्डल**	**7**	**7**
22	कासगंज	1	1	62	महराजगंज	4	4
5	**अलीगढ़ मण्डल**	**99**	**99**	63	गोरखपुर	20	20
23	बदायूँ	4	4	64	कुशीनगर	0	0
24	बरेली	72	72	65	देवरिया	0	0
25	पीलीभीत	13	13	**15**	**गोरखपुर मण्डल**	**24**	**24**

26	शाहजहांपुर	21	21	66	आजमगढ़	0	0
6	**बरेली मण्डल**	**110**	**110**	67	मऊ	0	0
27	खीरी	25	25	68	बलिया	0	0
28	सीतापुर	31	31	**16**	**आजमगढ़ मण्डल**	**0**	**0**
29	हरदोई	20	20	69	जौनपुर	12	12
30	उन्नाव	42	42	70	गाजीपुर	8	8
31	लखनऊ	143	143	71	चन्दौली	29	29
32	रायबरेली	14	14	72	वाराणसी	53	53
7	**लखनऊ मण्डल**	**275**	**275**	**17**	**वाराणसी मण्डल**	**102**	**102**
33	फर्रूखाबाद	10	10	73	संत रविदास नगर	23	23
34	कन्नौज	23	23	74	मिर्जापुर	13	13
35	इटावा	16	16	75	सोनभद्र	3	3
36	औरैया	6	6	**18**	**विध्याचल मण्डल**	**39**	**39**
37	कानपुर देहात	29	29		योग	3339	3339
38	कानपुर नगर	311	311				
8	**कानपुर मण्डल**	**395**	**395**				
39	जालौन	0	0				
40	झांसी	8	8				
41	ललितपुर	0	0				
9	**झांसी मण्डल**	**8**	**8**				

जनपद हेतु आवंटित इकाईयों में से कम से कम 5 प्रतिशत या उपलब्धता की स्थिति में कम से कम दो इकाईयों का निरीक्षण अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा किया जाना निर्धारित है। बन्द इकाईयों का शत–प्रतिशत निरीक्षण किया जाता है। मण्डलीय उपनिदेशक द्वारा मण्डल के प्रत्येक जनपद की चालू इकाईयों में कम से कम 2 प्रतिशत या एक इकाई का निरीक्षण निर्धारित है एवं बंद इकाईयों में से कम से कम 10 प्रतिशत या उपलब्धता की स्थिति में 3 इकाईयों का निरीक्षण निर्धारित है।

15.3 ग्राम्य विकास कार्य

ग्राम्य विकास कार्यो की मासिक प्रगति रिपोर्ट जनपदों के अर्थ एवं संख्याधिकारियों द्वारा निर्धारित रूपपत्र पर नियमित रूप से मण्डलीय उपनिदेशकों को प्रेषित की जाती है तथा उनके द्वारा मण्डल की संकलित रिपोर्ट प्रभाग मुख्यालय को प्रेषित की जाती है ।

जनपदीय अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा 6 से अधिक विकास खण्ड वाले जनपदों के प्रति माह 2 निरीक्षण, 06 विकास तक के जनपदों शामली, रामपुर, अमरोहा, बागपत, गाजियाबाद, हापुड़, गौतमबुद्व नगर महोबा, श्रावस्ती ,

चित्रकूट, सन्तरिवदास नगर, तथा ललितपुर, में प्रति माह 1 निरीक्षण और प्रति निरीक्षण कम से कम 25 इकाइयों का स्थलीय सत्यापन किया जाता है । इसी प्रकार उपनिदेशक द्वारा मण्डल के विभिन्न जनपदों में प्रतिमाह 3 निरीक्षण एवं प्रति निरीक्षण कम से कम 25 इकाइयों का स्थलीय सत्यापन किया जाता है ।

15.3.1 मण्डलीय उपनिदेशक (अर्थ एवं संख्या)/क्षेत्रीय अर्थ एवं संख्याधिकारी/सहायक विकास अधिकारी सॉ0 द्वारा किये गये स्थलीय सत्यापनों की संख्या– वर्ष 2016–17

क्र0सं0	मण्डल का नाम	स्थलीय सत्यापन की संख्या
1	2	3
1	सहारनपुर	4324
2	मुरादाबाद	3312
3	मेरठ	7919
4	आगरा	7700
5	अलीगढ़	2103
6	वाराणसी	24497
7	गोरखपरु	22131
8	लखनऊ	13596
9	कानपुर	3230
10	बरेली	1500
11	आजमगढ	13292
12	बस्ती	5491
13	इलाहाबाद	17878
14	विन्ध्याचल	17575
15	चित्रकूटधाम	13003
16	फैजाबाद	16715
17	झॉसी	3427
18	देवीपाटन	5535
योग		183228

15.3.2 क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा किये गये ग्राम्य विकास कार्यो के निरीक्षणों का विवरण वर्ष 2016–17

क्र0सं0	जनपद/मण्डल का नाम	ग्राम्य विकास कार्यो के निरीक्षणों की संख्यां	क्र0सं0	जनपद/मण्डल का नाम	ग्राम्य विकास कार्यो के निरीक्षणों की संख्यां
1	**2**	**3**	**1**	**2**	**3**
1	सहारनपुर	7	19	मथुरा	16
2	शामली	0	20	आगरा	20
3	मुजफफर नगर	–	21	फिरोजाबाद	16
	सहारनपुर मण्डल	21	22	मैनपुरी	4
1	**योग सहारपुर मण्डल**	**28**		आगरा मण्डल	23
4	बिजनौर	12	**5**	**योग आगरा मण्डल**	**79**
5	संभल	0	23	बदायूँ	9
6	मुरादाबाद	12	24	बरेली	10
7	रामपुर	0	25	पीलीभीत	8
8	ज्योतिबाफुले नगर	0	26	शाहजहॉपुर	2
	मुरादाबाद मण्डल	36		बरेली मण्डल	1
2	**योग मुरादाबाद मण्डल**	**60**	**6**	**योग बरेली मण्डल**	**30**
9	मेरठ	14	27	अम्बेदकर नगर	2
10	बागपत	0	28	सुल्तानपुर	–
11	हापुड़	12	29	बाराबंकी	23
12	गाजियाबाद	14	30	फैजाबाद	10
13	गौतमबुद्व नगर	9	31	अमेठी	1
14	बुलन्दशहर	23		फैजाबाद मण्डल	6
	मेरठ मण्डल	**0**	**7**	**योग फैजाबाद मण्डल**	**42**
3	**योग मेरठ मण्डल**	**72**	32	बहराइच	5
15	अलीगढ़	4	33	श्रावस्ती	4
16	हाथरस	12	34	बलरामपरु	10
17	एटा	0	35	गोण्डा	7
18	कॉशीराम नगर	14		देवीपाटन मण्डल	14

	अलीगढ़ मण्डल	–		योग देवीपाटन मण्डल	40
4	**योग अलीगढ़ मण्डल**	**30**	**8**		
36	सिद्वार्थ नगर	7	53	फर्रूखाबाद	12
37	बस्ती	19	54	कन्नौज	24
38	सन्त कबीर नगर	18	55	इटावा	3
	बस्ती मण्डल	27	56	औरैया	–
9	**योग बस्ती मण्डल**	**71**	57	रमाबाई नगर	12
39	महराजगंज	37	58	कानुपर नगर	2
40	गोरखपुर	19		कानपुर मण्डल	–
41	कुशीनगर	33	**13**	**योग कानपुर मण्डल**	**53**
42	देवरिया	32	59	जालौन	0
	गोरखपुर मण्डल	25	60	झॉसी	8
10	**योग गोरखपुर मण्डल**	**146**	61	ललितपुर	6
43	खीरी	14		झॉसी मण्डल	29
44	सीतापुर	18	**14**	**योग झॉसी मण्डल**	**43**
45	हरदोई	2	62	प्रतापगढ़	6
46	उन्नाव	0	63	फतेहपुर	29
47	लखनऊ	4	64	कौशाम्बी	4
48	रायबरेली	2	65	इलाहाबाद	25
	लखनऊ मण्डल	3		इलाहाबाद मण्डल	11
11	**योग लखनऊ मण्डल**	**43**	**15**	**योग इलाहाबाद मण्डल**	**75**
49	हमीरपुर	7	**15**	**योग इलाहाबाद मण्डल**	**75**
50	महोबा	3	66	आजमगढ़	23
51	बॉदा	18	67	मऊ	14
52	चित्रकूट	8	68	बलिया	8
	योग चित्रकूटधाम	36		आजमगढ़ मण्डल	24
12	**योग चित्रकूटधाम मण्डल**	**72**	**16**	**योग आजमगढ़ मण्डल**	**69**
69	जौनपुर	11			

70	गाजीपुर	6			
71	चन्दौली	24			
72	वाराणसी	6			
	वाराणसी मण्डल	15			
17	**योग वाराणसी मण्डल**	**62**			
73	संत रविदास नगर	16			
74	मीरजापुर	20	**नोट– का अभिप्राय जनपद/मण्डल में पद रिक्त है ।**		
75	सोनभद्र	27			
	बिन्ध्याचल मण्डल	12			
18	**योग विन्ध्याचल मण्डल**	**75**			

15.4 राष्ट्रीय प्रतीक सर्वेक्षण

राष्ट्रीय प्रतीक सर्वेक्षण में राज्य प्रतिदर्श से सम्बन्धित क्षेत्रीय सर्वेक्षण का कार्य भी सम्पादित किया जाता है, जिसके अन्तर्गत वर्ष 2016–17 में 74वीं आवृत्ति का सर्वेक्षण कार्य किया गया।

******

फोटो सेक्शन

प्रभाग पर 10वें सांख्यिकीय दिवस का आयोजन

प्रभाग पर 10वें सांख्यिकीय दिवस का आयोजन

प्रभाग पर 10वें सांख्यिकीय दिवस का आयोजन

प्रभाग पर 10वें सांख्यिकीय दिवस का आयोजन